वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

के वि वि आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

के वि वि आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग 36, जनपथ, नई दिल्ली –110 001
दूरभाष : +91 11 23353503 • +91 11 23753923
https://www.cercind.gov.in

अध्यक्षीय वक्तव्य

वित्त वर्ष 2022–23 में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने देश के विद्युत बाजार की नींव को सुदृढ़ करने के लिए आधारभूत निर्णय लिए।

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुँच) विनियम, 2022 में यथा विस्तृत सामान्य नेटवर्क पहुँच फ्रेमवर्क के आरंभ के माध्यम से अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में गैर–भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुँच को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया ये विनियम भारतीय विद्युत प्रणाली में पारेषण पहुँच से निपटने के तरीके में आदर्श बदलाव लाए हैं। ये विनियम संयोजकता, सामान्य नेटवर्क पहुँच (जीएनए), और अस्थायी जीएनए (टी–जीएनए) पर केन्द्रित हैं। ये पात्रता शर्तों और प्रचालन फ्रेमवर्क को रेखांकित करते हैं, पर्याप्त पारेषण नेटवर्क के परिनियोजन का संवर्धन करने और प्रभावी उपयोग के लिए अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं।

वर्ष 2014 में, केविविआ ने ग्रिड अनुशासन और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डीएसएम) को आरंभ किया। समय के साथ, डीएसएम विकसित हुआ और विद्युत प्रणाली प्रचालनों में महत्वपूर्ण सुधार हुए। वर्ष 2016 में आनुषंगिक सेवाओं की रूपरेखा का आरंभ हुआ। विद्युत प्रणाली प्रचालन में विकास की अगली कड़ी के रूप में और विशेष रूप से फ्रीक्वेंसी का प्रबंधन करने के लिए आनुषंगिक सेवा फ्रेमवर्क के आरंभ होने पर, आयोग ने डीएसएस की समीक्षा करना आवश्यक समझा और हितधारक के साथ परामर्श के बाद नए डीएसएम विनियम अधिसूचित किए, जो 5 दिसम्बर, 2022 से प्रभावी हुए। इसके अतिरिक्त, प्रचालन संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु, आयोग ने ग्रिड फ्रीक्वेंसी की स्थिरता और उतार–चढ़ाव में कमी सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रेरणा से हस्तक्षेप किए।

बढ़ती हुई विद्युत मांग और वितरण कंपनियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आयोग ने पावर एक्सचेंजों में और ओवर द काउंटर (ओटीसी) बाजार में नए विद्युत उत्पादों की आवश्यकता को पहचाना। तदनुसार, "ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लैटफॉर्म का निर्माण करने और प्रचालन करने के लिए पंजीकरण और आवेदन करने हेतु दिशानिर्देश, 2022" को विद्युत के क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सुव्यवस्थित सूचना विनिमय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफॉर्म के विकास के उद्देश्य से आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त, 6 मई, 2022 के बाद सभी बाजार खंडों में कीमत की बोली की कैपिंग के कारण, आयोग ने देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और उच्च परिवर्ती लागतों वाले उत्पादकों को प्रभावी रूप से सहभागिता करने की अनुमति देते हुए एकीकृत डे अहेड बाजार (आई–डीएएम) में उच्च कीमत डे अहेड बाजार (एचपी–डीएएम) की आरंभ को अनुमोदित किया।

नवीकरणीय ऊर्जा के परिदृश्य में भी पिछले दशक में बड़ा परिवर्तन देखा गया। नवीकरणीय ऊर्जा विकास के प्रारंभिक चरणों में, ऐसी ऊर्जा का टैरिफ काफी अधिक था। प्रणाली की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने फ्लोर और फोरबियरेंस कीमत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) हेतु पद्धति आरंभ की। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मकता और आविष्कार के कारण घटता हुआ टैरिफ देखा गया है। अतः आरईसी पद्धति को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों हेतु निबंधन और शर्तें)

विनियम, 2022 के साथ पुनर्गठित किया गया। यह विनियम महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, चूंकि इसने बाजार में व्यापारित आरईसी के लिए फ्लोर कीमत को समाप्त किया और आरईसी बाजार में मांग और आपूर्ति की गतिशीलताओं के साथ आरईसी की कीमत की खोज को जोड़ा। इस परिवर्तन ने क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को आरईसी कीमतों को निर्धारित करने में संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। यह समायोजन वर्तमान वास्तविकताओं और आरई उत्पादन के विकसित होते हुए परिदृश्य के साथ आरईसी बाजार को संरेखित करने के लिए आवश्यक था।

उपर्युक्त इंगित विनियामक हस्तक्षेपों के अलावा, आयोग ने वर्तमान और विकसित बाजार गतिकियों के साथ भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, सभी विनियमों की जननी, को संरेखित करने के कार्य का उत्तरदायित्व स्वयं उठाया है।

आयोग, केविविआ, अध्यक्ष की अध्यक्षता के अधीन विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन निगमित निकाय विनियामक फोरम (एफओआर) की गतिविधियों में भी सहायता प्रदान करता है। एसईआरसी/जेईआरसी के अध्यक्ष, एफओआर के सदस्य हैं। आयोग, इन संगठनों के सुचारु कार्य हेतु सचिवीय सेवाएं प्रदान कर भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) और साउथ एशिया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेग्यूलेशन (साफिर) को भी सहायता प्रदान करता है।

ऊर्जा के क्षेत्र में, हमारे प्रयत्न मात्र संव्यवहारों से अधिक हैं; वे परिवर्तनों के गहन प्रतीक हैं। पिछले वर्ष के लिए निष्ठावान आभार के साथ, केविविआ प्रगति की मशाल को आगे बढ़ाने, इस क्षेत्र में आने वाले निवेश का मार्ग रोशन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम एकजुट होकर स्वच्छ, विश्वसनीय, और सुगम ऊर्जा की संभावनाओं को पुनःपरिभाषित करने हेतु प्रतिज्ञा करते हैं।

ऊर्जा सर्वेषां समृद्धिम् आनयतु

(ऊर्जा सभी के लिए समृद्धि लाए)

अध्यक्ष

विषय सूची

आयोग **13**

मिशन विवरण **17**

अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण **21**

***पूर्व वर्ष : एक अवलोकन** **31**

विनियामक क्रियाविधि और प्रक्रिया **35**

वर्ष 2022–23 के दौरान गतिविधियाँ 39

विधिक कार्यवाहियाँ 39

वर्ष 2022–23 में जारी प्रमुख निर्णय/विनियम 39

पावर एक्सचेंज 40

थर्मल उत्पादन 44

हाइड्रो उत्पादन 45

पारेषण टैरिफ 45

वर्ष 2022–23 के दौरान केविविआ द्वारा अधिसूचित किए गए विनियम/विस्तृत क्रियाविधि **45**

नवीकरणीय ऊर्जा **51**

वर्ष 2022–23 के दौरान अन्य गतिविधियाँ **53**

उपभोक्ताओं के हितों तथा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष **61**

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं **65**

वर्ष 2023–24 के लिए कार्यसूची **69**

लेखा का वार्षिक विवरण **73**

आयोग का मानव संसाधन **77**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 **81**

अनुलग्नक **83**

अनुबंध-I 85

अनुबंध-II 105

अनुबंध-III 107

अनुबंध-IV 107

अनुबंध-V 108

अनुबंध-VI 108

अनुबंध-VII 111

अनुबंध-VIII 114

अनुबंध IX 116

अनुबंध X 122

अनुबंध XI 127

संक्षेप अक्षरों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एबीटी	उपलब्धता आधारित टैरिफ
एसीपी	क्षेत्रीय क्लीयरिंग कीमत
एडीएमएस	स्वचालित मांग प्रबंधन योजना
एईआरए	एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक अधिकरण
एजीसी	स्वतः उत्पादन नियंत्रण
एपीपीसी	औसत पूल क्रय लागत
एपीटीईएल / एटीई	विद्युत का अपीलीय न्यायाधीकरण
एटीएस	संबद्ध पारेषण प्रणाली
एयूएफआर	फ्रीक्वेंसी रिले
बीसीडी	बिलिंग, वसूली और संवितरण (प्रक्रिया)
बीईई	ऊर्जा कुशलता ब्यूरों
बीपीटीए	बल्क विद्युत पारेषण करार
ब्रिक्स	बाज्रील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
बीयू	बिलियन यूनिट
सीएसी	केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति
सीबीटीई	विद्युत का सीमा–पार व्यापार
सीसीजीटी	समन्वित साईकिल गैस टर्बाइन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईएम	मंत्री स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा (शिखर सम्मेलन)
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीए	महालेखा नियंत्रक
सीजीपी	केप्टिव उत्पादन संयंत्र
सीआईजीआरई	बड़ी विद्युत प्रणालियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिषद्
सीआईएल	कोयला इंडिया लि.
सीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
सीपीआरआई	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सीपीएसयू	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीटीयू	केन्द्रीय पारेषण कंपनी
डीएएम	डे अहेड मार्केट
डीईईपी	कुशल विद्युत कीमत डिस्कवरी
डीआईसी	पदनामित आईएसटीएस ग्राहक
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीएसएम	विचलन व्यवस्थापन तंत्र या मांग पक्ष प्रबंधन
डीवीसी	दामोदर घाटी निगम

ईए	विद्युत अधिनियम
ईआर	पूर्वी क्षेत्र
ईआरसी	विद्युत विनियामक आयोग
ईआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ईआरपीसी	पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एफजीएमओ	फ्री गवर्नर मोड प्रचालन
एफआई	वित्तीय संस्था
एफओआईआर	भारतीय विनियामक फोरम
एफओआर	विनियामक फोरम
एफएसए	ईंधन आपूर्ति करार
जीसीवी	सकल क्लोरिफिक मूल्य
जीएफए	सकल नियत आस्तियां
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	गैस विद्युत केन्द्र
जीएसईएस	ग्रिड सुरक्षा विशेषज्ञ प्रणाली
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
एचपीएस	हाइड्रो विद्युत केन्द्र
एचवीडीसी	उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष करंट
आईसी	स्थापित क्षमता
आईडीसी	निर्माण के दौरान हित
आईईजीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड
आईईएक्स	भारतीय ऊर्जा विनिमय
आईपीपी	स्वतंत्र क्रय उत्पादक
आईएसजीएस	अंतर–राज्यिक उत्पादन प्रणाली
आईएसटीएस	अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
जेएनएनएसएम	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन
जेवी	संयुक्त उद्यम
केवी	किलो वॉल्ट
केडब्ल्यू	किलोवाट
केडब्ल्यूएच	किलावोट घंटा
एलसीध्एलओसी	साख–पत्र
एलडीसी	भार प्रेषण केन्द्र
लीलो	लूप इन लूप आउट

एलटीए	दीर्घकालिक पहुंच
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमबीईडी	बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण
एमसीपी	बाजार समाशोधन कीमत
एमएमसी	बाजार मानिटरिंग कक्ष
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमटीओए	मध्यकालिक निर्बाध पहुँच
एमयू	मिलियन यूनिट
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमवाईटी	बहुवर्ष टैरिफ
एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
नीपको	उत्तर–पूर्वी विद्युत ऊर्जा कंपनी
एनईपी	राष्ट्रीय विद्युत योजना या राष्ट्रीय विद्युत नीति
एनईआर	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र
एनईआरएलडीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनईआरपीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एनएचपीसी	राष्ट्रीय हाईड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा निगम
एनएलसी	नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन
एनएलडीसी	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनपीसी	राष्ट्रीय विद्युत समिति
एनआर	उत्तर क्षेत्र
एनआरएलडीसी	उत्तर क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एनआरपीसी	उत्तर क्षेत्र विद्युत समिति
एनटीपी	राष्ट्रीय टैरिफ नीति
एनटीपीसी	राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन
एनवीवीएन	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.
ओएंडएम	प्रचालन तथा रखरखाव
ओसीसी	प्रचालन समन्वय समिति
ओसीजीटी	निर्बाध चक्र गैस टर्बाइन
ओपेक्स	प्रचालन व्यय
ओटीसी	ओवर दि काउंटर
पीएएफ	संयंत्र उपलब्धता घटक
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि
पीएलएफ	संयंत्र भार घटक
पीएमआर	विद्युत बाजार विनियम
पीएमयू	फेजर परिमापन यूनिट
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

पीओसी	प्वाइंट ऑफ कनैक्शन
पोसोको	विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम लि.
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएसडीएफ	विद्युत प्रणाली विकास निधि
पीएक्सआईएल	भारतीय विद्युत विनिमय लि.
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईए	क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा
आरईसी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीएमओ	नियंत्रित गवर्नर मोड प्रचालन
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
आरएलएनजी	पुनर्गैसीकृत लिक्वीफाईड प्राकृतिक गैस
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर रिटर्न
आरओई	इक्विटी पर रिटर्न
आरओआर	रन ऑफ दी रिवर
आरपीसी	क्षेत्रीय विद्युत समिति
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता
आरआरआई	विनियामक अनुसंधान संस्थान
आरटीएम	वास्तविक समय बाजार
साफिर	दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम
स्काडा	पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एससीईडी	सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण
एससीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
एसईसीआई	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएचआर	स्टेशन हीट दर
एसजेवीएनएल	सतलुज जल विद्युत निगम लि.
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
एसआर	दक्षिणी क्षेत्र
एसआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एसआरपीसी	दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति
एसएसयू	राज्य क्षेत्र कंपनियां
एसटीओए	अल्पकालिक निर्बाध पहुँच
एसटीपीएस	सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीयू	राज्य पारेषण कंपनी
टीएएम	टर्म एहेड बाजार

टीएएमपी	बड़े पत्तनों की टैरिफ अधिकरण
टीबीसीबी	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली
टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो विकास निगम
टीओआर	संदर्भ की शर्तें
टीपीएस	थर्मल विद्युत केन्द्र
टीएसए	पारेषण सेवा करार
उदय	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
यूएचवीएसी	अल्ट्रा उच्च वोल्टेज वैकल्पिक करंट
यूआई	अननुसूचित अंतर्विनिमय
यूएमपीपी	अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना
वीएटी	मूल्य वर्द्धित कर
वाईटीसी	वार्षिक पारेषण प्रभार

1.
आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब वर्ष 1994 में संस्तुत विद्युत के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्ड' का गठन करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यावसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि 'राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।'

इस प्रकार, केंद्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ तर्कसंगतता आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केंद्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने केविविआ के दायित्वों के दायरे में काफी विस्तार किया है। ईआरसी अधिनियम, 1998 के अधीन केविविआ में केवल टैरिफ अवधारण करने की शक्तियां निहित थीं। विद्युत अधिनियम, 2003 ने केविविआ को टैरिफ अवधारण करने की शक्तियों के अतिरिक्त कई अन्य दायित्व सौंपे हैं। इनमें अंतर–राज्यिक पारेषण, अंतर–राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने और परिणामतः अनुज्ञप्ति को संशोधित, निलंबित और रद्द करने की शक्ति, प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करके और उनका अनुपालन सुनिश्चित करके अनुज्ञप्तिधारियों को विनियमित करने की शक्तियां आदि शामिल हैं।

आयोग अर्ध–न्यायिक हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल है। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विद्याओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

अधिदेश

जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है:

क. केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;

ख. खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;

ग. विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;

घ. विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

ङ. किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर–राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;

च. उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

छ. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उदगृहीत करना;

ज. ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

झ. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;

ञ विद्युत के अंतर–राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;

ट. ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

केंद्रीय सरकार को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना:

क. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;

ख. विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता का संवर्धन करना;

ग. विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन;

घ. केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

2.
मिशन विवरण

मिशन विवरण

आयोग की थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अंतर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह दने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्य–

क. भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी), उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना।

ख. एक कारगर टैरिफ अवधारण तंत्र तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।

ग. अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना।

घ. अंतर–राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।

ङ विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।

च. सभी पणधारियों के लिए जानकारी देने में सुधार लाना।

छ. थोक ऊर्जा तथा पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तनों को सुकर बनाना।

ज. प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के सृजन के प्रथम उपाय के रूप में, पर्यावरणीय, सुरक्षा तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमा के भीतर पूंजी तथा प्रबंधन के लिए प्रवेश तथा निकासी की बाधाओं के संबंध में सलाह देना।

मार्गदर्शक सिद्धांत

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता है:

क. सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण।

ख. पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना।

ग. एक ओर विचारों में संगत रहते हुए, विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना।

घ. यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासंभव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों।

ङ विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना।

च. विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।

3.
अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

श्री जिश्नु बरूआ

अध्यक्ष

(2 मार्च 2023 से कार्यरत)

श्री जिश्नु बरूआ पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जो वर्ष 1988 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए और इन्हें इनका गृह संवर्ग, असम–मेघालय संवर्ग, आबंटित किया गया। असम राज्य सरकार में अपने सेवा करियर में, श्री बरूआ ने जिलों के उपायुक्त (1994–1997), 1997–2001 में असम औद्योगिक विकास निगम (एआईडीसी) के प्रबंध निदेशक, आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक, गृह एवं राजनीतिक विभाग (2007–2012) आदि जैसे क्षेत्र में कई पदों पर कार्य किया। वे वर्ष 2001–2006 से पूर्व केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी रहे उस अवधि के दौरान, वाणिज्यिक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन आदि के संघ राज्य मंत्री को निजी सचिव के रूप में सेवाएं दी और बाद में गृह मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक (पुलिस) के रूप में कार्य किया।

वर्ष 2014 से 2017 तक वे पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के संयुक्त सचिव के रूप में तैनात होकर सतर्कता, प्रशिक्षण और सेवाएं मामलों की देख–रेख की।

असम में लौटने पर, श्री बरूआ असम सरकार के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हुए जिस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के अधीन वितरण, उत्पादन और पारेषण कंपनियों के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी। तत्पश्चात, वे अपर प्रमुख सचिव, गृह एवं राजस्व विभाग के रूप में नियुक्त हुए। श्री बरूआ को 31 अक्तूबर, 2020 को असम सरकार के प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने अध्यक्ष, असम विद्युत वितरण कंपनी लि. (एपीडीसीएल) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। श्री बरूआ 31 अगस्त, 2022 को प्रमुख सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और तत्पश्चात् अध्यक्ष, असम विद्युत वितरण कंपनी के रूप में पुनःनियुक्त हुए। उन्होंने 2 मार्च, 2023 को अध्यक्ष, केविविआ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री बरूआ ने असम में विद्युत क्षेत्र में दो कार्यकाल, अर्थात् वर्ष 2017–2018 में और जून 2021 से फरवरी, 2023 तक सेवाएं दी। वे वर्ष 2017–18 में प्रधान सचिव, विद्युत और अध्यक्ष, एपीडीसीएल थे जब एपीडीसीएल ने प्रथम बार 100% से अधिक में संग्रह दक्षता को दर्ज कर इतिहास बनाया। उस वर्ष में, रु. 4759.45 करोड़ के राजस्व मांग के विपरीत, 102.61% की संग्रह दक्षता के साथ रु. 4883.90 करोड़ वसूल किए गए। बेहतर संग्रह दक्षता के साथ, वित्त वर्ष 2017–18 के लिए उस वर्ष के एटीएंडसी हानियां, 17.75% के यूडीएवाई लक्ष्य के विपरीत, 15.71% तक कम हुईं।

वित्त वर्ष 2021–22 में अध्यक्ष, एपीडीसीएल के रूप में उनके द्वितीय कार्यकाल में, कंपनी के इतिहास में संग्रह दक्षता दूसरी बार 100% से अधिक रही। वित्त वर्ष 2021–22 में, वर्ष के दौरान रु. 6083.55 करोड़ की मांग के विपरीत 103.47% की संग्रह दक्षता के साथ रु. 6294.81 करोड़ का संग्रह हुआ और एटीएंडसी हानियां 16.95% रही। राजस्व संग्रह में सुधार, राजस्व संग्रह पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने, समुचित वितरण ट्रांसफार्मरों को उपभोक्ताओं के उचित सूचीकरण, मीटर रीडिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, राजस्व संग्रह के लिए समर्पित व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से आक्रामक निगरानी, संग्रह और बिलिंग डाटा के निरंतर सूक्ष्म और विस्तृत विश्लेषण, शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटरों के संस्थापन, दूरदराज के क्षेत्रों में राजस्व संग्रह एजेंटो की तैनाती (ईजी पे एजेंट के रूप में भी ज्ञात) आदि के कारण संभव हुआ।

सेंट स्टीफन्स कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर श्री बरूआ, वर्ष 2006 में नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) में स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज पर 46वें कोर्स में भी उपस्थित हुए। उन्हें एनडीसी में उनकी थीसिस के लिए मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा एम. फिल डिग्री भी प्रदान की गई।

श्री आई.एस. झा
सदस्य
(21 जनवरी 2019 से कार्यरत)

श्री आई. एस. झा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में जनवरी, 2019 से सदस्य हैं। अपने मौजूदा कार्य से पूर्व, उन्होंने वर्ष 2015 से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., राज्य–चलित पारेषण प्रयोज्यता, के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

श्री आई.एस. झा, विद्युत क्षेत्र के सभी पक्षों, जैसे कि, उत्पादन, पारेषण, प्रणाली प्रचालन, वितरण सहित ग्राहकों को अंतिम मील संयोजकता तथा विनियामक पहलुओं में 38 वर्षों से अधिक का प्रचुर तथा विविध कार्य अनुभव रखने वाले एनआईटी जमशेदपुर से इलेक्ट्रीकल अभियंता हैं। उन्होंने वर्ष 1981 में एनटीपीसी में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया तथा वर्ष 1991 में पावरग्रिड में कार्यभार संभाला। एनटीपीसी तथा पावरग्रिड में अपने कार्यकाल के दौरान, वे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के अवधारणीकरण, योजना, डिजाइन, अभियांत्रिकी, मॉनिटरिंग तथा कार्यान्वयन से जुड़े रहे। तदुपरांत जनवरी, 2019 में उन्होंने केविविआ में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।

उन्होंने देश में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के साथ समेकित सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड के विकास का आरंभ किया। पारेषण क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ, श्री झा ने राष्ट्रीय ग्रिड के अवधारणीकरण तथा कार्यान्वयन, पड़ोसी देशों के साथ क्रॉस–बार्डर अंतःसंबंधों, नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर, लंबी दूरी के मल्टी–टर्मिनल एचवीडीसी पारेषण प्रणाली 1200 किलोवाट यूएचवीएसी प्रणाली इत्यादि की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

वे प्रौद्योगिक कौशल एवं जन–केन्द्रित नेतृत्व के लिए सुविख्यात हैं। वे वृहत इलैक्ट्रिक प्रणालियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिषद् (सीआईजीआरई) – भारत के अध्यक्ष हैं, शीर्ष गवर्निंग बॉडी अर्थात् सीआईजीआरई की संचालन समिति – पेरिस और अन्य व्यवसायिक निकायों के सदस्य हैं। उनहोंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल/सम्मेलनों में विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में 50 से अधिक तकनीकी पेपर, बड़ी मात्रा में लेख प्रकाशित/प्रस्तुत किए गए हैं। वे "रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी" तथा "स्मार्ट ग्रिड फंडामेंटल एंड एप्लीकेशंस" नामक दो पुस्तकों में सहयोगी लेखक रहे हैं। श्री झा विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में तकनीकी नवोन्मेषों के लिए पेटेंट्स हेतु भी प्रयासरत हैं।

श्री अरूण गोयल
सदस्य
(7 अप्रैल 2020 से कार्यरत)

श्री अरुण गोयल, अप्रैल, 2020 से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हैं। वे केंद्र शासित प्रदेश कैडर के वर्ष 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और अगस्त, 2019 में भारत सरकार के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनका अंतिम कार्य, कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) था। सेवानिवृत्ति के बाद सितंबर, 2019 से मार्च, 2020 तक उन्हें 'जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आस्तियों और देनदारियों के विभाजन पर सलाहकार समिति' के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री अरुण गोयल को भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष रूप से विद्युत, वित्त, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्रों में 34 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। वे सुधारों, संस्था निर्माण और संगठनों में प्रणालीगत परिवर्तन लाने के जिज्ञासु हैं। वे वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने और उसके बाद के कार्यान्वयन; वित्तीय आसूचना इकाई और एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था की स्थापना और भारत के जीएटीटी से विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तन सहित भारत में प्रमुख सुधारों और परिवर्तनों का हिस्सा रहे हैं।

दिल्ली के विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के विभिन्न चरणों के दौरान तीन कार्यकालों के साथ उन्हें विद्युत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त है और उन्होंने प्रमुख सचिव (विद्युत); सीएमडी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड; सीएमडी, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेडय अध्यक्ष, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेडय अध्यक्ष, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तत्कालीन दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के अतिरिक्त महाप्रबंधक (प्रशासन) सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक विद्युत सुधारों को आगे बढ़ाने और स्थिर करने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली विद्युत बोर्ड का विभाजन हुआ और वितरण का निजीकरण हुआ। उन्होंने 30 मई 2014 को विनाशकारी आंधी से उत्पन्न दिल्ली में बड़े विद्युत संकट को प्रभावी ढंग से संभाला और दिल्ली की विद्युत पारेषण प्रणाली के उन्नयन के लिए व्यापक निवेश योजना तैयार की। प्रधान सचिव (विद्युत), गोवा सरकार के रूप में, उन्होंने भारत सरकार और गोवा सरकार के बीच '24×7 पावर फॉरऑल' एमओयू को अंतिम रूप दिया और हस्ताक्षर किए।

उन्होंने कैबिनेट सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय में साढ़े तीन साल से अधिक समय तक परियोजना मॉनिटरिंग समूह के प्रमुख के रूप में कई विद्युत पारेषण और उत्पादन परियोजनाओं सहित कई मेगा और रुकी हुई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्हें भारत सरकार में वित्त और वाणिज्य के विभिन्न पहलुओं में 13 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वे विशेष सचिव, जीएसटी कांउसिल; मंत्री (आर्थिक और वाणिज्यिक), भारतीय दूतावास, टोक्यो; निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई–भारत; और उप सचिव, वाणिज्य मंत्रालय के पदों पर कार्यरत रहे। वे लगभग दो वर्षों तक सचिव (वित्त) और अंडमान और निकोबार प्रशासन के उपराज्यपाल के सचिव भी रहे।

उनके द्वारा 'दिल्ली पावर सेक्टर रिफॉर्म्स' पर तैयार किए गए व्यष्टि अध्ययन ने मुंबई में इंडिया टेक फाउंडेशन इवेंट (2004) में प्रथम पुरस्कार जीता और एलबीएसएनएए, मसूरी (2014) में आईएएस अधिकारियों के लिए फेस–V प्रशिक्षण के दौरान 'इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन' पर पॉलिसी पेपर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें डीसीई–डीटीयू एलुमनी एसोसिएशन (2018) द्वारा विशिष्ट एलुमनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

श्री अरुण गोयल को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त है; वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से एमबीए (पीजीडीएम); एचपी विश्वविद्यालय से एमए (अर्थशास्त्र) और ग्लासगो कैलेडोनियन विश्वविद्यालय, यूके से एमएससी (विकास प्रबंधन) हैं।

श्री प्रवास कुमार सिंह
सदस्य
(22 फरवरी 2020 से कार्यरत)

श्री प्रवास कुमार सिंह, 22 फरवरी, 2021 को शपथ लेने के बाद से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (विधि) हैं। वे प्रधान जिला न्यायाधीश के पद पर झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी थे और 32 वर्ष से अधिक समय तक बिहार और झारखंड की जिला न्यायपालिका में सेवा की। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली में तैनाती के साथ राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था, परंतु उन्होंने प्रासंगिक समय पर कुछ व्यक्तिगत कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उक्त पद के लिए श्री सिंह की उम्मीदवारी की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के दो मौजूदा न्यायाधीशों और अन्य ने की थी।

इस कार्य में शामिल होने से पूर्व, वे जून 2019 से फरवरी, 2021 की अवधि में झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य (विधि) के रूप में कार्यरत थे। एच. डी. जैन कॉलेज आरा से अर्थशास्त्र ऑनर्स में स्नातक करने के बाद, उन्होंने बिहार के प्रतिष्ठित पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है।

सिविल कोर्ट पटना में प्रारंभिक अभ्यास के बाद – उन्होंने वर्ष 1986 में बिहार सिविल (न्यायिक शाखा) सेवा में प्रवेश किया और छपरा, भागलपुर, मधुबनी, नालंदा और जमशेदपुर में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची और लोहरदगा के रूप में तैनात किया गया था। रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के रूप में श्री सिंह की नियुक्ति उल्लेखनीय थी, विशेष न्यायाधीश सीबीआई के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, विभिन्न दीवानी, आपराधिक और अन्य मामलों के अलावा, उनके द्वारा ऐतिहासिक निर्णय आरसी 20 (ए)/96 पारित किया गया था – संसद के दो माननीय सदस्यों और विधान सभा के कई माननीय सदस्यों ने निर्णय की शक्ति से अपनी सदस्यता खोई, यह देश में पहला निर्णय था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे माननीय सदस्यों ने अपनी सदस्यता खोई। इस मामले में दो भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, कई एमएलए, कुछ आईएएस अधिकारियों, मुख्य आयकर आयुक्त और अन्य उच्चाधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया था। शीघ्र निस्तारण के प्रयासों की सभी ने सराहना की। "इंडिया टुडे", एक प्रमुख पत्रिका ने अपने अंग्रेजी/हिंदी दोनों संस्करणों में "जजेस ऑफ कैरेक्टर" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया।

विभिन्न जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कई लोक सेवा कार्यों का नेतृत्व किया गया। पीड़ित मुआवजे के संबंध में श्री सिंह द्वारा अपनाए गए एक नवोन्मेषी विचार की झारखंड उच्च न्यायालय ने न्यायिक आदेश में सराहना की।

श्री सिंह ने कुछ समय के लिए झारखंड उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में भी कार्य किया। कई स्थानों पर प्रधान जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद – उन्हें झारखंड सरकार के प्रधान सचिव (विधि)–सह–एल. आर. के रूप में तैनात किया गया। इस कार्यकाल के दौरान, कई अधिनियम, नियम, विनियम पुनरीक्षण हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए और वे सदा राज्य में विधि निर्माण का हिस्सा रहे।

श्री सिंह का झारखंड न्यायिक सेवा संगठन के सचिव के रूप में एकमत से निर्वाचन हुआ और वर्तमान में वे अखिल भारतीय न्यायाधीश संगठन के कार्यकारी सदस्य हैं।

4.
पूर्व वर्ष
एक अवलोकन

पूर्व वर्ष एक अवलोकन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा उसे सौंपे गए उत्तरदायित्वों से अवगत होकर, विद्युत क्षेत्र में और अधिक सुधारों के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलें कीं।

आयोग को निर्णय के लिए बड़ी संख्या में याचिकाएं प्राप्त होती हैं। इस वर्ष के दौरान, 437याचिकाएं प्राप्त हुईं। इससे, पिछले वर्ष से आगे बढ़ाए जाने के साथ याचिकाओं का कुल योग 1187 हुआ। आयोग ने विधि की विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए 559याचिकाओं में आदेश पारित किए।

आदेशों के अतिरिक्त, आयोग ने क्षेत्र के लिए दूरगामी प्रभाव वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विनियम जारी किए। आयोग के स्टाफ ने भविष्य के लिए बाजार सुधारों पर बहस और हितधारकों के विचार जानने के लिए चर्चा पत्र भी प्रकाशित किए।

1. **राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर) के माध्यम से अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए क्रियाविधि**

   केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2018 के विनियम 4 के अनुसार, एनएलडीसी ने एनओएआर के माध्यम से निर्बाध पहुंच को संचालित करने के लिए विस्तृत क्रियाविधि के अनुमोदन हेतु आयोग को अनुरोध किया।

   आयोग ने एनएलडीसी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत क्रियाविधि की जांच करने के बाद और उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद 1 अप्रैल, 2022 को "राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री (एनओएआर) के माध्यम से अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए क्रियाविधि" को अनुमोदित किया।

2. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2022**

   इन विनियमों का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) के प्रत्यायन, पंजीकरण, निर्गमन और विनिमय के लिए निबंधन और शर्तों हेतु सामर्थ्यकारी विनियामक उपबंध प्रदान करना है। विनियम, अन्य बातों के साथ, प्रमाणपत्रों के प्रत्यायन, पंजीकरण और निर्गमन की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और नए और उच्च लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रमाणपत्र गुणक प्रस्तुत करते हैं।

3. **ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लैटफॉर्म, 2022 की स्थापना और प्रचालन करने के लिए पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने हेतु दिशानिर्देश**

   केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 के विनियम 44 के खंड (1) के अनुसार, आयोग ने ओटीसी प्लैटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन करने के लिए पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने हेतु दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया।

4. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस और प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2019 के विनियम 32 के अधीन "प्रमुख प्रदर्शन सूचकों के लिए विनिर्दिष्ट मेट्रिक्स के परिकलन हेतु विस्तृत क्रियाविधि"**

   केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस और प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2019 के परिशिष्ट–v अनुसार, एनएलडीसी ने आयोग के अनुमोदन हेतु प्रमुख प्रदर्शन सूचकों के लिए विनिर्दिष्ट मेट्रिक्स के परिकलन हेतु विस्तृत क्रियाविधि को प्रस्तुत किया। आयोग ने 20 मई, 2022 को "प्रमुख प्रदर्शन सूचकों के लिए विनिर्दिष्ट मेट्रिक्स के परिकलन हेतु विस्तृत क्रियाविधि" को अनुमोदित किया।

5. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता तथा सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022**

   आयोग ने नेटवर्क पहुंच प्रदान करने और इसके उपयोग को सरल बनाने की दृष्टि से, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता तथा सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 आरंभ किया। ये विनियम उत्पादकों और वितरण कंपनियों द्वारा संयोजकता और नेटवर्क पहुंच प्राप्त करने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।

6. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों में व्यवहार के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022**

   बीईई ने दिनांक 30.08.2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ऊर्जा सरंक्षण (संशोधन) नियम, 2022 के अनुसार ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएससर्ट्स) के लिए फ्लोर कीमत का अवधारण और निर्धारित करने के उद्देश्य से केविविआ (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों में व्यवहार के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2016 में आवश्यक संशोधन हेतु केविविआ को अनुरोध किया। उपर्युक्त को देखते हुए, 2 नवम्बर, 2022 तक हितधारकों और इच्छुक व्यक्तियों से उपर्युक्त मसौदा विनियमों पर भेजे जाने वाली टिप्पणियाँ/सुझाव/आपत्तियाँ आमंत्रित करने वाले नोटिस के साथ, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों में व्यवहार के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022 का मसौदा और व्याख्यात्मक ज्ञापन केविविआ की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे।

   विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त करने के बाद, अंतिम संशोधित ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र विनियम और विनियमों के कारणों के विवरण 7 दिसम्बर, 2022 को अधिसूचित किए गए थे।

7. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (पहला संशोधन) विनियम, 2023**

   केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 के कार्यान्वयन में सीटीयू और एनएलडीसी द्वारा पहचाने गए मुद्दों को कम करने के उद्देश्य से, आयोग ने निम्नलिखित व्यापक प्रस्तावों को शामिल करते हुए शेयरिंग विनियमों में पहला संशोधन बनाया:

   क) अदाकर्ता डीआईसी द्वारा आईएसटीएस प्रभारों की शेयरिंग

   ख) विनिर्दिष्ट आरई स्रोतों से विद्युत के आहरण के लिए आईएसटीएस प्रभारों में छूट के लिए कार्यप्रणाली

   ग) जीएनए विनियमों के अधीन संयोजकता और जीएनए के साथ का एलटीए, एमटीओए संरेखण

   घ) अन्य संशोधन

5.
विनियामक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

1. विनियामक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

केंद्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है:

i. विनियमों को अधिसूचित करता है

ii. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है:

क. टैरिफ का अवधारणा करने

ख. अनुज्ञप्ति जारी करने

ग. प्रकीर्ण मामले

विनियमों के लिए क्रियाविधि

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारीवृंद स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद, परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। आक्षेप और सुझावों की प्राप्ति पर,

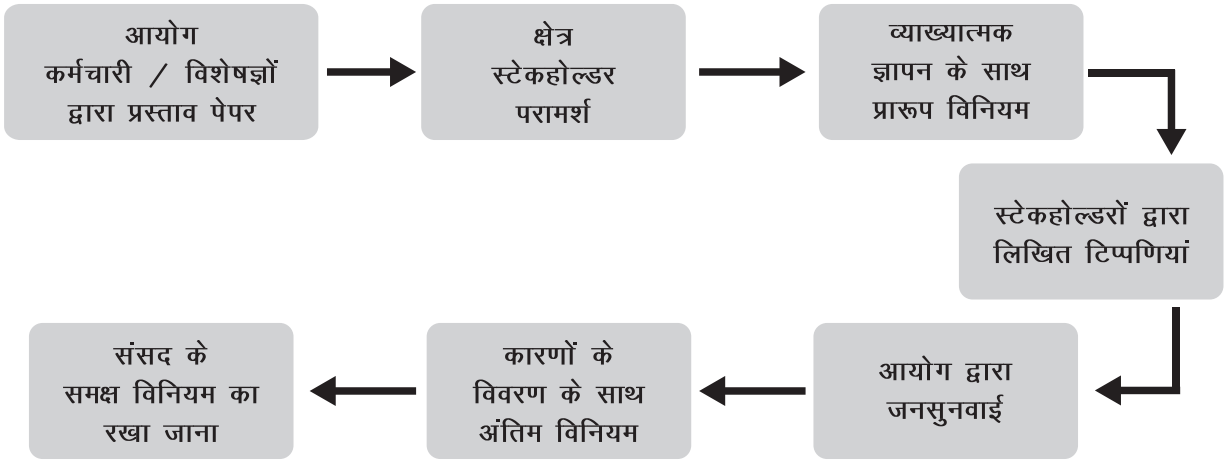

चित्रः विनियम के निर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के प्रवाह का चित्र

मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है।

प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार–विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किए जाते हैं। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रारूप विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्रवाई की जाती है। इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। आक्षेप और सुझाव प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।

याचिकाओं से संबंधित आदेशों के लिए प्रक्रिया

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं:

I. उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का निर्धारण करन ;

II. विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण और अंतर–राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन

भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं:

I. विविध याचिकाएं

II. पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के प्रति सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदकों से, टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा भी की जाती है। तत्पश्चात, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी को, आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अनुमति है।

टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सृजन के पूर्व, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और नीपको, का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को, अन्य बातों के साथ–साथ, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात आयोग ने टैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों को तीन वर्ष की अवधि, अर्थात 2001–04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम, 2003 (जिससे अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात् आयोग ने 2004–09 की पांच वर्ष की अवधि तथा मार्च, 2009 में 2009–14 की एक और पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों और वर्ष 2014–19 की टैरिफ अवधि के लिए फरवरी, 2014 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में केन्द्र/स्टेशन/राज्य–वार उत्पादन टैरिफ तथा लाइन या प्रणाली–वार पारेषण टैरिफ को निर्धारण करने का उपबंध है। आयोग ने 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 जारी किया जो 1.4.2019 से 31.03.2024 तक प्रभावी है।

टैरिफ समय–समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदंड और तकनीकी मानदंड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आंरभिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक। थर्मल केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं। टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ के लिए, लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधार ईंधन कीमत और सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न–भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये केंद्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और क्रेता केंद्रों से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं।

6.
2022-23
के दौरान गतिविधियां

2022-23 के दौरान गतिविधियां

विधिक कार्यवाहियां

वर्ष 2022–23 के दौरान 437 याचिकाएं रजिस्टर्ड की गईं। इसके अलावा 750 याचिकाएं पूर्ववर्ती वर्ष 2021–22 से ली गईं, जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 1187 हो गई। इसमें से 559 याचिकाएं 2022–23 के दौरान निपटाई गईं। निपटाई गई याचिकाओं की विस्तृत स्थिति अनुबंध 1 में दी गयी हैं।

2022–23 में जारी किये गये मुख्य निर्णय/विनियम 2022–23

1. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022

उक्त विनियम अधिनियम 2003 की धारा 178 की उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस ओरसे सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा जारी किये गये। आयोग ने 15.2.2022 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसमें ड्राफ्ट अधिसूचना पर सुझावों/टिप्पणियों आपत्तियों को आमंत्रित किया गया और 30.3.2022 को सार्वजनिक सुनवाई की गयी।

विनियमों में प्रत्यायन, रजिस्ट्रेशन जारी करने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के विनिमय के लिए निबंधन एवं शर्तों की व्यवस्था है। विनियमों में पावर एक्सचेंजों के अतिरिक्त विद्युत व्यापारियों के माध्यम से प्रमाणपत्रों के विनिमय की संभावना को विस्तार दिया गया और नयी एवं उच्च लागत नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाणपत्रों मल्टी प्लायर को आरंभ किया गया। प्रत्यायन, रजिस्ट्रेशन और आरईसी को जारी करने की प्रक्रिया को सरल किया गया।

2. ओवर द काऊंटर (ओटीसी) प्लेटफार्म 2022 में प्रचालन और स्थापना के लिए आवेदन दाखिल करने और रजिस्ट्रेशन के लिए मार्गनिर्देश

आयोग ने 15 फरवरी 2021 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट विनियम) 2021 को अधिसूचित किया जो 15 अगस्त 2021 से प्रभावी हुआ। पावर मार्केट विनियम 2021 के भाग 6 में ओटीसी प्लेटफार्म से संबद्ध उपबंधों को विनिर्दिष्ट किया गया है। आयोग ने इन विनियमों के अनुसरण में ओटीसी प्लेटफार्म के प्रचालन और स्थापना के लिए आवेदन दाखिल करने और रजिस्ट्रेशन करने और मार्गनिर्देशों को अधिसूचित किया। ओटीसी प्लेटफार्म से अभिप्राय विद्युत के क्रेताओं और विक्रेताओं में सूचना के विनिमय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना है।

3. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम 2022

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 की धारा 40 और धारा 79 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने केविविआ (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम 2022 को 7.6.2022 को अधिसूचित किया।

ये विनियम ग्रिड के लिए पहुंच और संयोजकता की प्रक्रिया को सरल करता है और विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निर्बाध पहुंच को सरल बनाने के लिए कारगर होता है। विनियमों के अनुसार उत्पादक, ईएसएस, आरई पावर पार्क विकासकर्त्ता 50 मेगावाट या 5 मेगावाट, यथास्थिति, की न्यूनतम क्षमता के अध्यधीन आईएसटीएस के लिए संयोजकता की मांग कर सकते हैं जो 30 दिनों / 60 दिनों के अंदर सैद्धांतिक रूप से प्रदान किये जाएंगे जो इस बात पर निर्भर करता है कि संयोजकता संबद्ध पारेषण प्रणाली या मौजूदा नेटवर्क में प्रदान की जा सकती है। संयोजकता इस शर्तों के अध्यधीन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों के मामलों को छोड़कर अंतरणीय नहीं है कि पैरेंट कंपनी को प्रदान की गयी संयोजकता इसकी अनुषंगी द्वारा या इसके विपरीत उपयोग की जा सकती है।

विनियम में यह भी विनिर्दिष्ट है कि प्रत्येक राज्य के पास आईएसटीएस के लिए सामान्य नेटवर्क पहुंच होगी। राज्य जीएनए मात्रा के अंदर डे अहेड आधार पर गुण दोष आधार के निर्धारण पर आधारित

दीर्घकालिक या मध्यकालिक या अल्पकालिक कांट्रेक्टों के अधीन विद्युत अनुसूची के लिए समर्थ होगी।

जीएनए से आगे कोई आहरण पर अतिरिक्त प्रभार होगा और एक बार प्रदान किया जीएनए अधित्याग तक वैध होगा। संयोजकता अनुदान ग्राही को संयोजकता की आरंभिक तारीख से संयोजकता की मात्रा के बराबर प्रदान किये गये जीएनए डीम्ड माना जाएगा। विनियमों में 11 माह तक एक ब्लॉक की समय अवधि के लिए क्रेता की ओर से इकाई या पात्र क्रेता को प्रदान किये गये आईएसटीएस को निर्बाध पहुंच के रूप में अस्थाई जीएनए की अवधारणा की विशेषता है।

4. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के संबंध में निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम 2022.

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण नियमावली, 2022 (मूल नियम) को संशोधित करने के लिए 30.08.2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2022 को अधिसूचित किया जिसमें फ्लोर कीमत के लिए विर्निदेशन और ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के फ्लोर कीमत के लिए परिभाषा को शामिल किया गया। तद्नुसार, बीईई ने उस उर्जा बचत प्रमाणपत्रों के लिए फ्लोर कीमत निर्धारित करने और अवधारित करने के उद्देश्य से केविविआ (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2016 में आवश्यक संशोधन करने के लिए/उपयुक्त संशोधन के लिए केविविआ से अनुरोध किया। उक्त को ध्यान में रखते हुए, ड्राफ्ट केविविआ (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों में लेनदेन के लिए निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम 2022 और व्याख्यात्मक ज्ञापन को स्टेकहोल्डर से टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक नोटिस सहित केविविआ की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।

विभिन्न स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियांप्राप्त करने के बाद, अंतिम संशोधित ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों विनियम और विनियमों के कारणों का विवरण 7 दिसम्बर 2022 को अधिसूचित किया गया। संशोधित विनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित उपभोग की गयी ऊर्जा के समतुल्य तेल के एक मीट्रिक टन के 10 प्रतिशत पर फ्लोर कीमत (न्यूनतम कीमत होने के नाते जिस पर ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों को पावर एक्सचेजों पर व्यापारित किया जाएगा) को विनिर्दिष्ट करता है।

5. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम 2023

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2020 के उत्तर अधिसूचना में कुछ विषयों को सीटीयू और एनएलडीसी द्वारा आयोग के नोटिस में लाया गया था।

इसके अलावा, जीएनए विनियम 2022 को अधिसूचित किया गया जिसमें जीएनए विनियमों के साथ उसे समरूप करने के उद्देश्य से 2020 शेयरिंग विनियमों में परिणामी परिवर्तनों को आकर्षित किया। इस प्रकार आयोग ने विनियम 2020 के शेयरिंग में प्रथम संशोधन को तैयार किया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विनिर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के आहरण के लिए आईएसटीएस प्रभारों के अधित्याग के लिए पद्यति को तैयार किया। ये संशोधन जीएनए विनियमों के अधीन जीएनए और संयोजकता के साथ एलटीए, एमटीओए के अनुरूप रहा।

ड्राफ्ट विनियमों पर सार्वजनिक सुनवाई 10.10.2022 को आयोजित की गयी। ड्राफ्ट विनियमों पर प्राप्त सुझावों के आधार पर संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया और उसे 7.02.2023 को अधिसूचित किया गया।

पावर एक्सचेंज

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान भारत में 3 पावर एक्सचेंज थे, अर्थात मैसर्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एचपीएक्स), आईईएक्स और पीएक्सआईएल ने क्रमशः 27 जून 2008 और 28 अक्तूबर 2008 से अपना प्रचालन आरंभ किया। आयोग ने तीसरे पावर एक्सचेंज अर्थात हिंदुस्तान पावर लिमिटेड को 12.05.2021 के आदेश के माध्यम से

रजिस्ट्रेशन प्रदान किया। एचपीएक्स ने 06.07.2022 से अपना प्रचालन आरंभ किया।

आयोग ने विद्युत क्षेत्र में विकास के साथ–साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पावर मार्केट को विनियमित करने और विकसित करने के लिए फरवरी 2021 मे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2021 अधिसूचित किया। विनियमों का मुख्य उद्देश्य व्यापक बाजार संरचना के सृजन में मदद करने और पावर मार्केट में सभी प्रकार के संभावित उत्पादों के संव्यवहार, निष्पादन और कान्ट्रेक्ट को सक्षम बनाना रहा।

बेहतर वास्तविक समय ऊर्जा प्रबंधन के लिए, आयोग ने ''विद्युत के लिए वास्तविक समय बाजार के लिए फ्रेमवर्क' 'तैयार किया और 12.12.2019 को संगत विनियमों के लिए आवश्यक सुझावों को अधिसूचित किया। वास्तविक समय बाजार 1.06.2020 से प्रचालन में आये।

आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा के अल्पकालिक व्यापार के लिए अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने के लिए पावर एक्सचेंजों के संबंध में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जी–टेम) कांट्रेक्टों की शुरुआत के लिए अनुमोदन की सहमति दी। जीटेम को अगस्त 2020 में आरंभ किया गया और 3 पावर एक्सचेंजों पर प्रचालन किया गया।

डे अहेड आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत के व्यापार के लिए मार्ग प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग ने 17 अक्तूबर 2021 के अपने आदेश के माध्यम से पावर एक्सचेंजों के मामले में जीडैक की शुरुआत को अनुमोदित किया। इसके माध्यम से आरई पावर का व्यापार आरई और पारंपरिक पावर के लिए अलग कीमत गठन सहित डे अहेड मार्किट में पारंपरिक विद्युत के साथ समेकित किया गया है। ये क्षेत्र अक्तूबर 2021 से प्रचालन में रहा और 3 पावर एक्सचेंजों पर व्यापार के लिए उपलब्ध है।

वर्ष 2022–23 में, आयोग ने 7 जून 2022 को टर्म अहेड मार्केट और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट में डिलीवरी टी 2 दिन के आगे सहित दीर्घ अवधि कान्टेक्टों की शुरुआत को अनुमोदित किया जो 11 दिनों तक पहले सीमित किया गया। इन कान्ट्रैक्टों की शुरुआत 6.10.2021 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष के कारण संभव हुआ। जो दोनों के बीच पहुंचे करार के अनुसार के विविआ और सेबी के बीच क्षेत्राधिकार मामले को अनुकूल रूप से निपटान किया जिसमें व्यवस्था है कि केविविआ सभी भौतिक डिलीवरी कान्ट्रेक्टों को विनियमित करेगा जबकि वित्तीय कान्ट्रेक्ट सेबी द्वारा विनियमित होंगे। पावर एक्सचेंजों में दीर्घ अवधि कान्ट्रेक्टों को पारंपरिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों दोनों के अधीन गैरअंतरणीय डिलीवरी आधारित फारवर्ड कान्टेक्टों (एनटीएसडी कान्ट्रेक्ट) के रूप में अनुमति है। आयोग ने फिलहाल 3 महिने की अधिकतम अवधि के लिए इन कान्ट्रेक्टों को अनुमोदित किया। ये कान्ट्रेक्ट विदयुत प्राप्ति लागतों को अधिकतम करने और कीमत लोचशीलता के जोखिम की हैजिंग में मदद करेंगे। आयोग ने दैनिक, साप्ताहिक मासिक और किसी दिन सिंगल साइट कान्ट्रेक्टों की शुरूआत की अनुमति दी। इन कान्ट्रेक्टो में व्यापार जून 2022 से आरंभ हुआ।

आयोग ने 16.02.2023 को आई–डेम में एचपी डेम की शुरुआत को अनुमोदित किया। समर्पित बजार खंड को उच्च लागत उत्पादकों के लिए लागू किया गया जो मौजूदा कीमत सीमा के कारण डे अहेड मार्केट में सहभागिता के लिए अन्यथा समर्थन हीं रहे। बोली कीमत रेंज आरंभिक रूप से 0 रु/किलोवाट घंटे से 50 रु/किलोवाट घंटे के बीच रही और बाद में 11.04.2023 से 20 रु/किलोवाट घंटे में संशोधित हो गयी। एचपी डेम संव्यवहारों के लिए अनुसूचिकरण सामूहिक संव्यवहारों के लिए एनएलडीसी क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी। फिलहाल केवल निम्नलिखित श्रेणियां विक्रेताओं के रूप में एचपी डेम में सहभागिता के लिए पात्र हैं।

(i) आयातित आरएलएनजी और नेफ्था का प्रयोग करते हुए गैस आधारित उत्पादन स्टेशन

(ii) केवल आयातित कोयले का प्रयोग करते हुए आयातित कोयला आधारित उत्पादन स्टेशन

(iii) बैटरी ऊर्जा स्टोरेज प्रणाली।

उक्त सूची आयोग द्वारा समीक्षा के अध्यधीन है। आई डेम में क्रेता और विक्रेता दोनों इस प्रकार के मामले में कीमत प्रीमियम को प्रस्तुत करते हुए एचपी डेम में डेम से अपनी अचयनित बोलियों को आगे ले जाने के लिए विकल्प कर सकते हैं। क्रेता पारंपरिक डेम से अचयनित बोलियों की उनकी अधिकतम मात्रा को उदृत करने के लिए विकल्प दे सकता है कि वे एचपी डेम क्षेत्र के लिए आगे ले जाना उचित समझेंगे। एचपी डेम क्षेत्र में व्यापार 10 मार्च 2023 से आरंभ हुआ।

बाजार मॉनिटरिंग कक्ष

केविविआ का बाजार मॉनिटरिंग कक्ष (एमएमसी) विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट के विविआ की वेबसाइट पर अगस्त 2008 से नियमित रूप से पोस्ट की जा रही है और इसे भारत में विद्युतके अल्पकालिक संव्यवहारों पर सूचना के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक माना जाता है।

रिपोर्ट का केन्द्रः (i) विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की मात्रा और कीमत के बारे में सूचना प्रदान करना, (ii) बाजार के सहभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना, (iii) पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की मात्रा पर संकुलन के प्रभाव का विश्लेषण करना, (iv) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की मात्रा और कीमत के बारे में सूचना प्रदान करना, और (v) मासिक आधार पर हितधारकों को अन्य प्रासंगिक बाजार सूचना का प्रसार करना है। मासिक रिपोर्ट के अतिरिक्त, एमएमसी अल्पकालिक विद्युत संव्यवहारों पर वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों और विभिन्न प्रकार के सहभागियों द्वारा किए गए संव्यवहारों पर विश्लेषण प्रदान करती है, जिसमें पावर एक्सचेंजों पर निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं, पावर एक्सचेंजों पर व्यापारित विद्युत की मात्रा पर संकुलन के प्रभाव और सहायक सेवा प्रचालनों पर जोर दिया जाता है। अल्पकालिक संव्यवहारों में वर्ष–वार रूझान नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की मात्रा (बिलियन यूनिट)

वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत (आईईएक्स और पीएक्सआईएल)	डीएसएम की मात्रा	डिस्कॉम के बीच प्रत्यक्ष रूप से संव्यवहारित विद्युत
2009-10	26.72	7.19	25.81	6.19
2010-11	27.70	15.52	28.08	10.25
2011-12	35.84	15.54	27.76	15.37
2012-13	36.12	23.54	24.76	14.52
2013-14	35.11	30.67	21.47	17.38
2014-15	34.56	29.40	19.45	15.58
2015-16	35.43	35.01	20.75	24.04
2016-17	33.51	41.12	23.22	21.38
2017-18	38.94	47.70	24.21	16.77
2018-19	47.32	53.52	25.13	19.23
2019-20	29.95	56.45	22.59	28.17
2020-21	26.67	79.59	22.91	16.84
2021-22	39.47	101.45	25.27	20.56
2022-23	33.80	102.95	26.30	31.30

कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में अल्पकालिक संव्यवहारों की कुलमात्रा			
वर्ष	विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों कुल मात्रा(बीयू)	कुल विद्युत उत्पादन* (बीयू)	कुल विद्युत उत्पादन का विदयुत के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक संव्यवहारों की कुल मात्रा
2009-10	65.90	768.43	9.6%
2010-11	81.56	852.35	9.6%
2011-12	94.51	927.75	10.2%
2012-13	98.94	969.29	10.2%
2013-14	104.64	1026.34	10.2%
2014-15	98.99	1110.07	8.9%
2015-16	115.23	1172.78	9.8%
2016-17	119.23	1241.70	9.6%
2017-18	127.62	1308.15	9.8%
2018-19	145.20	1375.86	10.6%
2019-20	137.16	1390.93	9.9%
2020-21	146.01	1380.06	10.6%
2021-22	186.75	1491.85	12.5%
2022-23	194.35	1624.47	12.0%
* कुल उत्पादन सीईए द्वारा यथापरिभाषित भारत में सकल उत्पादन है।			

व्यापारियों और पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत और डीएसएम की कीमत(₹/किलोवाट घंटा)

वर्ष	व्यापारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की भारित औसत कीमत	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की भारित औसत कीमत(डेम+जीडेम+टेम+आरटीएम+जी टेम)	डीएसएम के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की औसत कीमत
2009-10	5.26	4.96	4.62
2010-11	4.79	3.47	3.91
2011-12	4.18	3.57	4.09
2012-13	4.33	3.67	3.86
2013-14	4.29	2.90	2.05
2014-15	4.28	3.50	2.26
2015-16	4.11	2.72	1.93
2016-17	3.53	2.50	1.76
2017-18	3.59	3.45	2.03
2018-19	4.28	4.26	2.68
2019-20	4.51	3.24	2.85
2020-21	3.47	2.98	2.82
2021-22	3.72	4.69	3.75
2022-23	5.85	6.25	5.39

बोली मूल्यांकन और भुगतान के उद्देश्य से वृद्धि दरों और अन्य मापदंडों की अधिसूचना

विद्युत मंत्रालय के समय–समय पर यथासंशोधित दिनांक 19.01.2005 के ''वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु दिशानिर्देश'' के अनुसार, आयोग को प्रत्येक छह मास में, बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजन हेतु विभिन्न वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित करना आवश्यक है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग ने दिनांक 18.04.2022 और 01.10.2022की अधिसूचना द्वारा उत्पादन परियोजनाओं के लिए वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित किया है। दिनांक 30.03.2022 और 30.09.2022 की अधिसूचना द्वारा केविविआ ने पारेषण परियोजनाओं के लिए वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को भी अधिसूचित किया।

दिनांक 03.11.2020 के संशोधन के साथ पठित दिनांक 22.07.2020 के ''कोयला आधारित थर्मल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के साथ पूरक ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश'' पर विद्युत मंत्रालय के संकल्प के अनुसरण में, आयोग को बोली मूल्यांकन के उद्देश्य से विभिन्न वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित करना आवश्यक है। तदनुसार, दिनांक 18.04.2022 की अधिसूचना द्वारा, केविविआ ने उत्पादन परियोजनाओं के लिए बोली मूल्यांकन हेतु वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित किया।

समय–समय से यथासंशोधित 19.1.2005 के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण के लिए मार्गनिर्देश से संबंधित विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के खंड 5.6 (VI) के अनुसरण में और 13.4.2022 के केविविआ को विद्युत मंत्रालय के पत्र के अनुसरण में, केविविआ ने मौजूदा छमाही की अधिसूचना के अतिरिक्त अप्रैल 2022 से आगे भुगतान के प्रयोजन के लिए आयातित कोयले के अंतरदेशीय संचालन और आयातित कोयले के परिवहन, आयातित कोयले के लिए मासिक वृद्धि दरों को अधिसूचित करना आरंभ किया।

थर्मल उत्पादन

अधिनियम की धारा 62 के अधीन केन्द्रीय आयोग, निजी क्षेत्र के आईपीपी के साथ–साथ एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको), नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी), एनएचपीसी लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी), दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) सीपीएसयू आदि से जुड़ी संयुक्त उद्यम कंपनियां जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनियों के अंतर राज्यिक उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ को विनियमित करता है।

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी)

दिनांक 31.3.2023 को एनटीपीसी लिमिटेड के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 59167.23 मेगावाट है जिसमें कोयला आधारित में 48120 मेगावाट, प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित 4017.23 मेगावाट और कोयला और गैस दोनों सहित एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रमों/सहायक कंपनियों में 7030 मेगावाट शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, एनटीपीसी ने कुल 3280 मेगावाट की क्षमता जोड़ी।

दिनांक 31.03.2023 को, एनटीपीसी के कुल 44 कोयला आधारित थर्मल स्टेशन (पिट और नॉन पिट हेड), 7 गैस आधारित थर्मल स्टेशन और 6 संयुक्त उद्यम हैं। दिनांक 31.3.2023 को संस्थापित क्षमता और एनटीपीसी के प्रत्येक उत्पादन स्टेशनध्इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुलग्नक–II** में दी गई है:–

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)

31.3.2023 को डीवीसी के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 6960 मेगावाट है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरानए डीवीसी ने कोई नई क्षमता नहीं जोड़ी। 130 मेगावाट वाले चंद्रपुरा टीपीएस को 1.4.2020 को बंद कर दिया गया था। दिनांक 31.3.2023 को स्थापित क्षमता और डीवीसी के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुलग्नक–III** में दी गई है।

नॉर्थ–ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (नीपको)

दिनांक 31.3.2023 तक नीपको लिमिटेड के उत्पादन स्टेशन की कुल संस्थापित क्षमता गैस आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों की 527 मेगावाट है। प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुलग्नक–IV** में दी गई है।

नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसी)

दिनांक 31.3.2023 को नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (एनएलसीद्ध के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 4640 मेगावाट है। एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) **अनुलग्नक–V** में दी गई है।

उत्पादन स्टेशनों का टैरिफः

एनटीपीसी, डीवीसी, नीपको, ओटीपीसीएल, एनएलसीआईएल, एमपीएल और पीपीसीएल जैसे थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 31.03.2023 को ऊर्जा प्रभार **अनुलग्नक–VI** के रूप में संलग्न हैं।

हाइड्रो उत्पादन

आयोग ने वर्ष 2022–23 के दौरानए सीपीएसयू के स्वामित्व वाले केन्द्रीय क्षेत्र के हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों अर्थात् एनएचपीसीए एनएचडीसीए एसजेवीएनएलए नीपकोए एनटीपीसीए टीएचडीसी और डीवीसीए बीबीएमबीए राज्य के स्वामित्व वाला एक पावर स्टेशन अर्थात् टीयूएल और मैसर्स जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व वाला एक आईपीपी स्टेशन जो उत्तरी, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी प्रदेश में स्थित हैं, के लिए टैरिफ को विनियमित किया। दिनांक 31.3.2023 को संस्थापित क्षमता और विभिन्न प्रकार के प्रत्येक हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन का वर्ष **अनुलग्नक–VII** में दिया गया है।

वर्ष 2022–23 की अवधि के लिए केविविआ की परिधि में आने वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए समग्र टैरिफ जैसा कि नवीनतम अनुमोदित एएफसी के आधार पर उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, **अनुलग्नक–VIII** में प्रदान किया गया है।

पारेषण टेरिफ

ड्राफ्ट विनियम/स्टॉफ पेपर

1. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2022

   केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ नवीकरणीय ऊर्जा की अभिवृद्धि के कारण प्राथमिक रूप से विद्युत प्रणाली की उभरती हुई अपेक्षाओं के लिए और ग्रिड में बढ़े नवीकरणीय ऊर्जा समेकन को ध्यान में रखते हुए सामना की गयी चुनौतियों का पता लगाने के लिए ड्राफ्ट ग्रिड कोड को प्रस्तावित किया। ग्रिड कोड में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं और अधिनियम और नियमावली में तैयार किये गये संवैधानिक फ्रेमवकों के अंदर विद्युत प्रणालियों के प्रचालन से संबद्ध संबंधित सांविधिक निकायों, उत्पादन कंपनियों, अनुज्ञप्ति धारियों और किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका कार्य और उत्तरदायित्वों से संबंधित उपबंध शामिल हैं। ड्राफ्ट ग्रिड में रिजर्व के लिए फ्रेमवर्क को विनिर्दिष्ट करने के अलावा 3 नये अध्याय और संरक्षक कोड, सुरक्षा कोड और मॉनिटरिंग एवं अनुपालन कोड को शामिल करने का प्रस्ताव है।

   क. संसाधन योजना कोडः योजना कोड में संसाधन योजना कोड के रूप में इसे पुनः नाम देने का प्रस्ताव किया गया है। बॉटम अपयोजना दृष्टिकोण का सुझाव किया गया है जिसमें रक्षित कोड प्रचालन के लिए अपेक्षित मांग पुर्वानुमान उत्पादन संसाधन पर्याप्तता योजना और पारेषण संसाधन पर्याप्तता निर्धारण शामिल किय ाजाएगा। संसाधन पर्याप्तता योजना 5 वर्षों के रोलिंग आधार पर किया जाएगा ताकि उत्पादन संसाधन और प्राप्त योजना रिजर्व मार्जिन की पर्याप्तता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

   ख. संयोजकता कोडः यह प्रस्ताव किया गया है कि आईएसटीएस को संयोजकता प्रदान करना जीएनए विनियमों द्वारा अधिशासित होगा जिसमें एनएलडीसी नयी या संशोधित विद्युत प्रणाली

घटक के समेकन और पहली बार ऊर्जाकरण के लिए विस्तृत क्रियाविधि अंतःराज्यिक स्तर पर उसे तैयार करेगा। एनएलडीसी, आरएलडीसी या एसएलडीसी यथास्थिति, विद्युत प्रणाली के पहली बार ऊर्जाकरण से पूर्व संयुक्त प्रणाली अध्ययन करेगा।

ग. **संरक्षण कोड:** एक नया कोड ड्राफ्ट ग्रिड कोड में आरंभ किया गया है जिसमें संरक्षण प्रोटोकॉल, संरक्षण सेटिंग और विद्युत प्रणाली के संरक्षण ऑडिट योजना को कवर किया गया।

घ. **कमिशनिंग एवं वाणिज्यिक प्रचालन कोड:** ट्रायल रन और प्रचालन रन और वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा से संबधित अधिकांश उपबंधों को थर्मल उत्पादन स्टेशनों, हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों, पारेषण प्रणाली और संचार प्रणाली के लिए रखा गया है। ट्रायल रन और पवन, सौर, हाईब्रिड, पंपिंग स्टोरेज के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा और ईएसएस स्टेशनों का ड्राफ्ट ग्रिड कोड में प्रस्ताव किया गया है।

ड. **प्रचालन कोड:** प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयिक रिजर्व वोल्टेज नियंत्रण रिजर्व और ब्लाक रिजर्व को शामिल करते हुए रिजर्वों के लिए फ्रेमवर्क को ड्राफ्ट ग्रिड कोड में प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय संदर्भ फ्रीक्वेंसी को 50 एचजेड पर प्रस्तावित किया गया जबकि स्वीकार्य फ्रीक्वेंसी बैंड को 49. 95 एचजैड से 50.05 एचजैड में सख्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि यूएफआर सेटिंग को मौजूदा सेटिंग में सभी चरणों में 0.2 एचजेड की विधि सहित संशोधित करने का प्रस्ताव भी किया गया है। रिएक्टिव विद्युत सुविधा सभी समय प्रचालन में रहेगी और रिएक्टिव विद्युत के लिए क्षतिपूर्ति संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी की अनुमति के बिना नहीं ली जाएगी और ब्लेक स्टार्ट सेवा के लिए क्षतिपूर्ति को ग्रिड कोड में शामिल किया गया है।

च. **अनुसूचीकरण और प्रेषण कोड:** अनुसूचीकरण क्रियाविधि को जीएनए विनियमों के साथ अनुरूप – संशोधित किया गया है। सुरक्षा कंस्टेंट यूनिट वचनबद्धता के लिए तंत्र को रिजर्व के पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

छ. **साईबर सुरक्षा कोड:** एक नया कोड प्रस्तावित किया गया है जिसमें सभी प्रयोक्ता सीईए (विद्युत क्षेत्र में साईबर सुरक्षा) मार्गनिर्देश 2021 में और उपयुक्त अधिकरण द्वारा जारी इस प्रकार के किसी विनियम में उल्लिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार साईबर सुरक्षा ऑडिट करेंगे ताकि ग्रिड के विश्वसनीय प्रचालन को प्रोत्साहित किया जा सके।

ज. **मानिटरिंग एवं अनुपालन कोड:** दो पद्तियां अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई हैं अर्थात स्वऑडिट और अनुपालन ऑडिट। प्रयोक्ताओं के लिए मानिटरिंग एजेंसी उनके संबंधित नियंत्रण क्षेत्र के आधार पर संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी होगी। आरएलडीसी, एनएलडीसी, सीटीयू और आरपीसी के लिए मानिटरिंग एजेंसी आयोग होगी और एसटीयू और एसएलडीसी के लिए संबंधित एसईआरसी होगी।

2. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टेरिफ की निबंधन एवं शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम 2022

31.08.2022 के विद्युत मंत्रालय के पत्र को ध्यान में रखते हुए केविविआ ने केविविआ टेरिफ विनियम 2019 के तीसरे संशोधन ड्राफ्ट को प्रकाशित किया और निम्नलिखित संशोधनों को प्रस्तावित किया:

i. एनएचएआई, रेलवे और बार्डर रोड संगठन की परियोजनाओं के लिए पारेषण लाईन की शिफटिंग के लिए शटडाउन हेतु डीम्ड उपलब्धता प्रदान करना बशर्ते कि डीआईसी इस प्रकार के पारेषण लाईन की शटडाउन द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसके अलावा सदस्य सचिव आरपीसी इस प्रकार की पारेषण

लाइनों की शिफटिंग के लिए अपेक्षित समय की उचितता पर विचार करते हुए लाईन के शटडाउन के लिए डीम्ड उपलब्धता अवधि को नियंत्रित कर सकता है।

ii. पारेषण घटकों की आउटेज अवधि इस प्रकार निर्णीत की जाएगी (क) सदस्य सचिव आरपीसी द्वारा एक माह तक अधिकतम (ख) एक माह से अधिक और तीन माह तक की आउटेज के लिए आरपीसी (ग) आयोग द्वारा तीन माह से आगे जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी कारणों सहित बहाली टाइमलाइन और आउटेज को कम करने के लिए उठाए गये कदम सहित आयोग से संपर्क करेगा।

3. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अतंर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम 2023

केविविआ ने 27.01.2023 को जीएनए विनियम के प्रथम संशोधन ड्राफ्ट को प्रकाशित किया जिसमें मुख्य रूप से संयोजकता मुद्दों की स्कवेटिंग का पता लगाने, केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के आहरण के लिए जीएनएआरई और टीजीएनएआरई का अनुदान और राज्य के लिए डीम्ड जीएनए मात्रा को कम करने का तंत्र शामिल है जिसमें प्रादेशिक उत्पादन स्टेशन स्थित है और केवल एसटीयू प्रणाली या एसटीयू प्रणाली और आईएसटीएस दोनों से संबद्ध है। जीएनए विनियमों में पहले संशोधित ड्राफ्ट के अधीन निम्नलिखित का प्रस्ताव किया गया है।

(क) संयोजकता विषयों की स्कवेटिंग का पता लगाने के लिए :

i. नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता के लिए – दस्तावेजों प्रदान करने के लिए उपबंध इस प्रकार हैं (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार यथा लागू द्वारा प्राधिकरण और (ख) क्षमता के लिए अपेक्षित भूमि के 50 प्रतिशत के लिए भूमि उपयोग अधिकारों या लीज अधिकारों या स्वामित्व का प्रमाण जिसके लिए संयोजकता की मांग की गयी है और (ग) लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें इक्विटी के माध्यम से भूमि अधिग्रहण को शामिल करते हुए परियोजना लागत के कम से कम 10 प्रतिशत के रिलीज को प्रमाणित किया गया है।

ii. नवीकरणीय विद्युत परियोजना के लिए – क्षमता के लिए अपेक्षित भूमि के 50 प्रतिशत के लिए भूमि उपयोग अधिकारों या लीज अधिकारों या स्वामित्व के प्रमाण या एलओए/पीपीए से संबंधित दस्तावेज प्रदान करने के लिए उपबंध जिसके लिए संयोजकता की मांग की गयी है और लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जिसमें इक्विटी के माध्यम से भूमि अधिग्रहण को शामिल करते हुए परियोजना लागत के कम से कम 10 प्रतिशत के रिलीज को प्रमाणित किया गया है।

iii. वित्तीय समाप्ति– आरईजीएस, ईएसएस या नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता जिसके लिए संयोजकता का अंतिम अनुदान जारी किया गया है उसे इस प्रकार के संयोजकता की क्षमता के लिए वित्तीय समाप्ति को प्राप्त करना होगा (क) संयोजकता का अंतिम अनुदान को जारी करने की तारीख से 12 महीने की अवधि के अंदर यदि संयोजकता की आरंभिक तारीख संयोजकता के अंतिम अनुदान जारी करने की तारीख से 2 वर्षों के अंदर है या (ख) संयोजकता के अंतिम अनुदान के जारी करने और संयोजकता की आरंभिक तारीख के बीच 50 प्रतिशत समयावधि के समतुल्य अवधि यदि संयोजकता की आरंभिक तारीख संयोजकता के अंतिम अनुदान के जारी करने के दो वर्षों से अधिक है।

यदि संयोजकता अनुदान ग्राही इस विनियम के अनुसार निर्धारित समय के अंदर वित्तीय

समाप्ति को प्राप्त करने के लिए असफल रहता है या इस विनियम के प्रथम परंतु क के अनुसार वित्तीय समाप्ति की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो संयोजकता को प्रति संहरित किया जाएगा और कनबीजी 1, कनबीजी 2 और कनबीजी 3 इस विनियम के अधीन विनियम 24 के अनुसार माना जाएगा।

iv. संयोजकता का प्रति संहरण – संयोजकता को तद्नुरूपी क्षमता के लिए प्रति संहरित किया जाएगा।

- यदि संयोजकता अनुदान ग्राही सीओडी पूर्णरूप से या आंशिक रूप से या उससे पूर्व प्राप्त करने में असफल रहता है:
- एलओए/पीपीए मोड के लिए – उत्पादन परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख/
- भूमि मोड के लिए – वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख के बाद 6 माह
- यदि एलओए/पीपीए जिसके आधार पर संयोजकता प्रदान की गयी थी उसे परियोजना की सीओडी से पूर्व समाप्त किया गया है।
- नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता के लिए – यदि पावर पार्क के अंदर उत्पादन स्टेशन सीओडी या उससे पूर्व प्राप्त करने के लिए असफल होते हैं:
- अनुमत्त आरंभ होने की विलंबित या विस्तारित एलओए या पीपीए के अनुसार उत्पादन परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख।
- एलओए या पीपीए के बिना स्थापित किये जा रहे उत्पादन स्टेशनों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख के बाद 6 माह

संयोजकता के प्रति संहरण के मामले में, औ रकनबीजी 1, कनबीजी 2 और कनबीजी 3 इन विनियमों के विनियम 24 के अनुसार निपटाया जाएगा।

(ख) होस्ट राज्य के लिए जिसमें प्रादेशिक उत्पादन स्टेशन स्थित है और केवल एसटीयू प्रणाली या एसटीयू प्रणाली या आईएसटीएस दोनों से संबद्ध है तो जीएनए विनियम के अनुबंध 1 में उल्लिखित जीएनए मात्रा को जीएनए विनियमों में प्रस्तावित प्रथम संशोधन के अधीन अनुबंध 2 में विनिर्दिष्ट पद्यति पर आधारित संगणित जीएनए मात्रा द्वारा कम किया जाएगा।

(ग) एक अंतःक्षेपण इकाई जिसे अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता प्रदान की गयी है वह आईएसटीएस में अंतःक्षेपण के प्रयोजन के लिए जीएनए की मांग करने के लिए पात्र होगा। इस प्रकार की इकाई को अनुदान किये गये जीएनए के अधित्याग के मामले में विनियम 24 के अनुसार माना जाएगा।

(घ) केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के आहरण के लिए जीएनएआरई और टीजीएनएआरई के लिए आवदेन की पात्रता

- प्रत्यक्ष रूप से आईएसटीएस से संयोजन की मांग करते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी या बल्क उपभोक्ता नवीकरणीय स्रोतों से केवल विद्युत के आहरण के लिए जीएनएआरई के लिए आवेदन हेतु पात्र होगा।
- आईएसटीएस से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध बल्क उपभोक्ता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या बल्क उपभोक्ता नवीकरणीय स्रोतों से केवल विद्युत के आहरण के लिए टीजीएनएआरई के लिए आवेदन हेतु पात्र होगा।

(ड़) विनियम 17.1 (बल्क उपभोक्ता) के खंड iii के अधीन कवर की गयी इकाइयों से कनैक्शन बीजी अपेक्षा और इस प्रकार की बीजी का संव्यवहार।

(च) विनियम 17.1 के खंड (i) से (v) के अधीन कवर की गयी इकाई, एक बार अनुदान किया गया जीएनए 50 लाख रुपये की फीस सहित (जिसे अधित्याग प्रभारों से समायोजित किया जाएगा) नोडल एजेंसी को एक वर्ष के नोटिस सहित पूर्णतः या आंशिक रूप से अधित्याग किया जा सकता है।

(छ) कनबीजी1 और कनबीजी3 को इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (iii) के अधीन कवर किये की गयी इकाई के लिए अधित्याग प्रभारों के रूप में अधित्याग मात्रा के तद्नुरूपी नगदीकृत किया जाएगा यदि जीएनए को जीएनए की प्रभावी तारीख के पूर्व अधित्याग किया जाता है।

(ज) अधित्याग प्रभारों को अधित्याग की प्रभावी तारीख के एक महिने पूर्व अदा किया जाएगा जिसके न होने की स्थिति में अधित्याग प्रभावी नहीं होगा।

4. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (दूसरा संशोधन) विनियम 2023

(क) शेयरिंग विनियमों का दूसरा संशोधन ड्राफ्ट गैर मिलान मामलों में पारेषण प्रभारों के उपचार को कवर करने के लिए विशेष रूप से 17.03.2023 को प्रकाशित किया गया।

(ख) अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को डीम्ड सीओडी की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए या वास्तविकविद्युत प्रवाह के आरंभ तक जो भी पहले हो अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के वार्षिक पारेषण प्रभारों का 20 प्रतिशत अदा किया जाएगा और यदि वास्तविक विद्युत प्रवाह डीम्ड सीओडी की तारीख से 6 महीने की अवधि के अंदरआंरभ नहीं किया जाता तो वास्तविक विद्युत प्रवाह के आरंभ तक सातवें माह से इसकी अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली का वार्षिक पारेषण प्रभार का 100 प्रतिशत अदा होगा।

(ग) 20 प्रतिशत वार्षिक पारेषण प्रभार का भुगतान प्रस्तावित है चूंकि इसे अंतराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के ऋण संर्विसिंग और प्रचालन एवं रखरखाव (कर्मचारी लागत सहित) के भाग के मूल बाध्यताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त माना गया है जिसका डीम्ड सीओडी अनुमोदित किया गया है या घोषित किया गया है।

(घ) चूककर्ता पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों की देयताएंः

i. यदि अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दूसरे अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में विद्युत प्रवाह के शुरुआत में विलंब के लिए उत्तरदायी है (अप्रत्याशित घटनाओं के लिए कारणों सहित किसी कारण के लिए) जिसने डीम्ड सीओडी प्राप्त कर ली है, तो विलंबित अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली का अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर इसके पारेषण प्रणाली के वार्षिक पारेषण प्रभार का 20 प्रतिशत अदा करेगा या पारेषण प्रणाली के वार्षिक पारेषण प्रभार का 20 प्रतिशत अदा करेगा जिसने डीम्ड सीओडी प्राप्त किया है, जो भी कम है जब तक विलंबित अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली सीओडी प्राप्त करती है।

ii. यह भी प्रस्तावित है कि कान्ट्रेक्ट का प्रथम वर्ष उस तारीख से आंरभ होगा जब इस प्रकार का पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के विनिमय 5 से 8 के अधीन या इस खंड के उप–खंड (ख) के अधीन वार्षिक पारेषण प्रभारों के 100 प्रतिशत प्राप्त करना आरंभ करता है।

विभिन्न विनियमों के अधीन जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश

भारतीय विद्युत ग्रिड कोड विनियम 2010

अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (II) के खंड (ह) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा 1 की खंड (H) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने आईईजीएस को अधिसूचित किया और विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा का सरल बनाते हुए अधिक रक्षित, विश्वसनीय, किफायती और कुशल ढंग से विद्युत प्रणाली को नियोजित, विकसित एवं रखरखाव एवं प्रचालन में प्रतिभागिता और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाने वाली नियमों मार्गनिर्देशों और मानकों को निर्धारित किया।

2022–23 अवधि के दौरान, आयोग ने नियंत्रण क्षेत्र की शिफ्टिंग, आईईजीसी के उपबंधों के अनुसार एसटीयू–सीटीयू प्रणाली के अंतर्संयोजन को शामिल करने के लिए याचिकाओं का निपटान किया। निपटाई गयी याचिकाओं में याचिका सं 380/एमपी/2019 और 334/एमपी/2019 को 1.09.2022 के आदेश के माध्यम से, 25.07.2022 के आदेश के माध्यम से याचिका संख्या 630/एमपी/2020, याचिका सं 278/एमपी/2018 को शामिल किया गया।

अंतर–राज्यिक पारेषण में संयोजकताएं दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना

निर्बाध पहुंच, विद्युत अधिनियमए 2003 की आधारशिलाओं में से एक है। आयोग को अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणालियों के लिए निर्बाध पहुंच की सुविधा के लिए कार्य सौंपे गए हैं। आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में संयोजकताए दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियमए 2009 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियमए 2008 जारी किए हैंए जो अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक पहुंच को सुगम बनाते हैं।

2022–23 अवधि के दौरान आयोग ने अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए कई याचिकाओं का निपटान किया जिसमें 7.12.2022 के आदेश के माध्यम से 303/एमपी/2018, 304/एमपी/2018, 339/एमपी/2018, 8.6.2022 के आदेश के माध्यम से याचिका सं 103/एमपी/2022, 03.08.2022 के आदेश के माध्यम से याचिका सं 70/एमपी/2018 और 29.08.2022 के आदेश के माध्यम से याचिका सं 583/एमपी/2020 शामिल हैं।

अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग

आयोग को विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ निर्धारित करने और विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली की विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 79 के साथ पठित धारा 178 की उपधारा 2 के खंड (ज) के अनुसार विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है। धारा 178 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (विनियम 2020 को अधिसूचित किया।

2022–23 की अवधि के दौरान आयोग ने 21.04.2022 के आदेश के माध्यम से याचिका संख्या 246/एमपी/2018, 23.05.2022 के आदेश के माध्यम से याचिका संख्या 525/एमपी/2020 सहित शेयरिंग विनियम के अनुसार कई याचिकाओं का निपटान किया।

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी

विद्युत अधिनियम ए 2003 की धारा 14 में उपबंध है कि उपयुक्त आयोग, धारा 15 के अधीन उसे किए गए आवेदन पर, किसी भी व्यक्ति को – (क) ट्रांसमिशन अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत पारेषित करने के लिए, या (ख) विद्युत अनुज्ञप्ति धारी के रूप में विद्युत वितरित करने के लिए या (ग) विद्युत व्यापार के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

आयोग ने विनियमित टैरिफ तंत्र के अधीन याचिका सं 69/टीएल/2022 में 18.07.2022 के आदेश के माध्यम

से पावर ग्रिड साउद्रन इंटरकनैक्टर ट्रां. सि. लि., याचिका संख्या 145/टीएल/2022 में 13.9.2022 के आदेश के माध्यम से वरोरा कुरनूल ट्रां. लि., याचिका संख्या 137/टीएल/2022 में 21.11.2022 के आदेश के माध्यम से पावर ग्रिड बीकानेर ट्रां. लि. को, और अधिनियम की धारा 63 के अधीन ''पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश'' और ''पारेषण सेवा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली और पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गनिर्देश'' के अनुसार पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए याचिका संख्या 351/टीएल/2022 में 26.02.2023 के आदेश के माध्यम से गडक–II, ट्रां. लि. को और 2022–23 के दौरान आदेशों के माध्यम से याचिका सं 48/टीएल/2022 में 27.05.2022 के आदेश के माध्यम से पावर ग्रिड सिकर ट्रांसमिशन लि., याचिका संख्या 50/टीएल/2022 में 28.05.2022 के आदेश के माध्यम से पावर ग्रिड अलीगढ सिकर ट्रां. लि., याचिका सं 102/टीएल/2022 में 16.06.2022 के आदेश के माध्यम से करूर ट्रां. लि., याचिका संख्या 107/टीएल/2022 में 16.06.2022 के आदेश के माध्यम से खावड़ा भुज ट्रां. लि., याचिका सं 30/टीएल/2022 में 18.07.2022 के आदेश के माध्यम से कल्लम ट्रां. लि., याचिका संख्या 105/टीएल/2022 में 18.07.2022 के आदेश के माध्यम से गडक ट्रां. लि., याचिका संख्या 33/टीएल/2022 में 28.07.2022 के आदेश के माध्यम से नंगल विब्राबोंगई गांव ट्रां. लि., याचिका संख्या 171/टीएल/2022 में 13.9.2022 के आदेश के माध्यम से राजगढ़ ट्रां. लि., याचिका संख्या 149/टीएल/2022 में 26.09.2022 के आदेश के माध्यम से खेत्री नरेला ट्रां. लि., याचिका संख्या 221/टीएल/2022 में 25.11.2022 के आदेश के माध्यम से पावर ग्रिड भादला ट्रां. लि., याचिका संख्या 247/टीएल/2022 में 27.12.2022 के आदेश के माध्यम से पावर ग्रिड निमच ट्रां. सिस्टम लि., याचिका संख्या 323/टीएल/2022 में 27.01.2023 के आदेश के माध्यम से खांडूखल रामपुर ट्रां. लि., याचिका संख्या 316/टीएल/2022 में 04.2.2023 के आदेश के माध्यम से पावर ग्रिड ईआरएनईआर ट्रां. लि. के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी।

विचलन व्यवस्थापन विनियम

विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग)(ज) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केविविआ ने, केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2022 अधिसूचित किया।

वर्ष के दौरान आयोग ने 26.12.2022 के आदेश के माध्यम से याचिका संख्या 16/एसएम/2022 और 6.02.2023 के आदेश के माध्यम से याचिका सं 1/एसएम/2023 का निबटान किया।

नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय 2022–23 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ आदेश

आयोग ने याचिका संख्या 14/एसएम/2022 में 7.11.2022 के आदेश के माध्यम से केविविआ (नवीकरणीय स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2020 के विनियम 8 के अधीन निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए स्तरीकृत जेनेरिक टैरिफ अवधारित किया है।

क. लघु हाइड्रो परियोजनाएं

ख. रैंकिग साईकिल तकनीक सहित बॉयोमास पावर परियोजनाएं

ग. गैरजीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजना

घ. बायोमास गैस फायर आधारित विद्युत परियोजनाएं

ङ. बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

पिछले आदेश (वित्त वर्ष 2021–22) की तुलना में इस आदेश (वित्त वर्ष 2022–23) में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।

परियोजनाओं का उपयोगी जीवन

प्रौद्योगिकियाँ	आरई टैरिफ वित्त वर्ष 2021–22	आरई टैरिफ वित्त वर्ष 2022–23
लघु हाइड्रो परियोजना	40 वर्ष	40 वर्ष
रैंकिन चक्र प्रौद्योगिकी के साथ बायोमास विद्युत परियोजना	25वर्ष	25वर्ष
गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजना	25वर्ष	25वर्ष
बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजना	25वर्ष	25वर्ष
बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना	25वर्ष	25वर्ष

वित्तीय सिद्धांत

विवरण	वित्त वर्ष 2021–22के लिए जैनेरिक टैरिफ आदेश	वित्त वर्ष 2021–22के लिए जैनेरिक टैरिफ आदेश
ऋण इक्विटी अनुपात	70:30	70:30
ऋण अवधि	15 वर्ष	15 वर्ष
ब्याज दर	▪ एसबीआई एमसी एलआर (एक वर्ष की अवधि) और 200 बेसिस प्वाइंट्स ▪ 9%	▪ एसबीआई एमसीएलआर (एक वर्ष की अवधि) और 200 बेसिस प्वाइंट्स ▪ 9.12%
मूल्यह्रास	प्रथम 15वर्षों के लिए 4.67% और शेष मूल्यह्रास परियोजना के शेष उपयोगी जीवन के दौरान लगाया जाएगा	प्रथम 15 वर्षों के लिए 4.67% और शेष मूल्यह्रास परियोजना के शेष उपयोगी जीवन के दौरान लगाया जाएगा
इक्विटी पर लाभ	टैरिफ अवधि के प्रथम 20 वर्षों के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) दर और शेष टैरिफ अवधि के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित कॉर्पोरेट कर दर से 14% सकल।	टैरिफ अवधि के प्रथम 20 वर्षों के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) दर और शेष टैरिफ अवधि के लिए नवीनतम उपलब्ध अधिसूचित कॉर्पोरेट कर दर से 14% सकल।
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	एसबीआई एमसीएलआर (एक वर्ष की अवधि) जमा 350 बेसिस प्वाइंट्स	एसबीआई एमसीएलआर (एक वर्ष की अवधि) जमा 350 बेसिस प्वाइंट्स
कार्यशील पूंजी आवश्यकता ▪ ईंधन लागत ▪ ओ एंड एम ▪ व्यय ▪ प्राप्य ▪ रखरखाव स्पेयर्स	▪ 4 मास ▪ 1 मास ▪ 45 दिन ▪ ओ एंड एम व्यय का 15%	▪ 4 मास ▪ 1 मास ▪ 45 दिन ▪ ओ एंड एम व्यय का 15%
ओ एंड एम वृद्धि दर	टैरिफ अवधि से अधिक 3.84% प्रति वर्ष	टैरिफ अवधि से अधिक 3.84% प्रति वर्ष
कॉर्पोरेट कर दर	34.94%	34.94%
एमएटी दर	17.47%	17.47%

क. प्रौद्योगिकी विनिर्दिष्ट पैरामीटर

I. लघु हाइड्रो परियोजनाएं

विवरण	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–23
पूंजीगत लागत (रु लाख/मेगावाट) एचपी, यूके, डब्ल्यूबी, यूटी जेकेएल और एनई राज्य • 5 मेगावाट से नीचे • 5 मेगावाट से 25 मेगावाट अन्य राज्य • 5 मेगावाट से नीचे • 5 मेगावाट से 25 मेगावाट	▪ रु. 1100 लाख/मेगावाट ▪ रु. 1100 लाख/मेगावाट ▪ रु. 780 लाख/मेगावाट ▪ रु. 900 लाख/मेगावाट	▪ रु. 1100 लाख/मेगावाट ▪ रु. 1100 लाख/मेगावाट ▪ रु. 780 लाख/मेगावाट ▪ रु. 900 लाख/मेगावाट
सीयूएफ • एचपी, यूके, डब्ल्यूबी, यूटी जेकेएल और एनई राज्य • अन्य राज्य	▪ 45% ▪ 30%	▪ 45% ▪ 30%
ओ एंड एम (रु लाख/मेगावाट) एचपी, यूके, डब्ल्यूबी, यूटी जेकेएल और एनई राज्य • 5 मेगावाट से नीचे • 5 मेगावाट से 25 मेगावाट अन्य राज्य • 5 मेगावाट से नीचे • 5 मेगावाट से 25 मेगावाट	▪ रु. 43.38 लाख/मेगावाट ▪ रु.3 2.54 लाख/मेगावाट ▪ रु. 34.95 लाख/मेगावाट ▪ रु. 25.31 लाख/मेगावाट	▪ रु. 45.05 लाख/मेगावाट ▪ रु. 33.79 लाख/मेगावाट ▪ रु. 36.29 लाख/मेगावाट ▪ रु. 26.28 लाख/मेगावाट
सहायक खपत	1%	1%

II. बायोमास आधारित रैंकिन चक्र परियोजनाएं

विवरण	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–23
पूंजीगत लागत – ▪ डब्ल्यूसीसी के साथ परियोजना ख्वावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) पर आधारित परियोजना के अतिरिक्त, ▪ एसीसी के साथ परियोजना ख्वावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) पर आधारित परियोजना के अतिरिक्त, ▪ डब्ल्यूसीसी के साथ चावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) पर आधारित परियोजना के लिए ▪ एसीसी के साथ चावल के भूसे और जूलीफ्लोरा (वृक्षारोपण) पर आधारित परियोजना के लिए	▪ रु. 559 लाख/मेगावाट ▪ रु. 600 लाख/मेगावाट ▪ रु. 611 लाख/मेगावाट ▪ रु. 652 लाख/मेगावाट	▪ रु. 559 लाख/मेगावाट ▪ रु. 600 लाख/मेगावाट ▪ रु. 611 लाख/मेगावाट ▪ रु. 652 लाख/मेगावाट
सहायक खपत – ▪ डब्ल्यूसीसी के लिए (प्रथम वर्ष के दौरान) ▪ डब्ल्यूसीसी के लिए (द्वितीय वर्ष से आगे) ▪ एसीसी के लिए (प्रथम वर्ष के दौरान) ▪ एसीसी के लिए (द्वितीय वर्ष से आगे)	▪ डब्ल्यूसीसी के लिए -10% ▪ एसीसी के लिए-12%	▪ डब्ल्यूसीसी के लिए -10% ▪ एसीसी के लिए-12%
पीएलएफ स्थिरीकरण के दौरान स्थिरीकरण के बाद प्रथम वर्ष के दौरान - 70% द्वितीय वर्ष से आगे – 80%	80%	80%

स्टेशन हीट दर (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा) • ट्रैवलिंग ग्रेट बॉयलर्स • एएफबीसी बॉयलर्स	 ▪ 4200 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा ▪ 4125 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा	 ▪ 4200 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा ▪ 4125 किलो कैलोरी/किलोवाट
सकल कैलोरिफिक मान	▪ 3100 किलो कैलोरी/किलोग्राम	▪ 3100 किलो कैलोरी/किलोग्राम
ओ एंड एम	48.20 लाख प्रति मेगावाट	50.05 लाख प्रति मेगावाट
ईंधन लागत वृद्धि	5%	5%

III. गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाएं

विवरण	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–23
पूंजीगत लागत	रु. 492 लाख/मेगावाट	रु. 492 लाख/मेगावाट
सहायक खपत	8.5%	8.5%
पीएलएफ • अन्य राज्य • टीएन और महाराष्ट्र • यूपी एवं एपी	 ▪ 53% ▪ 60% ▪ 45%	 ▪ 53% ▪ 60% ▪ 45%
स्टेशन हीट दर (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा)	3600 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा	3600 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा
सकल कैलोरिफिक मान	2250 किलो कैलोरी/किलोग्राम	2250 किलो कैलोरी/किलोग्राम
ओ एंड एम	रु 25.46 लाख प्रति मेगावाट	रु 26.44 लाख प्रति मेगावाट

IV. बायोमास गैसीफायर पावर प्लांट

विवरण	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–23
पूंजीगत लागत सब्सिडी के बिना सब्सिडी के साथ	रु. 593 लाख/मेगावाट रु. 443 लाख/मेगावाट	▪ रु. 593 लाख/मेगावाट रु. 443 लाख/मेगावाट
सहायक खपत	10%	10%
पीएलएफ	85%	85%
विनिर्दिष्ट ईंधन खपत	सबस्ट्रेट मिक्स का 1.25 किलोग्राम प्रति किलोवाट घंटा	सबस्ट्रेट मिक्स का 1.25 किलोग्राम प्रति किलोवाट घंटा
ओ एंड एम	रु. 63.36 लाख प्रति मेगावाट	रु. 66.11 लाख प्रति मेगावाट

V. बायोगैस पावर संयंत्र

विवरण	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–23
पूंजीगत लागत सब्सिडी के बिना सब्सिडी के साथ	रु. 1186 लाख/मेगावाट रु. 886 लाख/मेगावाट	रु. 1186 लाख/मेगावाट रु. 886 लाख/मेगावाट
सहायक खपत	12%	12%
पीएलएफ	90%	90%
विनिर्दिष्ट ईंधन खपत	सबस्ट्रेट मिक्स का 3 किलोग्राम प्रति किलोवाट घंटा	सबस्ट्रेट मिक्स का 3 किलोग्राम प्रति किलोवाट घंटा
ओएंडएम	रु. 63.66 लाख प्रति मेगावाट	रु. 66.11 लाख प्रति मेगावाट
ईंधन लागत	रु 1493.10/एमटी	रु 1567.176/एमटी
ईंधन कीमत वृद्धि दर	5%	5%

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए आयोग द्वारा अवधारित जेनरिक टैरिफ का विवरण **अनुबंध–IX–क** में दिया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान अन्य गतिविधियाँ

राजभाषा का कार्यान्वयन एवं प्रोत्साहन

वर्ष 2022–23 के दौरान, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने राजभाषा के कार्यान्वयन, प्रचार–प्रसार और प्रोत्साहन के लिए कई गतिविधियां कीं। केविविआ में प्रभागीय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के अतिरिक्त जो प्रत्येक तिमाही में कार्यालय में राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा और चर्चा करती है। माननीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में गठित हिंदी सलाहकार समिति में माननीय अध्यक्ष, केविविआ को सरकारी सदस्य बनाया गया है। इस समिति के कार्य कार्यालय के काम में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित होंगे और इसमें भारत सरकार द्वारा बनाई गई राजभाषा नीति के ढांचे के अधीन कवर किए गए मुद्दों पर विद्युत मंत्रालय को सलाह देना भी शामिल होगा।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के प्रति सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 1 सितम्बर से 14 सितम्बर तक''हिन्दी पखवाड़ा'' का आयोजन किया गया जिसमें हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन तथा हिन्दी अनुवाद का ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

हिंदी गृह पत्रिका सौदामिनी

आयोग प्रत्येक तिमाही में हिंदी में ''सौदामिनी'' नामक गृह पत्रिका प्रकाशित करता है। यह पत्रिका इस अवधि के दौरान आयोग में आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में रिपोर्ट करती है। इसके अतिरिक्त, आयोग में 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की पुरस्कार विजेता प्रविष्टियां (अर्थात् निबंध, लेख, कविता आदि) भी विजेताओं के फोटो सहित प्रकाशित की जाती हैं। आयोग ने राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार की दिशा में सौदामिनी के त्रैमासिक अंक के स्थान पर वार्षिक अंक प्रकाशित करने का निर्णय लिया औरे वर्ष 2021–22 के लिए इसका प्रथम अंक वर्ष के दौरान वार्षिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया।

स्वच्छ भारत अभियान

वित्तीय वर्ष 2022–23के दौरान ''स्वच्छ भारत अभियान''के संबंध में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। आयोग के सभी कर्मचारियों को कार्य परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों ने परिसर को साफ–सुथरा रखने में अत्यधिक रुचि दिखाई है। केविविआ परिसर में एक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया जिसका उद्देश्य अभिलेखों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करनाए कार्यस्थल का वातावरण बनाए रखना आदि था।

लेखा परीक्षा पैरा

रिपोर्ट के आधीन वर्ष के दौरान ए भारत के सीएजी की रिपोर्ट में के विविआ से संबंधित कोई पैरा शामिल नहीं किया गया था।

सतर्कता मामले

केविविआ में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी सतर्कता मामला विचाराधीन या लंबित नहीं था।

वार्षिक दिवस

केविविआ ने 24 जुलाई, 2022 को अपना 25वां वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर केविविआ के सभी अधिकारी और कर्मचारी समारोह में उपस्थित हुए जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने आयोग तथा केविविआ के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। केविविआ के कर्मचारी विनियमन के क्षेत्र में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित मूल्यवान विचारों और अनुभवों से लाभान्वित हुए। एक प्रतिष्ठित कवि को इस अवसर पर आमंत्रित किया गया।

ई–कोर्ट

सूचना पाने के लिए दक्ष, मितव्ययी और प्रभावी साधन के साथ प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में एक सक्रिय उपाय के रूप में आयोग ने अपनी ई–कोर्ट परियोजना अर्थात् सौदामिनी (डिजिटल पहुंच का उपयोग करते हुए न्यायनिर्णयन और नेटवर्क एकीकरण के माध्यम से सूचना का प्रबंधन) का प्रमोचन किया जिसे पूर्व में सीसीएमएएस (कोर्ट केस मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम) के नाम से जाना जाता था। वेब आधारित ई–फाइलिंग और ई–प्लीडिंग मॉड्यूल अप्रैल 2016 से सफलतापूर्वक चल रहा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी याचिकाएं/उत्तर/प्रत्युत्तर/अन्य दस्तावेज ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं और अपनी याचिकाओं की स्थिति को ट्रैक करध देख सकते हैं। यह केविविआ की कानूनी प्रणाली के लिए त्वरित और आसान पहुँच प्रदान करता है और प्रक्रिया ऑटोमेशन को बढ़ाने के

संगठन के जारी प्रयासों का एक हिस्सा है। सौदामिनी केस प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) मॉड्यूल में डैशबोर्ड, कॉज लिस्ट जेनरेशन, रिपोर्ट जेनरेशन, एडवांस सर्च, ई–लाइब्रेरी आदि जैसी विशेषताएं भी कार्यशील हैं और इसका उपयोग केविविआ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सौदामिनी परियोजना का ई–हियरिंग मॉड्यूल भी जो आयोग को याचिकाओं की सॉफ्टकॉपी के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने में सक्षम बनाता है, जून 2017 से कार्यशील है।

संगठन की प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक और पहल के रूप में और सौदामिनी परियोजना के हितधारकों के ई–विनियमन मॉड्यूल जो केविविआ ड्राफ्ट विनियमों/स्टॉफ पेपर आदि पर आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों को ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाता है, भी 24 जुलाई 2019 से कार्यात्मक हुआ।

सौदामिनी ई–मॉनिटरिंग (व्यापार अनुज्ञप्तिधारी) मॉड्यूल जो एनएलडीसीए व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों और पावर एक्सचेंजों को उनकी विनियामक अनुपालन सूचना के लिए सक्षम बनाता है उसे 24.07.2020 को आरंभ किया गया और उसके बाद वर्ष 2021 में सौदामिनी ई–आस्ति मोडयूल तैयार किया गया।

केविविआ की ई–कोर्ट प्रणाली से आयोग को एकीकृत लचीला परंतु गतिशील डेटाबेस विकसित करने में सक्षम होना अपेक्षित है, जिससे आयोग को विभिन्न डेटा विश्लेषणात्मक उपकरण का उपयोग करके निर्णय लेने की सुविधा मिलना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, अपने डिजिटल बैकएंड को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए केविविआ ने एआईआधारित खोज, स्वचालित डेटा निष्कर्षण, दस्तावेज निर्माण और डेटा विजुअलाइजेशन टूल से युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विनियामक विशेषज्ञ प्रणाली उपकरण (आरईएसटी) विकसित किया है।

एफओआरए एफओआईआरए साफिर

विद्युत अधिनियमए 2003 के उपबंधों के अनुसार विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की दिनांक 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा विनियामकों के फोरम (एफओआर) का गठन किया गया है। फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) के अध्यक्ष और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष, फोरम के अध्यक्ष हैं। अन्य उद्देश्यों मेंए एफओआर का प्राथमिक उद्देश्य केविविआए एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा विद्युत क्षेत्र में तैयार किए गए विनियमों का सामंजस्य है। एफओआर अपनी विभिन्न बैठकों के दौरान विस्तृत जांच के बाद विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सिफारिशें भी प्रदान करता है। केविविआ, एफओआर को सचिवालय सेवा प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2022–23के दौरान विनियामक फोरम की 9 बैठकें हुईं जिनमें विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई

क. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22अप्रैल 2022 को आयोजित विनियामक फोरम की 79वीं बैठक

ख. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 मई 2022 को आयोजित विनियामक फोरम की 80वीं बैठक

ग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 जुलाई 2022 को आयोजित विनियामक फोरम की 81वीं बैठक

घ. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 अगस्त और 30 अगस्त2022 को आयोजित विनियामक फोरम की विशेष बैठक

च. 16 सितंबर 2022 को विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में आयोजित विनियामक फोरम की 82वीं बैठक

छ. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 अक्तूबर 2022 को आयोजित विनियामक फोरम की विशेष बैठक

ज. 18 नवम्बर 2022 को चंडीगढ़ में आयोजित विनियामक फोरम की 83वीं बैठक

झ. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 दिसम्बर 2022 को आयोजित विनियामक फोरम की विशेष बैठक

ढ. 3 फरवरी 2023 को गांधी नगर गुजरात में विनियामक बैठक की 84वीं बैठक

वर्ष के दौरान एफओआर ने "ग्रीन ऊर्जा निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के लरिए बैंकिंग प्रभारों और निर्बाध पहुंच प्रभारों की संगणना के लिए पद्यति पर माडल विनियम""उत्पादन संयंत्रों और कैप्टिव प्रयोक्ताओं की स्थिति के सत्यापन पर माडल विनियम" और "बहु वर्ष वितरण टैरिफ के लिए माडल विनियम" को तैयार किया।

2022–23 के दौरान एफओआर ने" हरित ऊर्जा निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग प्रभार और निर्बाध पहुंच प्रभारों की संगणना के लिए पद्यति पर माडल विनियम को विकसित करना" आरई कमी के प्रबंधन के लिए माडल मार्गनिर्देश", "ऊर्जा स्टोरेज और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क" और "निर्बाध पहुंच का प्रयोग करने वाले कैप्टिव उत्पादकों से विद्युत के आयात के लिए माडल विनियम विकसित करना पर अध्ययनों को पूरा किया गया।

एफओरआर ने विद्युत क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

क. 3–4 नवम्बर 2022 के दौरान "ओमबडसमैन और सीजीआरएफ के अधिकारियों के लिए उपभोक्ता हित का संरक्षण" पर दो दिवसीय आनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख. आईआईटी के नोएडा आउटरित सैंटर में 3–4 फरवरी 2023 के दौरान और मेलबार्न आस्ट्रेलिया में 7–9 फरवरी 2023 के दौरान" नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और बाजार विकास पर विनियामक परिदृश्य" पर एसईआरसी के अधिकारियों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ग. राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्षों के लिए ओसलो और ब्रूसेल्स के लिए यूएसएआईडी/ वाशिंगटन एनर्जी यूटिलिटी पार्टनर्सिप कार्यक्रम सहित पाटनरशिप में एसएआरईपी, भारत सरकार के साथ यूएसएआईडीके द्विपक्षीय कार्यक्रम के भाग के रूप में यूनाईट स्टेट एनर्जी एशोसिएशन द्वारा वित्तीय डेरिवेटिव बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर एक अध्ययन टूर दो चरणों में आयोजित किया गया। अर्थात पहला चरण 10–19 जून 2022 के दौरान और दूसरा चरण 3–13 नवम्बर 2022 के दौरान आयोजित किया गया।

केविविआ, भारतीय विनियामकों के फोरम (एफओआईआर) को सचिवालय सेवाएं भी प्रदान करता है। एफओआईआर की परिकल्पना भारत में विभिन्न क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई है। एफओआईआर में न केवल अध्यक्ष बल्कि विद्युत विनियामक आयोगों के सदस्य और अन्य विनियामक प्राधिकरण जैसे विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) इत्यादि शामिल हैं। वर्ष के दौरान, एफओआईआर विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और एफओआईआर की अन्य गतिविधियों के लिए रिटेनरशिप आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को संलग्न किया और इस उद्देश्य के लिए एक समझौता ज्ञापन किया। इस साझेदारी के अधीनए अधिकारियों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, केन्द्रीय क्षेत्र के विनियामकों के लिए एक संगोष्ठी और सभी सदस्यों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्तमान मेंए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष एफओआईआर के अध्यक्ष हैं।

केविविआ, इंफ्रास्ट्रक्चर विनियमन के लिए साउथ एशिया फोरम (साफिर) को सचिवालय सेवाएं भी प्रदान करता है। साफिर, 1999में प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विनियामकों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित) के एक नेटवर्क के रूप में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है और इस क्षेत्र में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और व्यक्तियों से जुड़ा है। इसमें सदस्यों की चार श्रेणियां हैंए अर्थात् शैक्षणिक संस्थानए उपभोक्ता निकायध्एनजीओए निगमितध्यूटिलिटी और विनियामक निकाय। इसका उद्देश्य अनुसंधान को प्रोत्साहित करनाए विनियामक सुधार प्रक्रियाओं और अनुभवों से संबंधित एक डाटाबैंक प्रदान करनाए ज्ञान और विशेषज्ञता का लाभकारी आदान–प्रदान करना और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के तेजी से कार्यान्वयन की प्रवृत्ति निर्धारित करना है। वर्तमान में, भूटान विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष साफिर के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2022–23में, साफिर नेएसएआरईपीध्यूएसएआईडी के साथ सहयोग से होटल ली मेरेडियन नई दिल्ली भारत में 2–3 मार्च 2023 में ''दक्षिण एशिया क्षेत्र में सतत ऊर्जा के लिए प्रादेशिक विद्युत बाजार विकास क्रास बार्डर विद्युत व्यापार को सघन करना'' पर वार्षिक अवसंरचना सम्मेलन आयोजित किया। साफिर की 28वी स्थायी समिति की बैठक और 23वीं कार्यकारी समिति की बैठक 8 जून 2022 को आयोजित की गयी 24वी कार्यकारी की बैठक वर्चुअल मोड के माध्यम से 22 जुलाई 2022 को आयोजित की गयी।

7.
उपभोक्ताओं के हितों तथा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

उपभोक्ताओं को लाभ और क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का परिणाम

उपभोक्ताओं को लाभ

सभी स्टेकहोल्डर के लिए निष्पक्ष पारदर्शी और तटस्थ रहते हुए, उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता सहित नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केविविआ द्वारा की गई पहलें नीचे सूचीबद्ध है:

I. ग्रिड अनुशासन की दिशा में सुरक्षित ग्रिड प्रचालनः सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप बेहतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी और परिणामी ग्रिड प्रचालन हुआ इससे उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।

II. बाजार मॉनिटरिंगः अल्पकालिक बाजार कीमतें स्थिर रही हैं। पिछले वर्ष की तुलना में7.6 बीयू की वृद्धि के साथ अल्पकालिक संव्यवहारों ने 194. 35 बीयू के चिह्न को छू लिया। पावर एक्सचेंजों पर प्रति यूनिट औसत डे अहेड कीमत 6.25 रुपये पर स्थिर हो गई।

क्षेत्र का विकास

क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा की गयी पहल नीचे दी गयी है:

I. ग्रिड अनुशासन

क. केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2022 को 6.12.2022 से कार्यान्व्यन के लिए अधिसूचना के माध्यम से ग्रिड प्रचालन में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयास किये गये हैं। ये सुनिश्चित करने पर पहल केन्द्रित की गयी कि प्रादेशिक इकाइयां अनुसूची से विचलन के लिए अपने अनुसूची का अनुपालन करती है। आयोग ने ग्रिड को स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से डीएसएम पर 26.12.2022 और 6.2.2023 के दो स्व–प्रेरणा आदेश जारी किये।

II. बाजार विकास

क. केविविआ (सहायक सेवा) विनियम 2022 के अधीन एसआरएएस और पीआरएएस की शुरुआत के माध्यम से आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भिन्नता और ग्रिड सुरक्षा, संचालन भार के लिए अनुपूरक बाजार तंत्र को सरल बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया।

ख. राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच के माध्यम से अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए क्रियाविधिः केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच (पांचवा संशोधन) विनिमय 2018 के विनियम 4 के अधीन एनएलडीसी द्वारा क्रियाविधि विकसित की गयी और अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत की गयी। आयोग ने उपयुक्त संशोधनों के बाद क्रियाविधि को अनुमोदित किया। ये क्रियाविधि पात्र इकाइयों को पारेषण नेटवर्क को निर्बाध पंहुच प्रदान करने के लिए क्रियाविधि को सरल बनाने मे कारगर होगी।

ग. ओवर द काऊटंर प्लेटफार्म 2022 के लिए आवेदन दाखिल करने और रजिस्ट्रेशन के लिए मार्गनिर्देशः आयोग द्वारा विकसित मार्गनिर्देश देश में विद्युत की बिक्री और खरीद को सरल बनाने के लिए ओटीसी प्लेटफार्म स्थापना और प्रचालन के लिए आवश्यक फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाएगा।

घ. केविविआ (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों में निबंधन व शर्ते) (प्रथम संशोधन) विनियम 2022 : संशोधन के माध्यम से आयोग ने बाजार में व्यापार किये जा रहे ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के लिए फ्लोर कीमत को हटा दिया है।

8.
2022-23 के दौरान जारी अधिसूचनाएँ

2022–23 के दौरान जारी अधिसूचनाएं

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	राजपत्र तारीख	विनियम
1	स.–एल–7/105(121)/2007–केविविआ	01.04.2022	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (पांचवा संशोधन) विनियम 2018 के विनियम 4 के अधीन "राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री के माध्यम से अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच"
2	सं.एल –1/257/2020/(पीएमआर–3)/केविविआ (राजपत्र सं. 267)	19.05.2022	ओटीसी प्लेटफार्म 2022 की स्थापना और प्रचालन के लिए आवेदन दाखिल करने और रजिस्ट्रेशन के लिए मार्गनिर्देश
3	सं.– एल–1/153/2019/केविविआ	20.05.2022	केविविआ(प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस और प्रभार और अन्य संबध मामले) विनियम 2019 के विनियम 32 के अधीन "मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों के लिए विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स की संगणनाओं के लिए विस्तृत क्रियाविधि"
4	सं. आरए–14026(11)/1/2022 –केविविआ (राजपत्र सं. 272)	24.05.2022	केविविआ(नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2022
5	सं.– एल –1/261/2021/केविविआ (राजपत्र सं. 364)	19.07.2022	केविविआ(अतंरराज्यिक पारेषण प्रणाली और संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम 2022
6	सं. एल –1/97/2016 (राजपत्र सं. 690)	22.12.2022	केविविआ(ऊर्जा बजत प्रमाण पत्रों में लेन देन के लिए निबंधन एवं शर्तें(प्रथम संशोधन) विनियम 2022
7	सं.– एल –1/250/2019/केविविआ (राजपत्र सं. 149)	01.03.2023	केविविआ (अतंर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग)(प्रथम संशोधन) विनियम 2023

9.

वर्ष 2023–24 के लिए कार्यसूची

वर्ष 2023–24 के लिए कार्यसूची

I. विद्युत प्रणाली की परिवर्तित अपेक्षाओं के अनुरूप भारतीय विद्युत ग्रिड कोड 2010 को तैयार करना

II. नये नियंत्रण अवधि 2024 –29 के लिए उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें

III. नये नियंत्रण अवधि 2024 –27 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम

IV. प्रतिस्पर्धात्मक बोली परियोजनाओं के लिए वृद्धि के मानदंड़ो की समीक्षा

V. जीएनए विनियमों और अन्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप अतंरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग में विनियमों में संशोधनों

VI. बाजार कप्लिंग सहित विद्युत बाजार विकास के संबंध में विचार विमर्श

10.
लेखाओं का वार्षिक विवरण

लेखाओं का वार्षिक विवरण

वर्ष 2022–23 के दौरान, केविविआ ने रुपए लाख (पिछले वर्ष रुपए लाख) प्राप्त किए और नगद आधार पर रुपए लाख (पिछले वर्ष रुपए लाख) का व्यय किया। विवरण **अनुबंध–X** में दिए गए हैं।

11.
आयोग का मानव संसाधन

आयोग का मानव संसाधन

आयोग का अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यनिष्पादन के लिए अत्यंत व्यापक अधिदेश है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में आयोग की कुशलता इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, विधि, पर्यावरण, प्रबंध सूचना प्रणाली और अन्य संबद्ध कुशलताओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव सहित इसके स्टाफ की गुणवत्ता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। संगठनात्मक चार्ट अनुबंध– XI में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले मानव संसाधन का उपयोग करता है। इनहाउस कुशलताओं और उपलब्ध अनुभव को पूरा करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए इसने विनियम बनाए हैं।

31.03.2023 को कार्यबल

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पद
1	सचिव	1	1	0
2	प्रमुख	4	4	0
3	संयुक्त प्रमुख	9	8	1
4	उप प्रमुख	21	9	12
5	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	0	1
6	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1	1	0
7	सहायक सचिव	2	2	0
8	सहायक प्रमुख	28	20	8
9	न्यायपीठ अधिकारी	2	2	0
10	प्रधान निजी सचिव	4	1	3
11	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1	1	0
12	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	2	0
13	निजी सचिव	5	4	1
14	सहायक	16	9	7
15	वैयक्तिक सहायक	2	1	1
16	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1	0
17	आशुलिपिक	1	0	1
18	हिंदी टंकक	1	0	1
19	आरसीटीओ	1	1	0
20	ड्राईवर	4	4	0
21	वरिष्ठ चपरासी	2	2	0
22	एमटीएस	2	2	0
कुल		**111**	**75**	**36**

केविविआ में वर्ष 2022–23के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी

क्रम सं.	पद (पदों) का नाम	भरे गए पदों की संख्या
1	प्रमुख	1
2	संयुक्त प्रमुख	1
3	उप प्रमुख	1
4	सहायक प्रमुख	4
5	बेंच अधिकारी	1
6	सहायक	2
कुल		**10**

12.
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन एक लोक प्राधिकरण है। अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, केविविआ में एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और एक अपीलीय प्राधिकारी है। इसमें आरटीआई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों के साथ–साथ आवेदकों से सीधे भौतिक आवेदन भी प्राप्त होते हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकरणों से अंतरण होने पर भी आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं। केविविआ में आरटीआई आवेदनों की जांच संबंधित प्रभागों के परामर्श से की जाती है और आवेदकों को आवश्यक सूचना प्रस्तुत की जाती है। केविविआ से संबंधित न होने वाले आरटीआई आवेदनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन संबंधित जन प्राधिकरणों को अंतरित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023) के दौरान, 284 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और 280 का निस्तारण हुआ। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अवधि के दौरान 40 प्रथम अपील प्राप्त हुईं और 37 का निस्तारण हुआ।

13.
अनुबंध

अनुबंध I

2022–23 के लिए आयोग द्वारा निपटान की गई याचिकाओं का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
1	209/TT/2021	पारेषण टैरिफ	19/09/2022
2	398/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	31/03/2023
3	487/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	31/03/2023
4	370/GT/2019	उत्पादन टैरिफ	31/03/2023
5	83/TT/2022	पारेषण टैरिफ	31/03/2023
6	3/SM/2023	स्वप्रेरणा	27/03/2023
7	392/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	29/03/2023
8	442/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	29/03/2023
9	237/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
10	236/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
11	231/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
12	238/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
13	214/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
14	244/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
15	239/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
16	199/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
17	232/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
18	200/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
19	198/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
20	180/MP/2022	विविध याचिका	28/03/2023
21	78/TT/2021	पारेषण टैरिफ	27/03/2023
22	203/MP/2020	विविध याचिका	27/03/2023
23	178/MP/2020	विविध याचिका	25/03/2023
24	43/AT/2023	अंगीकरण टैरिफ	26/03/2023
25	40/RP/2022 in 192/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	21/03/2023
26	300/TT/2022	पारेषण टैरिफ	20/03/2023
27	202/MP/2020	विविध याचिका	20/03/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
28	11/RP/2022 in 401/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	17/03/2023
29	50/RP/2022 in 482/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	16/03/2023
30	84/MP/2021	विविध याचिका	18/03/2023
31	123/MP/2021	विविध याचिका	16/03/2023
32	29/MP/2023	विविध याचिका	16/03/2023
33	572/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	16/03/2023
34	256/MP/2021	विविध याचिका	14/03/2023
35	275/MP/2021	विविध याचिका	14/03/2023
36	274/MP/2021	विविध याचिका	14/03/2023
37	110/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	15/03/2023
38	571/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	14/03/2023
39	333/MP/2019	विविध याचिका	11/03/2023
40	732/TT/2020	पारेषण टैरिफ	10/03/2023
41	115/MP/2022	विविध याचिका	07/03/2023
42	114/MP/2022	विविध याचिका	07/03/2023
43	10/MP/2023	विविध याचिका	10/03/2023
44	385/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	10/03/2023
45	245/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	08/03/2023
46	175/MP/2021	विविध याचिका	07/03/2023
47	69/MP/2023	विविध याचिका	06/03/2023
48	423/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	04/03/2023
49	538/MP/2020	विविध याचिका	02/03/2023
50	6/TT/2020	पारेषण टैरिफ	24/02/2023
51	164/TT/2022	पारेषण टैरिफ	21/02/2023
52	50/MP/2023	विविध याचिका	13/02/2023
53	271/TT/2022	पारेषण टैरिफ	22/02/2023
54	7/TT/2021	पारेषण टैरिफ	21/02/2023
55	173/TT/2021	पारेषण टैरिफ	22/02/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
56	281/MP/2022	विविध याचिका	24/02/2023
57	358/MP/2022	विविध याचिका	24/02/2023
58	355/MP/2022	विविध याचिका	24/02/2023
59	292/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	22/02/2023
60	566/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	28/02/2023
61	537/MP/2020	विविध याचिका	28/02/2023
62	368/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	28/02/2023
63	533/MP/2020	विविध याचिका	27/02/2023
64	351/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	26/02/2023
65	531/MP/2020	विविध याचिका	27/02/2023
66	226/MP/2022	विविध याचिका	27/02/2023
67	164/MP/2021	विविध याचिका	25/02/2023
68	248/MP/2021	विविध याचिका	24/02/2023
69	242/TT/2021	पारेषण टैरिफ	16/02/2023
70	577/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	17/02/2023
71	2/SM/2023	स्वप्रेरणा	14/02/2023
72	254/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	15/02/2023
73	453/MP/2019	विविध याचिका	15/02/2023
74	301/TT/2022	पारेषण टैरिफ	15/02/2023
75	359/MP/2022	विविध याचिका	16/02/2023
76	365/TT/2018	पारेषण टैरिफ	16/02/2023
77	578/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	16/02/2023
78	241/MP/2019	विविध याचिका	13/02/2023
79	229/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	13/02/2023
80	51/MP/2023	विविध याचिका	13/02/2023
81	28/RP/2022 in 253/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	13/02/2023
82	185/TT/2022	पारेषण टैरिफ	09/02/2023
83	352/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	09/02/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
84	255/TT/2021	पारेषण टैरिफ	08/02/2023
85	720/MP/2020	विविध याचिका	08/02/2023
86	175/MP/2022	विविध याचिका	08/02/2023
87	238/MP/2021	विविध याचिका	08/02/2023
88	252/MP/2021	विविध याचिका	08/02/2023
89	394/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	07/02/2023
90	119/MP/2021	विविध याचिका	06/02/2023
91	275/TT/2022	पारेषण टैरिफ	06/02/2023
92	1/SM/2023	स्वप्रेरणा	06/02/2023
93	18/RP/2022 in 395/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	06/02/2023
94	166/TT/2022	पारेषण टैरिफ	06/02/2023
95	316/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	04/02/2023
96	118/MP/2021	विविध याचिका	31/01/2023
97	343/MP/2019	विविध याचिका	28/01/2023
98	177/MP/2020	विविध याचिका	28/01/2023
99	172/TT/2021	पारेषण टैरिफ	27/01/2023
100	323/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	27/01/2023
101	344/MP/2022	विविध याचिका	27/01/2023
102	75/TT/2021	पारेषण टैरिफ	23/01/2023
103	670/TT/2020	पारेषण टैरिफ	24/01/2023
104	718/MP/2020	विविध याचिका	23/01/2023
105	723/MP/2020	विविध याचिका	20/01/2023
106	722/MP/2020	विविध याचिका	20/01/2023
107	15/RP/2022 in 644/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	20/01/2023
108	402/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	20/01/2023
109	285/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	18/01/2023
110	27/RP/2022 in 145/TT/2018	पुनरीक्षण याचिका	16/01/2023
111	317/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	16/01/2023
112	221/MP/2021	विविध याचिका	12/01/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
113	155/MP/2019	विविध याचिका	13/01/2023
114	183/MP/2019	विविध याचिका	12/01/2023
115	322/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	12/01/2023
116	13/RP/2022 in 660/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	12/01/2023
117	24/RP/2022 in 146/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	12/01/2023
118	261/MP/2021	विविध याचिका	11/01/2023
119	16/MP/2021	विविध याचिका	09/01/2023
120	473/TT/2020	पारेषण टैरिफ	09/01/2023
121	179/MP/2020	विविध याचिका	09/01/2023
122	177/MP/2022	विविध याचिका	09/01/2023
123	37/TT/2021	पारेषण टैरिफ	09/01/2023
124	13/TT/2022	पारेषण टैरिफ	09/01/2023
125	21/RP/2022 in 240/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	09/01/2023
126	235/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	08/01/2023
127	263/GT/2021	उत्पादन टैरिफ	06/01/2023
128	19/RP/2022 in 296/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	05/01/2023
129	128/MP/2022	विविध याचिका	03/01/2023
130	376/RC/2022	विनियामक अनुपालन	03/01/2023
131	112/TT/2021	पारेषण टैरिफ	03/01/2023
132	16/RP/2022 in 108/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	20/12/2022
133	8/TT/2022	पारेषण टैरिफ	30/12/2022
134	628/MP/2020	विविध याचिका	30/12/2022
135	491/MP/2020	विविध याचिका	30/12/2022
136	206/MP/2022	विविध याचिका	30/12/2022
137	261/MP/2020	विविध याचिका	30/12/2022
138	238/MP/2019	विविध याचिका	30/12/2022
139	237/MP/2019	विविध याचिका	30/12/2022
140	223/MP/2019	विविध याचिका	30/12/2022
141	222/MP/2019	विविध याचिका	30/12/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
142	227/MP/2019	विविध याचिका	30/12/2022
143	286/MP/2019	विविध याचिका	30/12/2022
144	230/MP/2019	विविध याचिका	30/12/2022
145	229/MP/2019	विविध याचिका	30/12/2022
146	44/MP/2022	विविध याचिका	29/12/2022
147	16/SM/2022	स्वप्रेरणा	26/12/2022
148	247/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	27/12/2022
149	705/TT/2020	पारेषण टैरिफ	27/12/2022
150	364/MP/2019	विविध याचिका	23/12/2022
151	279/MP/2019	विविध याचिका	26/12/2022
152	17/SM/2022	स्वप्रेरणा	28/12/2022
153	189/MP/2019	विविध याचिका	23/12/2022
154	285/TD/2022	टीडी	26/12/2022
155	384/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	23/12/2022
156	350/MP/2022	विविध याचिका	23/12/2022
157	349/MP/2022	विविध याचिका	23/12/2022
158	22/TT/2022	पारेषण टैरिफ	21/12/2022
159	12/SM/2022	स्वप्रेरणा	19/12/2022
160	70/MP/2019	विविध याचिका	16/12/2022
161	728/MP/2020	विविध याचिका	15/12/2022
162	233/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	15/12/2022
163	291/MP/2019	विविध याचिका	15/12/2022
164	225/MP/2019	विविध याचिका	15/12/2022
165	206/MP/2019	विविध याचिका	15/12/2022
166	153/MP/2019	विविध याचिका	15/12/2022
167	492/MP/2020	विविध याचिका	15/12/2022
168	94/MP/2022	विविध याचिका	16/12/2022
169	361/MP/2022	विविध याचिका	16/12/2022
170	606/MP/2020	विविध याचिका	16/12/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
171	711/TT/2020	पारेषण टैरिफ	16/12/2022
172	48/RP/2022 in 673/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	16/12/2022
173	158/MP/2022	विविध याचिका	14/12/2022
174	15/SM/2022	स्वप्रेरणा	09/12/2022
175	144/MP/2019	विविध याचिका	14/12/2022
176	10/TT/2022	पारेषण टैरिफ	14/12/2022
177	203/TD/2022	टीडी	14/12/2022
178	4/RP/2022 in 408/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	13/12/2022
179	346/MP/2022	विविध याचिका	06/12/2022
180	339/MP/2018	विविध याचिका	07/12/2022
181	304/MP/2018	विविध याचिका	07/12/2022
182	303/MP/2018	विविध याचिका	07/12/2022
183	278/MP/2018	विविध याचिका	07/12/2022
184	374/MP/2020	विविध याचिका	06/12/2022
185	248/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	09/12/2022
186	320/TT/2020	पारेषण टैरिफ	08/12/2022
187	23/RP/2022 in 451/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	06/12/2022
188	22/RP/2022 in 486/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	07/12/2022
189	19/TT/2022	पारेषण टैरिफ	05/12/2022
190	169/TT/2020	पारेषण टैरिफ	05/12/2022
191	36/TT/2021	पारेषण टैरिफ	05/12/2022
192	76/MP/2022	विविध याचिका	05/12/2022
193	20/RP/2022 in 283/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	03/12/2022
194	67/MP/2022	विविध याचिका	30/11/2022
195	205/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	30/11/2022
196	471/MP/2019	विविध याचिका	30/11/2022
197	150/MP/2019	विविध याचिका	30/11/2022
198	294/MP/2018	विविध याचिका	30/11/2022
199	293/MP/2018	विविध याचिका	30/11/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
200	709/TT/2020	पारेषण टैरिफ	30/11/2022
201	92/TT/2022	पारेषण टैरिफ	30/11/2022
202	145/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	30/11/2022
203	247/MP/2021	विविध याचिका	30/11/2022
204	253/TT/2021	पारेषण टैरिफ	30/11/2022
205	14/SM/2022	स्वप्रेरणा	07/11/2022
206	191/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	28/11/2022
207	213/TD/2022	टीडी	27/11/2022
208	12/MP/2019	विविध याचिका	25/11/2022
209	80/MP/2019	विविध याचिका	25/11/2022
210	52/MP/2019	विविध याचिका	25/11/2022
211	184/MP/2018	विविध याचिका	25/11/2022
212	191/MP/2018	विविध याचिका	25/11/2022
213	190/MP/2018	विविध याचिका	25/11/2022
214	185/MP/2018	विविध याचिका	25/11/2022
215	135/MP/2018	विविध याचिका	24/11/2022
216	424/MP/2019	विविध याचिका	24/11/2022
217	259/MP/2022	विविध याचिका	22/11/2022
218	110/MP/2019	विविध याचिका	22/11/2022
219	137/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	21/11/2022
220	188/MP/2018	विविध याचिका	25/11/2022
221	196/MP/2019	विविध याचिका	21/11/2022
222	202/MP/2019	विविध याचिका	25/11/2022
223	341/MP/2020	विविध याचिका	25/11/2022
224	221/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	25/11/2022
225	243/TT/2021	पारेषण टैरिफ	24/11/2022
226	134/MP/2022	विविध याचिका	24/11/2022
227	222/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	12/11/2022
228	381/MP/2019	विविध याचिका	12/11/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
229	367/MP/2019	विविध याचिका	12/11/2022
230	437/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	14/11/2022
231	266/MP/2022	विविध याचिका	14/11/2022
232	12/TT/2022	पारेषण टैरिफ	14/11/2022
233	84/MP/2022	विविध याचिका	16/11/2022
234	116/TT/2017	पारेषण टैरिफ	16/11/2022
235	427/MP/2019	विविध याचिका	16/11/2022
236	289/MP/2022	विविध याचिका	11/11/2022
237	700/MP/2020	विविध याचिका	17/10/2022
238	2/RP/2022 in 468/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	10/11/2022
239	77/MP/2022	विविध याचिका	11/11/2022
240	503/TT/2020	पारेषण टैरिफ	10/11/2022
241	226/MP/2019	विविध याचिका	10/11/2022
242	228/MP/2019	विविध याचिका	10/11/2022
243	233/MP/2019	विविध याचिका	10/11/2022
244	236/MP/2019	विविध याचिका	10/11/2022
245	224/MP/2019	विविध याचिका	10/11/2022
246	231/MP/2019	विविध याचिका	10/11/2022
247	232/MP/2019	विविध याचिका	10/11/2022
248	234/MP/2019	विविध याचिका	10/11/2022
249	247/TT/2020	पारेषण टैरिफ	07/11/2022
250	272/TD/2022	टीडी	07/11/2022
251	111/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	03/11/2022
252	260/MP/2022	विविध याचिका	03/11/2022
253	153/MP/2022	विविध याचिका	31/10/2022
254	168/TT/2022	पारेषण टैरिफ	31/10/2022
255	93/TT/2020	पारेषण टैरिफ	31/10/2022
256	205/MP/2021	विविध याचिका	28/10/2022
257	20/TT/2022	पारेषण टैरिफ	28/10/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
258	148/MP/2022	विविध याचिका	25/10/2022
259	657/TT/2020	पारेषण टैरिफ	25/10/2022
260	208/MP/2019	विविध याचिका	21/10/2022
261	201/MP/2019	विविध याचिका	21/10/2022
262	251/MP/2019	विविध याचिका	20/10/2022
263	363/MP/2019	विविध याचिका	20/10/2022
264	270/TT/2021	पारेषण टैरिफ	20/10/2022
265	693/TT/2020	पारेषण टैरिफ	17/10/2022
266	14/RP/2022 in 652/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	17/10/2022
267	548/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	17/10/2022
268	121/MP/2022	विविध याचिका	17/10/2022
269	172/MP/2022	विविध याचिका	14/10/2022
270	118/MP/2022	विविध याचिका	14/10/2022
271	12/RP/2022 in 308/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	12/10/2022
272	42/TT/2022	पारेषण टैरिफ	12/10/2022
273	14/TT/2022	पारेषण टैरिफ	12/10/2022
274	210/MP/2022	विविध याचिका	11/10/2022
275	165/TT/2022	पारेषण टैरिफ	07/10/2022
276	427/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	07/10/2022
277	431/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	07/10/2022
278	244/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	03/10/2022
279	287/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	01/10/2022
280	302/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	01/10/2022
281	347/MP/2019	विविध याचिका	30/09/2022
282	429/MP/2019	विविध याचिका	30/09/2022
283	47/MP/2022	विविध याचिका	30/09/2022
284	40/MP/2022	विविध याचिका	30/09/2022
285	365/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	30/09/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
286	685/TT/2020	पारेषण टैरिफ	29/09/2022
287	13/SM/2022	स्वप्रेरणा	29/09/2022
288	157/MP/2022	विविध याचिका	29/09/2022
289	359/TT/2020	पारेषण टैरिफ	28/09/2022
290	403/TT/2020	पारेषण टैरिफ	27/09/2022
291	396/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	27/09/2022
292	474/TT/2020	पारेषण टैरिफ	26/09/2022
293	254/TT/2021	पारेषण टैरिफ	26/09/2022
294	149/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	26/09/2022
295	90/MP/2022	विविध याचिका	26/09/2022
296	23/TT/2022	पारेषण टैरिफ	23/09/2022
297	489/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	22/09/2022
298	654/TT/2020	पारेषण टैरिफ	20/09/2022
299	157/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	20/09/2022
300	393/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	19/09/2022
301	179/MP/2022	विविध याचिका	19/09/2022
302	62/MP/2020	विविध याचिका	16/09/2022
303	171/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	13/09/2022
304	145/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	13/09/2022
305	245/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	14/09/2022
306	19/RP/2021 in 312/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	13/09/2022
307	370/TT/2020	पारेषण टैरिफ	05/09/2022
308	86/MP/2022	विविध याचिका	09/09/2022
309	186/MP/2022	विविध याचिका	07/09/2022
310	3/RP/2022 in 156/TT/2015	पुनरीक्षण याचिका	07/09/2022
311	605/MP/2020	विविध याचिका	06/09/2022
312	43/TT/2022	पारेषण टैरिफ	05/09/2022
313	173/MP/2019	विविध याचिका	06/09/2022
314	15/TT/2022	पारेषण टैरिफ	02/09/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
315	16/TT/2022	पारेषण टैरिफ	02/09/2022
316	261/TT/2015	पारेषण टैरिफ	02/09/2022
317	380/MP/2019	विविध याचिका	01/09/2022
318	334/MP/2019	विविध याचिका	01/09/2022
319	181/MP/2022	विविध याचिका	31/08/2022
320	32/MP/2022	विविध याचिका	31/08/2022
321	8/TT/2021	पारेषण टैरिफ	30/08/2022
322	152/MP/2022	विविध याचिका	30/08/2022
323	12/TT/2021	पारेषण टैरिफ	29/08/2022
324	583/MP/2020	विविध याचिका	29/08/2022
325	279/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	29/08/2022
326	182/MP/2020	विविध याचिका	28/08/2022
327	151/RC/2022	विनियामक अनुपालन	25/08/2022
328	72/MP/2022	विविध याचिका	26/08/2022
329	89/MP/2022	विविध याचिका	26/08/2022
330	143/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	29/08/2022
331	673/TT/2020	पारेषण टैरिफ	24/08/2022
332	373/MP/2019	विविध याचिका	23/08/2022
333	349/TT/2020	पारेषण टैरिफ	22/08/2022
334	8/RP/2022 in 691/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	22/08/2022
335	10/MP/2021	विविध याचिका	24/08/2022
336	11/SM/2022	स्वप्रेरणा	12/08/2022
337	284/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	18/08/2022
338	23/RP/2021 in 132/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	14/08/2022
339	5/RP/2022 in 345/MP/2020	पुनरीक्षण याचिका	14/08/2022
340	282/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	14/08/2022
341	16/RP/2021 in 36/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	12/08/2022
342	15/RP/2021 in 84/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	12/08/2022
343	514/MP/2020	विविध याचिका	11/08/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
344	217/MP/2021	विविध याचिका	11/08/2022
345	147/TD/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	09/08/2022
346	154/MP/2022	विविध याचिका	09/08/2022
347	170/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	08/08/2022
348	208/MP/2022	विविध याचिका	04/08/2022
349	192/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	04/08/2022
350	70/MP/2018	विविध याचिका	03/08/2022
351	158/MP/2021	विविध याचिका	01/08/2022
352	647/TT/2020	पारेषण टैरिफ	29/07/2022
353	126/MP/2017	विविध याचिका	30/07/2022
354	133/MP/2021	विविध याचिका	29/07/2022
355	33/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	28/07/2022
356	10/SM/2022	स्वप्रेरणा	26/07/2022
357	210/MP/2017	विविध याचिका	25/07/2022
358	731/TT/2020	पारेषण टैरिफ	25/07/2022
359	707/TT/2020	पारेषण टैरिफ	25/07/2022
360	630/MP/2020	विविध याचिका	25/07/2022
361	389/MP/2018	विविध याचिका	20/07/2022
362	62/MP/2022	विविध याचिका	20/07/2022
363	76/MP/2019	विविध याचिका	20/07/2022
364	150/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	23/07/2022
365	272/MP/2021	विविध याचिका	20/07/2022
366	472/TT/2020	पारेषण टैरिफ	18/07/2022
367	171/TT/2019	पारेषण टैरिफ	18/07/2022
368	390/TT/2019	पारेषण टैरिफ	15/07/2022
369	105/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	18/07/2022
370	69/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	18/07/2022
371	30/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	18/07/2022
372	146/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	14/07/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
373	189/TT/2021	पारेषण टैरिफ	11/07/2022
374	154/TT/2020	पारेषण टैरिफ	11/07/2022
375	379/TT/2020	पारेषण टैरिफ	11/07/2022
376	49/MP/2021	विविध याचिका	11/07/2022
377	117/MP/2022	विविध याचिका	11/07/2022
378	191/MP/2022	विविध याचिका	12/07/2022
379	199/MP/2021	विविध याचिका	08/07/2022
380	254/TT/2019	पारेषण टैरिफ	08/07/2022
381	486/TT/2019	पारेषण टैरिफ	08/07/2022
382	80/MP/2022	विविध याचिका	08/07/2022
383	MP/010/2014	विविध याचिका	07/07/2022
384	082/MP/2013	विविध याचिका	07/07/2022
385	124/MP/2012	विविध याचिका	07/07/2022
386	1/MP/2012	विविध याचिका	07/07/2022
387	678/TT/2020	पारेषण टैरिफ	07/07/2022
388	201/MP/2021	विविध याचिका	06/07/2022
389	200/MP/2021	विविध याचिका	06/07/2022
390	125/TD/2022	व्यापार अनुज्ञप्ति	06/07/2022
391	662/TT/2020	पारेषण टैरिफ	05/07/2022
392	192/MP/2019	विविध याचिका	05/07/2022
393	26/RP/2021 in 560/MP/2020	पुनरीक्षण याचिका	04/07/2022
394	9/SM/2022	स्वप्रेरणा	01/07/2022
395	39/MP/2022	विविध याचिका	16/06/2022
396	102/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	16/06/2022
397	107/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	16/06/2022
398	164/MP/2019	विविध याचिका	27/06/2022
399	23/TT/2021	पारेषण टैरिफ	30/06/2022
400	129/TT/2020	पारेषण टैरिफ	30/06/2022
401	543/MP/2020	विविध याचिका	29/06/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
402	269/MP/2021	विविध याचिका	28/06/2022
403	423/TT/2019	पारेषण टैरिफ	29/06/2022
404	42/TT/2020	पारेषण टैरिफ	27/06/2022
405	159/MP/2022	विविध याचिका	27/06/2022
406	162/MP/2020	विविध याचिका	27/06/2022
407	159/TT/2021	पारेषण टैरिफ	25/06/2022
408	676/TT/2020	पारेषण टैरिफ	25/06/2022
409	187/MP/2021	विविध याचिका	27/06/2022
410	99/MP/2022	विविध याचिका	24/06/2022
411	122/MP/2019	विविध याचिका	20/06/2022
412	8/SM/2022	स्वप्रेरणा	14/06/2022
413	100/MP/2022	विविध याचिका	18/06/2022
414	92/MP/2018	विविध याचिका	06/06/2022
415	425/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	06/06/2022
416	31/MP/2021	विविध याचिका	06/06/2022
417	11/TT/2021	पारेषण टैरिफ	05/06/2022
418	666/TT/2020	पारेषण टैरिफ	06/06/2022
419	73/TT/2021	पारेषण टैरिफ	06/06/2022
420	12/RP/2021 in 167/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	08/06/2022
421	74/TT/2021	पारेषण टैरिफ	09/06/2022
422	28/RP/2021 in 347/MP/2020	पुनरीक्षण याचिका	09/06/2022
423	367/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	09/06/2022
424	173/MP/2020	विविध याचिका	10/06/2022
425	276/TT/2019	पारेषण टैरिफ	09/06/2022
426	485/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	10/06/2022
427	645/TT/2020	पारेषण टैरिफ	10/06/2022
428	482/TT/2020	पारेषण टैरिफ	10/06/2022
429	111/MP/2022	विविध याचिका	13/06/2022
430	469/TT/2020	पारेषण टैरिफ	06/06/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
431	106/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	08/06/2022
432	36/MP/2022	विविध याचिका	08/06/2022
433	35/MP/2022	विविध याचिका	08/06/2022
434	104/MP/2021	विविध याचिका	08/06/2022
435	103/MP/2021	विविध याचिका	08/06/2022
436	219/MP/2021	विविध याचिका	07/06/2022
437	229/MP/2021	विविध याचिका	07/06/2022
438	129/MP/2022	विविध याचिका	03/06/2022
439	32/TT/2021	पारेषण टैरिफ	03/06/2022
440	321/MP/2019	विविध याचिका	03/06/2022
441	420/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	04/06/2022
442	488/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	04/06/2022
443	381/TT/2020	पारेषण टैरिफ	04/06/2022
444	435/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	04/06/2022
445	274/TT/2020	पारेषण टैरिफ	02/06/2022
446	309/TT/2020	पारेषण टैरिफ	02/06/2022
447	690/TT/2020	पारेषण टैरिफ	01/06/2022
448	144/MP/2022	विविध याचिका	01/06/2022
449	31/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	01/06/2022
450	2/GT/2021	उत्पादन टैरिफ	01/06/2022
451	625/TT/2020	पारेषण टैरिफ	31/05/2022
452	3/RP/2021 in 172/TT/2018	पुनरीक्षण याचिका	31/05/2022
453	120/MP/2022	विविध याचिका	31/05/2022
454	78/MP/2022	विविध याचिका	30/05/2022
455	452/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	29/05/2022
456	50/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	28/05/2022
457	24/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	27/05/2022
458	202/MP/2018	विविध याचिका	27/05/2022
459	271/TT/2020	पारेषण टैरिफ	27/05/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
460	675/TT/2020	पारेषण टैरिफ	27/05/2022
461	138/MP/2022	विविध याचिका	27/05/2022
462	48/TL/2022	पारेषण अनुज्ञप्ति	27/05/2022
463	21/RP/2021 in 104/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	27/05/2022
464	223/TT/2020	पारेषण टैरिफ	27/05/2022
465	203/TT/2021	पारेषण टैरिफ	26/05/2022
466	10/RP/2022 in 157/ MP/2015,121/MP/2017	पुनरीक्षण याचिका	13/05/2022
467	9/RP/2022 in 157/ MP/2015,121/MP/2017	पुनरीक्षण याचिका	13/05/2022
468	6/RP/2022 in 157/ MP/2015,121/MP/2017	पुनरीक्षण याचिका	13/05/2022
469	352/TT/2020	पारेषण टैरिफ	26/05/2022
470	419/TT/2019	पारेषण टैरिफ	26/05/2022
471	488/TT/2019	पारेषण टैरिफ	26/05/2022
472	22/RP/2021 in 29/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	25/05/2022
473	7/RP/2022 in 293/GT/2020	पुनरीक्षण याचिका	24/05/2022
474	119/MP/2022	विविध याचिका	24/05/2022
475	525/MP/2020	विविध याचिका	23/05/2022
476	190/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	21/05/2022
477	733/TT/2020	पारेषण टैरिफ	20/05/2022
478	21/RP/2019 in 150/TT/2018	पुनरीक्षण याचिका	21/05/2022
479	17/RP/2021 in 85/TT/2020	पुनरीक्षण याचिका	20/05/2022
480	692/TT/2020	पारेषण टैरिफ	19/05/2022
481	103/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	17/05/2022
482	11/RP/2021 in 85/TT/2019	पुनरीक्षण याचिका	15/05/2022
483	238/MP/2017	विविध याचिका	13/05/2022
484	301/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	13/05/2022
485	97/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	13/05/2022
486	266/TT/2019	पारेषण टैरिफ	11/05/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
487	232/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	11/05/2022
488	195/MP/2017	विविध याचिका	11/05/2022
489	28/TT/2021	पारेषण टैरिफ	10/05/2022
490	101/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	10/05/2022
491	6/SM/2022	स्वप्रेरणा	09/05/2022
492	341/GT/2019	उत्पादन टैरिफ	09/05/2022
493	2/RP/2020 in 182/TT/2018	पुनरीक्षण याचिका	10/05/2022
494	146/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	09/05/2022
495	102/TT/2020	पारेषण टैरिफ	07/05/2022
496	393/MP/2019	विविध याचिका	07/05/2022
497	235/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	07/05/2022
498	241/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	07/05/2022
499	182/GT/2019	उत्पादन टैरिफ	07/05/2022
500	13/MP/2021	विविध याचिका	07/05/2022
501	51/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	06/05/2022
502	5/SM/2022	स्वप्रेरणा	06/05/2022
503	677/TT/2020	पारेषण टैरिफ	05/05/2022
504	26/MP/2019	विविध याचिका	05/05/2022
505	97/MP/2021	विविध याचिका	05/05/2022
506	49/AT/2022	अंगीकरण टैरिफ	04/05/2022
507	404/TT/2020	पारेषण टैरिफ	03/05/2022
508	98/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	02/05/2022
509	702/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	13/04/2022
510	296/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	30/04/2022
511	663/TT/2020	पारेषण टैरिफ	30/04/2022
512	279/TD/2021	व्यापार अनुज्ञप्ति	29/04/2022
513	413/TT/2020	पारेषण टैरिफ	27/04/2022
514	507/TT/2020	पारेषण टैरिफ	27/04/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
515	46/MP/2022	विविध याचिका	26/04/2022
516	285/MP/2021	विविध याचिका	26/04/2022
517	272/TT/2020	पारेषण टैरिफ	26/04/2022
518	60/TT/2017	पारेषण टैरिफ	26/04/2022
519	345/MP/2018	विविध याचिका	25/04/2022
520	88/TT/2020	पारेषण टैरिफ	22/04/2022
521	112/MP/2022	विविध याचिका	22/04/2022
522	41/MP/2019	विविध याचिका	22/04/2022
523	40/MP/2019	विविध याचिका	22/04/2022
524	486/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	21/04/2022
525	246/MP/2018	विविध याचिका	21/04/2022
526	362/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	21/04/2022
527	9/SM/2019	स्वप्रेरणा	20/04/2022
528	10/SM/2019	स्वप्रेरणा	20/04/2022
529	11/SM/2019	स्वप्रेरणा	20/04/2022
530	26/TT/2021	पारेषण टैरिफ	18/04/2022
531	94/TT/2020	पारेषण टैरिफ	18/04/2022
532	253/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	14/04/2022
533	240/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	14/04/2022
534	467/TT/2020	पारेषण टैरिफ	15/04/2022
535	3/GT/2021	उत्पादन टैरिफ	15/04/2022
536	90/MP/2019	विविध याचिका	15/04/2022
537	2/RP/2021 in 129/MP/2017	पुनरीक्षण याचिका	16/04/2022
538	451/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	16/04/2022
539	275/MP/2018	विविध याचिका	11/04/2022
540	680/TT/2020	पारेषण टैरिफ	11/04/2022
541	115/TT/2020	पारेषण टैरिफ	11/04/2022
542	260/AT/2021	अंगीकरण टैरिफ	11/04/2022
543	198/MP/2019	विविध याचिका	10/04/2022

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
544	277/AT/2021	अंगीकरण टैरिफ	11/04/2022
545	5/RP/2020 in 361/TT/2018	पुनरीक्षण याचिका	09/04/2022
546	426/GT/2020	उत्पादन टैरिफ	08/04/2022
547	258/AT/2021	अंगीकरण टैरिफ	08/04/2022
548	703/TT/2020	पारेषण टैरिफ	08/04/2022
549	6/RP/2021 in 136/TT/2017	पुनरीक्षण याचिका	08/04/2022
550	149/MP/2019	विविध याचिका	06/04/2022
551	278/AT/2021	अंगीकरण टैरिफ	07/04/2022
552	234/MP/2021	विविध याचिका	05/04/2022
553	195/MP/2021	विविध याचिका	05/04/2022
554	689/TT/2020	पारेषण टैरिफ	04/04/2022
555	276/AT/2021	अंगीकरण टैरिफ	05/04/2022
556	394/MP/2018	विविध याचिका	05/04/2022
557	4/SM/2022	स्वप्रेरणा	01/04/2022
558	498/MP/2020	विविध याचिका	04/04/2022
559	286/AT/2021	अंगीकरण टैरिफ	02/04/2022

अनुबंध-II

एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2023 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	2022–23 में क्षमता योग	31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1	सिंगरौली एसटीपीएस		2000	01/05/1988
2	रिहंद एसटीपीएस-I		1000	01/01/1991
3	रिहंद एसटीपीएस-II		1000	01/04/2006
4	रिहंद एसटीपीएस-III		1000	27/03/2014
5	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-I		420	13/02/1992
6	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-II		420	01/01/2001
7	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-III		210	01/01/2007
8	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-IV		500	30/09/2017
9	टांडा-I		440	14/01/2000
10	टांडा-II	660	1320	01/07/2021
11	एनसीटीपीएस दादरी-I		840	01/12/1995
12	एनसीटीपीएस दादरी-II		980	31/07/2010
13	कोरबा एसटीपीएस-IएवंII		2100	01/06/1990
14	कोरबा एसटीपीएस-III		500	21/03/2011
15	सीपत एसटीपीएस-I		1980	01/08/2012
16	सीपत एसटीपीएस-II		1000	01/01/2009
17	विंध्याचल एसटीपीएस-I		1260	01/02/1992
18	विंध्याचल एसटीपीएस-II		1000	01/10/2020
19	विंध्याचल एसटीपीएस-III		1000	15/07/2007
20	विंध्याचल एसटीपीएस-IV		1000	27/03/2014
21	विंध्याचल एसटीपीएस-V		500	30/10/2015
22	लारा		1600	07/11/2020
23	सोलापुर		1320	30/03/2019
24	मौदा एसटीपीएस-I		1000	30/03/2014
25	मौदा एसटीपीएस-II		1320	18/09/2017
26	गाडरवारा		1600	01/03/2021
27	खरगोन		1320	04/04/2020
28	तालचेर एसटीपीएस-I		1000	01/07/1997
29	तालचेर एसटीपीएस-II		2000	01/08/2005
30	बढ़ एसटीपीएस-I	660	660	12/11/2021
31	दर्लीपाली I एवं II	800	1600	01-09-2021
32	कहलगांव एसटीपीएस-I		840	01/08/1996
33	कहलगांव एसटीपीएस-II		1500	20/03/2010

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	2022–23 में क्षमता योग	31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
34	फरक्का एसटीपीएस-I&II		1600	01/04/1995
35	फरक्का एसटीपीएस-III		500	04/04/2012
36	बढ़ एसटीपीएस-II		1320	08/03/2016
37	बरौनी-I (अधिग्रहण किया गया) 13.03.1985		220	15/12/2018*
38	बरौनी-II	250	500	01/11/2021
39	बोंगाईगांव टीपीएस		750	01/11/2017
40	रामगुंडम एसटीपीएस-IएवंII		2100	01/04/1991
41	रामगुंडम एसटीपीएस-III		500	25/03/2005
42	सिम्हाद्री एसटीपीएस-I		1000	01/03/2003
43	सिम्हाद्री एसटीपीएस-II		1000	30/09/2012
44	कुडगी		2400	15/09/2018
	एनटीपीसी गैस स्टेशन			
45	फरीदाबाद		431.59	01/01/2001
46	औरैया		663.36	01/12/1990
47	दादरी		829.78	01/04/1997
48	अन्ता		419.33	01/08/1990
49	झानोर गंधार		657.39	01/11/1995
50	कवास		656.20	01/09/1993
51	कायमकुलम		359.58	01/03/2000
	एनटीपीसी–जेवी स्टेशन			
53	एपीसीपीएल, झज्जर		1500	26/04/2013
54	एनटीईसीएल, वेल्लूर		1500	26/02/2015
55	बीआरबीसीएल, नबीनगर	250	1000	01/12/2021
56	एनपीजीसीएल, नबीनगर	660	1320	23/07/2021
57	केबीयूएनएल, कांती-II		390	07/01/2017
58	एमयूएनपीएल, मेजा		1320	31/01/2021

अनुबंध-III

दामोदर वैली (डीवीसी) कार्पोरेशन के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2023 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	आरंभ की गई
1	बोकारो टीपीएस–क	(1 X500)=500	23.2.2017
2	चंद्रपुरा टीपीएस	(2 X 250) = 630	यू-VII: 2.11.2011 यू-VIII: 15.7.2011
3	दुर्गापुर टीपीएस	(1 X 210) =210	यू-IV: Sept,1982
4	मेजिया टीपीएस	(4X210)+(2X 250)+(2 X500)=2340	यू-I 1.3.1996 यू-II 1.3.1998 यू-III 1.9.1999 यू-IV 13.2.2005 यू-V 29.2.2008 यू-VI 24.9.2008 यू-VII 2.8.2011 यू-VIII 16.8.2012
5	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	(2 X 500) = 1000	यू-I 15.5.2012 यू-II 5.3.2013
6	कोडरमा टीपीएस	(2 X 500) =1000	यू-I 18.7.2013 यू-II 14.6.2014
7	रघुनाथपुर टीपीएस	(2 X 600) = 1200	31.3.2016
	कुल थर्मल	**6750**	

अनुबंध-IV

नीपको के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2023 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	
1.	अगरतला जीपीएस	84 (21 X 4) गैस टरबाइन	01.08.1998	
		51 (25.5 X 2) स्टीम टरबाइन	01.09.2015	
2.	असम जीपीएस'	291	01.04.1999	
3.	समन्वित साइकल पावर परियोजना आधारित त्रिपुरा गैस	101 मेगावाट (65.42 मेगावाट) गैस एवं (35.58 मेगावाट) स्टीम टरबाइन	गैस टरबाइन	24.12.2015
			स्टीम टरबाइन	31.03.2017
	कुल	**527**		

अनुबंध-V

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एनएलसी) के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2023 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	टीपीएस–2 स्टेज–1	630	23.04.1988
2.	टीपीएस–2 स्टेज–2	840	09.04.1994
3.	टीपीएस–1 विस्तार	420	05.09.2003
4.	टीपीएस–2 विस्तार	500	05.07.2015
5.	बरसिंगसर टीपीएस	250	21.01.2012
6.	एनटीपीएल (सहायक)	1000	29.08.2015
7.	एनएनटीपीपी	1000	10.02.2021
	कुल	4640	

अनुबंध-VI

वर्ष 2022–23 के लिए थर्मल पावर स्टेशन (नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार) के टैरिफ का विवरण

एनटीपीसी उत्पादन केन्द्र

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य नियत प्रभार (रूपये/किलोवाट घण्टा)/@ 85% एसजी	ईसीआर (रूपये/किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये/किलोवाट घण्टा)
1	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	0.660	1.492	2.152
2	रिहंद एसटीपीएस-I	1000	0.844	1.522	2.366
3	रिहंद एसटीपीएस-II	1000	0.768	1.562	2.330
4	रिहंद एसटीपीएस-III	1000	1.443	1.544	2.987
5	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-I	420	1.024	4.407	5.431
6	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-II	420	1.096	4.134	5.230
7	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-III	210	1.193	4.391	5.584
8	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-IV	500	1.655	4.131	5.786
9	टांडा-I	440	1.264	5.025	6.290
10	टांडा-II	660	1.469	3.880	5.350
11	एनसीटीपीएस दादरी-I	840	0.973	4.868	5.841
12	एनसीटीपीएस दादरी-II	980	1.393	4.788	6.181

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य नियत प्रभार (रूपये / किलोवाट घण्टा) / @ 85% एसजी	ईसीआर (रूपये / किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये / किलोवाट घण्टा)
13	कोरबा एसटीपीएस-।एवं।।	2100	0.743	1.529	2.272
14	कोरबा एसटीपीएस-।।।	500	1.349	1.471	2.820
15	सीपत एसटीपीएस-।	1980	1.280	1.989	3.270
16	सीपत एसटीपीएस-।।	1000	0.986	2.240	3.225
17	विंध्याचल एसटीपीएस-।	1260	0.896	1.621	2.517
18	विंध्याचल एसटीपीएस-।।	1000	0.769	1.534	2.304
19	विंध्याचल एसटीपीएस-।।।	1000	0.912	1.546	2.458
20	विंध्याचल एसटीपीएस-IV	1000	1.565	1.532	3.097
21	विंध्याचल एसटीपीएस-V	500	1.672	1.585	3.256
22	लारा	1600	1.674	2.531	4.205
23	सोलापुर	1320	1.720	4.962	6.683
24	मौदा एसटीपीएस-।	1000	1.723	4.240	5.963
25	मौदा एसटीपीएस-।।	1320	1.495	4.298	5.793
26	गाडरवारा	1600	2.077	4.230	6.307
27	खरगोन	1320	1.813	4.865	6.678
28	तालचेर एसटीपीएस-।	1000	0.959	1.917	2.875
29	तालचेर एसटीपीएस-।।	2000	0.714	1.937	2.651
30	तालचेर टीपीएस	460	1.662	1.164	2.825
31	दर्लीपाली	800	1.048	3.707	4.755
32	कहलगांव एसटीपीएस-।	840	1.089	3.530	4.619
33	कहलगांव एसटीपीएस-।।	1500	0.824	3.840	4.664
34	फरक्का एसटीपीएस-।एवं।।	1600	1.492	3.730	5.222
35	फरक्का एसटीपीएस-।।।	500	2.424	3.174	5.598
36	बढ़ एसटीपीएस-।।	1320	1.840	3.432	5.272
37	बरौनी-।	220	0.767	4.583	5.350
38	बरौनी-।।	250	1.760	2.729	4.489
39	बोंगाईगांव टीपीएस	750	2.406	3.823	6.229
40	रामगुंडम एसटीपीएस-।एव।।	2100	0.728	4.024	4.751
41	रामगुंडम एसटीपीएस-।।।	500	0.833	3.710	4.543
42	सिम्हाद्री एसटीपीएस-।	1000	0.962	4.479	5.441

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य नियत प्रभार (रूपये / किलोवाट घण्टा) / @ 85% एसजी	ईसीआर (रूपये / किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये / किलोवाट घण्टा)
43	सिम्हाद्री एसटीपीएस-II	1000	1.450	4.350	5.800
44	कुडगी	2400	1.668	5.573	7.241
45	नबीनगर एसटीपीएस-I	1980	2.174	2.756	4.930
46	मुजफ्फरपुर टीपीएस-II	390	2.741	2.766	5.507
47	नॉर्थ करनपुरा-I	660	2.412	1.608	4.020
2022–23 के लिए एनटीपीसी गैस स्टेशन टैरिफ					
48	फरीदाबाद	431.59	0.746	4.080	4.826
49	औरैया	663.36	0.635	19.134	19.769
50	दादरी	829.78	0.515	14.218	14.733
51	अन्ता	419.33	0.709	19.270	19.979
52	गंधार	657.39	0.856	11.741	12.597
53	कवास	656.20	0.878	17.525	18.402
54	कायमकुलम	359.58	0.384	0.000	0.384
2022–23 के लिए एनटीपीसी–जेवी स्टेशन टैरिफ					
55	एमयूएनपीएल, मेजा	1320	1.990	3.125	5.114
56	एपीसीपीएल, झज्जर	1500	1.585	4.606	6.191
57	एनटीईसीएल, वेल्लूर	1500	1.727	3.532	5.259
मैथोन पावर लिमिटेड					
58	मैथोन पावर लिमिटेड	1050	1.389	2.741	4.13
एनएलसी स्टेशन					
59	टीएस-II स्टेज 1	630	2.733	0.71	3.44
60	टीएस-II स्टेज 2	840	2.737	0.74	3.47
61	टीपीएस-I विस्तार	420	2.443	0.99	3.43
62	बीटीपीएस	250	2.310	1.130	3.44
63	टीपीएस–2 विस्तार	500	2.614	2.13	4.75
64	एनटीपीएल	1000	1.553	4.171	5.724
65	एनएनटीपीपी	1000	2.202	1.80	4.01
डीवीसी					
66	एमटीपीएस (1-3)	630	1.04	3.66	4.69

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य नियत प्रभार (रूपये / किलोवाट घण्टा) / @ 85% एसजी	ईसीआर (रूपये / किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये / किलोवाट घण्टा)
67	एमटीपीएस (4)	210	1.00	3.39	4.40
68	एमटीपीएस (5-6)	500	1.13	3.78	4.91
69	एमटीपीएस (7-8)	1000	1.49	3.58	5.07
70	सीटीपीएस (7-8)	500	1.73	3.62	5.35
71	डीएसटीपीएस (1-2)	1000	1.53	3.79	5.32
72	केटीपीएस (1-2)	1000	1.68	3.54	5.22
73	आरटीपीएस (1-2)	1200	1.63	3.88	5.51
74	बीटीपीएस क	500	2.20	2.77	4.97
पीपीसीएल बवाना					
75	पीपीसीएल बवाना टीपीएस	1371.2	1.32	6.759	8.079
ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, पलटाना परियोजना					
76	पलटाना	726.6	1.31	1.95	3.26
नीपको गैस संयंत्र					
77	एजीबीपी	291.00	1.8835	2.062	3.9455
78	एजीटीसीसीपी	135.00	1.884	2.582	4.466
79	टीजीबीपी	101.00	2.5354	1.583	4.1184

नोटः वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ विवरण संबंधित उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

अनुबंध-VII

विभिन्न प्रकार के हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के प्रत्येक के वाणिज्यिक प्रचालन की वर्ष और 31.03.2023 को संस्थापित क्षमता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीओडीं
क	**एनएचपीसी**				
1.	बैरासिउल	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 X 60 = 180	01.04.1982
2	लोकतक	मणिपुर	स्टोरेज	3 x 35 = 105	01.06.1983
3	टनकपुर	उत्तराखंड	आरओआर	3 x 31.40 =94.20	01.04.1993
4	चमेरा– I	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 180 = 540	01.05.1994
5	सलाल	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	6 x 115 = 690	01.04.1995

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीओडीं
6	उरी – I	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4 x120 = 480	01.06.1997
7	रंगित एच.ई. परियोजना	सिक्किम	पोंडेज	3 x 20 = 60	15.02.2000
8	चमेरा – II	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 100 = 300	31.03.2004
9	धौलीगंगा	उत्तराखंड	पोंडेज	4 x 70 = 280	01.11.2005
10	दुलहस्ती	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज	3 x130 = 390	07.04.2007
11	तीस्ता – V	सिक्किम	पोंडेज	3 x 170 = 510	10.04.2008
12	सेवा-II	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज	4 x 30 = 120	24.07.2010
13	चमेरा – III	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 77 =231	04.07.2012
14	चटक	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4x11=44	01.02.2013
15	तीस्ता लॉ डैम –III	सिक्किम	लघु पोंडेज के साथ आरओआर	4 x 33 =132	19.05.2013
16	निमूबाजगो	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज	3x15= 45	10.10.2013
17	उरी – II	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4 x 60 =240	01.03.2014
18	पार्बती स्टेज-III	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x130=520	06.06.2014
19	तीस्ता लॉ डैम IV	सिक्किम	प्रतिदिन पोंडेज के साथ आरओआर	4 x40=160	19.08.2016
20	किशनगंगा	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज	3x110=330	24.05.2018
	कुल आई.सी.			**5451.20**	
ख	**एनएचडीसी**				
21	इंदिरा सागर	मध्य प्रदेश	स्टोरेज	8x125=1000	25.08.2005
22	ओंकारेश्वर	मध्य प्रदेश	पोंडेज	8x65 = 520	15.11.2007
	कुल आई.सी.			**1520**	

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीओडीं
ग	**टीएचडीसी**				
23	टिहरी	उत्तराखंड	स्टोरेज	4x250=1000	09.07.2007
24	कोटेश्वर	उत्तराखंड	पोंडेज	4x100=400	01.04.2012
	कुल आई.सी.			**1400**	
घ	**एसजेवीएनएल**				
25	नाथपाझाकरी	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	6X250=1500	18.05.2004
26	रामपुर		Tandem	6x68.66=412	16.12.2014
	कुल आई.सी.			**1912**	
ड	**डीवीसी**				
27	मैथन	झारखांड / पश्चिम बंगाल	स्टोरेज	2x20,1x23.20=63.20	December, 1958
28	पंचेत	झारखांड / पश्चिम बंगाल	स्टोरेज	2x40=80	March,1991
29	तलिया	झारखंड	स्टोरेज	2x2=4	August,1953
	कुल आई.सी.			**147.20**	
च	**नीपको**				
30	रंगानदी	अरुणाचल प्रदेश	पोंडेज	3x135=405	12.04.2002
31	कोपिली स्टेज-I	असम	स्टोरेज	4x50=200	12.07.1997
32	कोपिली स्टेज-II	असम	स्टोरेज	1x25=25	26.07.2004
33	खांडोंग	असम	स्टोरेज	2x25=50	04.05.1984
34	दोयांग	नगालैंड	स्टोरेज	3x25=75	08.07.2000
35	तुइरिअल	मिजोरम	स्टोरेज	2x30=60	27.04.2018
36	पारे	अरुणाचल प्रदेश	पोंडेज	2x55=110	28.05.2018

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीओडीं
37	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	आरओआर	4x150=600	12.02.2021
	कुल आई.सी.			**1525**	
छ	**एनटीपीसी**				
38	कोल्डम	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x200=800	18.07.2015
	कुल आई.सी.			**800**	
ज	**बीबीएमबी**				
39	बीबीएमबीका उत्पादन स्टेशन	पंजाब	आरओआर/ स्टोरेज	**2936.73**	1955-1983
	कुल आई.सी.			**2936.73**	
झ	**तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड**				
40	तीस्ता-III एचईपी	सिक्किम	पोंडेज	6x200=1200	28.02.2017
	कुल आई.सी.			**1200**	
ढ	**आईपीपी**				
41	करचम वांगटू	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x250=1000	13.09.2011
	कुल आई.सी.			**1000**	
आई.सी. का कुल योग				**17892.13**	

अनुबंध VIII

एएफसी से अनुमोदित नवीनतम आधार पर उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई 2022–23 अवधि के लए हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के लिए समन्वित टैरिफ

क्र. सं.	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	यूनिटों की सं./ क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक डीई (एमयू)	समन्वित टैरिफ (जम्मू–कश्मीर के लिए जल कर सहित) (रूपये/किलोवाट घण्टा)
एनएचपीसी					
1	बैरास्यूल	180	(3 x 60)	779.28	2.23
2	सलाल	690	(6 x 115)	3082	1.50
3	टनकपुर	94.2	(3 x 31.4)	452.19	4.76
4	चमेरा-I	540	(3 x 180)	1664.55	2.22
5	उरी-I	480	(4 x 120)	2587.38	1.64
6	चमेरा-II	300	(3 x 100)	1499.89	2.01
7	धौलीगंगा	280	(4 x 70)	1134.69	2.51

क्र. सं.	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	यूनिटों की सं./ क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक डीई (एमयू)	समन्वित टैरिफ (जम्मू–कश्मीर के लिए जल कर सहित) (रूपये/किलोवाट घण्टा)
8	दुलहस्ती	390	(3 x 130)	1906.8	4.57
9	लोकतक	105	(3 x 35)	448	3.89
10	रंगीत	60	(3 x 20)	338.61	3.90
11	तीस्ता-V	510	(3 x 170)	2572.7	2.33
12	उरी-II	240	(4 x 60)	1123.77	4.26
13	निमू बाजगो	45	(3 x 15)	239.33	9.13
14	चटक	44	(4 x 11)	212.93	8.90
15	सेवा-II	120	(3 x 40)	533.53	5.30
16	चमेरा-III	231	(3 x 77)	1108.17	4.21
17	पारबती-III	520	(4 x 130)	1963.29	3.08
18	टीएलडीपी-III	132	(3 x 44)	594.07	5.30
19	टीएलडीपी-IV	160	(4x40)	720	4.35
20	किशनगंगा	330	(3x110)	1712.96	3.94
एसजेवीएनएल					
21	नाथपा झाकरी	1500	(250x6)	6612	2.406
22	रामपुर	412	(68.67x6)	1878.08	4.162
नीपको					
23	रंगानदी	405	(3x135)	1509.69	2.745
24	कोपीली स्टेज-I	200	(4x50)	1186.14	1.421
25	कोपीली स्टेज-II	25	(1x25)	86.30	2.96
26	खंदोंग	50	(2x25)	227.61	1.775
27	दोयांग	75	(3x25)	227.24	6.751
28	तुइरियल	60	(2x30)	250.63	5.124
29	पारे*	110	(2x55)	506.42	5.27
30	कामेंग*	600	(4x150)	3353	4
टीएचडीसी					

क्र. सं.	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	यूनिटों की सं./ क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक डीई (एमयू)	समन्वित टैरिफ (जम्मू–कश्मीर के लिए जल कर सहित) (रूपये/किलोवाट घण्टा)
31	टिहरी	1000	(4x250)	2797	3.81
32	कोटेश्वर	400	(4x100)	1154.82	5.29
एनएचडीसी					
33	इन्दिरा सागर	1000	(8x125)	1442.7	3.80
34	ओंकारेश्वर	520	(8x65)	677.47	4.63
डीवीसी					
35	मैथन	63.20	(2x20,1x23.20)	137	2.999
36	पंचेट	80	(2x40)	237	1.608
37	तालिया	4	(2x2)	9.97	12.235
आईपीपी					
38	करचम वांगटू	1000	(4x250)	4559.77	2.798
एनटीपीसी					
39	कोलडम	800	(4x200)	3054.79	7.332

*नीपको और इसके लाभार्थियों द्वारा आपसी सहमति।

अनुबंध IX

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आरई प्रोद्योगिकी के लिए जेनरिक टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2022–23) (रूपये/किलोवाट घण्टा)
लघु हाइड्रो पावर परियोजना	
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख। (5 मेगावाट से नीचे)	5.23
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख।(5मेगावाट से 25मेगावाट)	4.76
अन्य राज्य (5 मेगावाट से नीचे)	5.84
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	5.76

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.70	5.52	8.22	0.11	8.10
हरियाणा	2.75	6.28	9.04	0.11	8.93
महाराष्ट्र	2.77	6.43	9.19	0.11	9.08
पंजाब	2.78	6.57	9.35	0.11	9.24
राजस्थान	2.69	5.49	8.18	0.11	8.07
तमिलनाडु	2.69	5.43	8.12	0.11	8.01
तेलंगाना	2.69	5.52	8.22	0.11	8.10
यूपी	2.70	5.62	8.32	0.11	8.21
अन्य	2.73	5.90	8.63	0.11	8.52

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
वाटरकूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.84	5.65	8.49	0.12	8.36
हरियाणा	2.90	6.43	9.33	0.12	9.20
महाराष्ट्र	2.91	6.57	9.48	0.12	9.36
पंजाब	2.92	6.72	9.65	0.12	9.52
राजस्थान	2.84	5.61	8.45	0.12	8.32
तमिलनाडु	2.83	5.55	8.39	0.12	8.26
तेलंगाना	2.84	5.65	8.49	0.12	8.36
यूपी	2.85	5.74	8.59	0.12	8.47
अन्य	2.87	6.04	8.91	0.12	8.79

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
वाटरकूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.80	5.52	8.32	0.12	8.20
हरियाणा	2.86	6.28	9.14	0.12	9.02
महाराष्ट्र	2.87	6.43	9.30	0.12	9.17
पंजाब	2.88	6.57	9.45	0.12	9.33
राजस्थान	2.80	5.49	8.28	0.12	8.16
तमिलनाडु	2.79	5.43	8.22	0.12	8.10
तेलंगाना	2.80	5.52	8.32	0.12	8.20
यूपी	2.81	5.62	8.42	0.12	8.30
अन्य	2.83	5.90	8.73	0.12	8.61

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
वाटरकूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.95	5.65	8.59	0.13	8.46
हरियाणा	3.00	6.43	9.43	0.13	9.30
महाराष्ट्र	3.02	6.57	9.59	0.13	9.46
पंजाब	3.03	6.72	9.75	0.13	9.62
राजस्थान	2.94	5.61	8.55	0.13	8.42
तमिलनाडु	2.94	5.55	8.49	0.13	8.36
तेलंगाना	2.94	5.65	8.59	0.13	8.45
यूपी	2.95	5.74	8.70	0.13	8.56
अन्य	2.98	6.04	9.02	0.13	8.88

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
वाटरकूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.69	5.42	8.11	0.11	8.00
हरियाणा	2.75	6.17	8.92	0.11	8.81
महाराष्ट्र	2.76	6.31	9.07	0.11	8.96
पंजाब	2.77	6.45	9.22	0.11	9.11
राजस्थान	2.69	5.39	8.07	0.11	7.96
तमिलनाडु	2.68	5.33	8.02	0.11	7.90
तेलंगाना	2.69	5.42	8.11	0.11	8.00
यूपी	2.70	5.52	8.21	0.11	8.10
अन्य	2.72	5.80	8.52	0.11	8.40

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
वाटरकूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.83	5.54	8.38	0.12	8.25
हरियाणा	2.89	6.31	9.20	0.12	9.08
महाराष्ट्र	2.90	6.45	9.36	0.12	9.24
पंजाब	2.91	6.60	9.52	0.12	9.39
राजस्थान	2.83	5.51	8.34	0.12	8.22
तमिलनाडु	2.83	5.45	8.28	0.12	8.16
तेलंगाना	2.83	5.54	8.38	0.12	8.25
यूपी	2.84	5.64	8.48	0.12	8.36
अन्य	2.86	5.93	8.79	0.12	8.67

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
वाटरकूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.79	5.42	8.21	0.12	8.09
हरियाणा	2.85	6.17	9.02	0.12	8.90
महाराष्ट्र	2.86	6.31	9.17	0.12	9.05
पंजाब	2.87	6.45	9.33	0.12	9.20
राजस्थान	2.79	5.39	8.18	0.12	8.05
तमिलनाडु	2.79	5.33	8.12	0.12	8.00
तेलंगाना	2.79	5.42	8.21	0.12	8.09
यूपी	2.79	5.52	8.32	0.12	8.19
अन्य	2.82	5.80	8.62	0.12	8.50

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
वाटरकूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.94	5.54	8.48	0.13	8.35
हरियाणा	3.00	6.31	9.31	0.13	9.18
महाराष्ट्र	3.01	6.45	9.46	0.13	9.33
पंजाब	3.02	6.60	9.62	0.13	9.49
राजस्थान	2.94	5.51	8.45	0.13	8.31
तमिलनाडु	2.93	5.45	8.39	0.13	8.25
तेलंगाना	2.94	5.54	8.48	0.13	8.35
यूपी	2.95	5.64	8.59	0.13	8.45
अन्य	2.97	5.93	8.90	0.13	8.76

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
बायो गैस आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आंध्र प्रदेश	2.98	3.62	6.60	0.16	6.43
हरियाणा	2.69	5.15	7.84	0.14	7.70
महाराष्ट्र	2.41	5.07	7.49	0.12	7.36
पंजाब	2.64	4.53	7.17	0.14	7.03
तमिलनाडु	2.32	3.90	6.22	0.12	6.10
तेलंगाना	2.57	3.62	6.19	0.14	6.05
यूपी	3.01	4.04	7.05	0.16	6.88
अन्य	2.63	4.38	7.01	0.14	6.87

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आंध्र प्रदेश	2.66	5.09	7.75	0.08	7.67
हरियाणा	2.71	5.80	8.51	0.08	8.43
महाराष्ट्र	2.72	5.93	8.65	0.08	8.57
पंजाब	2.73	6.06	8.80	0.08	8.71
राजस्थान	6.65	5.06	7.72	0.08	7.63
तमिलनाडु	2.65	5.01	7.66	0.08	7.58
तेलंगाना	2.66	5.09	7.75	0.08	7.67
यूपी	2.67	5.18	7.85	0.08	7.76
अन्य	2.69	5.45	8.13	0.08	8.05
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.40	5.34	8.75	0.16	8.59

अनुबंध X

68606/2023/CRO/CERC

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Dated:

To,

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Power,
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi -110001

Subject: Separate Audit Report on the Annual Accounts of Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi for the year 2022-23.

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the Annual Accounts of Central Electricity Regulatory Commission (CERC), New Delhi for the year 2022-23 along with the Annual Accounts for the year 2022-23.

The Separate Audit Report and Annual Accounts may kindly be laid on the table of both Houses of the Parliament after these are adopted by the Commission.

Two copies of the document as presented to both Houses of the Parliament may kindly be forwarded to this office with an intimation regarding the date(s) on which these are laid on table of both the Houses of the Parliament.

Yours faithfully,

Encl: As above.

Sd/-

(Sanjay K. Jha)
Director General

Secretary

IFA
AC(A)

23/10

23/10/2023

PAO

301/Chm
20/10/2023

Received on 20/10/2023

3247/S
23.10.23

पांचवा, छठा, सातवाँ, एवं दसवां तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनेक्सी, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel. 011-23239213, 23239235, Fax: 011-23239211, Email: pdaenergydl@cag.gov.in

No.: DGA(Energy) /Rep/01-149/Acs-CERC/2023-24 / 277 Dated: 16-10-2023

Copy forwarded to:

The Chairperson, Central Electricity Regulatory Commission, 3rd & 4th floor, Chanderlok Building, New Delhi-110001 alongwith Management Letter for necessary action.

Encl: As above.

(Sanjay K. Jha)
Director General

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Central Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2023

We have audited the attached Balance Sheet of Central Electricity Regulatory Commission (CERC), New Delhi as at 31 March, 2023 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 100(2) of the Electricity Act, 2003. These financial statements are the responsibility of CERC's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government under sub-section (i) of section 100 of the Electricity Act, 2003.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by CERC as required under Section 100(1) of the Electricity Act, 2003 (with amendments of 2003 and 2007) in-so-far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. COMMENTS ON ACCOUNTS

1. General

1.1. Contingent liabilities and Notes on Accounts (Schedule -23)

1.1.1. Capital Commitments- Note No.2 (b)

The above is overstated due to inclusion of ₹787.38 lakh already paid by CERC during 2022-23 against the agreed amount of ₹2625 lakh (agreement dated 17th November 2022) in respect of interior works for the office premises at World Trade Centre.

1.1.2. Current Assets, Loans and Advances – Note No. 6

The disclosure regarding postponement of recognition of revenue in the cases where there was uncertainty about realization, is deficient to include ₹129 lakh, which was receivable from three parties (Shyam Indus Power Solutions Pvt. Ltd. and Vedprakash power Pvt. Ltd. and Global Energy Pvt. Ltd.).

B. Grants-in-Aid

Out of the Grant of ₹13500 lakh, released from CERC Fund, CERC utilized ₹7347.20 lakh (₹6568.72 lakh of revenue grant and ₹778.48 lakh of capital grant) during the year 2022-23, leaving an unspent balance of ₹6152.80 lakh as on 31 March 2023.

C. Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report would be brought to the notice of the Chairperson, CERC through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a) in so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Central Electricity Regulatory Commission as at 31 March 2023; and

b) in so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: New Delhi
Date: 16 October 2023

(Sanjay K. Jha)
Director General of Audit (Energy)

Annexure I

{Referred to in Para 4 (vi)}

1.	Adequacy of Internal Audit System	Internal Audit had been carried out by engaging outside CA Firm for the year 2022-23. Further, Internal Audit for the period 2022-23 by MoP is yet to be carried out.
2.	Adequacy of Internal Control System	Internal Control system is commensurate with the size of the AB. However, few lapses were observed and commented upon suitably.
3.	System of verification of fixed Assets	Physical Verification of Fixed Assets and Consumables had been completed for the year 2022-23. CERC has not prepared its Fixed Assets Register and Consumable Stock Register as per GFR 22 and 23 respectively.
4.	System of Physical verification of Inventory.	
5.	Regularity in payment of Statutory Dues applicable to them.	As per Income Tax Act 1961, CERC has been exempted from Income Tax. Though TDS of Income Tax is being deducted and paid regularly. As per the clarification, received from the Ministry of Finance, regarding applicability of GST on the receipts other than those in pursuance of deemed judiciary functions of CERC, GST is applicable on the fee/receipts of its regulatory functions. However, without receiving any exemption in this regard, till date, CERC neither collected nor paid the statutory liability on account of GST amounting ₹5223.49 lakh for the years 2018-19 to 2022-23 on the fee/receipts collected by CERC.
6.	Significant risk to financial reporting observed during the course of audit.	No significant risk perceived.
7.	Details of loss of cash or Government property due to theft, misappropriation, fraud and embezzlement etc. during the year.	Management certified that no such case was noticed/reported during the year.

Director General of Audit (Energy)

अनुबंध XI

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजी निधि	1	**27,882.71**	6,786.65
केविविआ निधि	2	**66,813.22**	77,526.78
अन्य निधियां			
1 भविष्य निधियाँ		**-**	-
2 अन्य		**-**	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां		**-**	-
सुरक्षित ऋण और उधार			
1 सरकार से		**-**	-
2 अन्यों से		**-**	-
असुरक्षित ऋण और उधार		**-**	-
आस्थगित ऋण देयताएं		**-**	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3	**74,275.35**	99,966.70
कुल		**1,68,971.28**	**1,84,280.13**
आस्तियां			
नियत आस्तियां	4 , 4क	**266.82**	238.01
निवेश– केविविआ की निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से		**-**	-
पूंजीगत कार्य–प्रगति	5	**-**	16.52
अग्रिम	6	**-**	0.14
जमा – प्रतिभूति जमा	7	**507.62**	505.08
ऋण तथा अग्रिम	8	**27,663.64**	26,879.53
विविध देनदार	9	**2.05**	1.34
कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी को किया गया भुगतान		**-**	-
नकद तथा बैंक शेष	10	**78,741.41**	98,735.34
अन्य चालू आस्तियां	11	**61,789.74**	57,904.17
कुल		**1,68,971.28**	**1,84,280.13**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	23		

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
आय			
विद्युत मंत्रालय से अनुदान (नगद आधार पर)	12	**7,347.20**	-
बिक्री / सेवाएं		**-**	-
संगोष्ठियाँ एवं सम्मेलन		**-**	-
परामर्श		**-**	-
फीस	13	**-**	16,128.28
निवेश (निर्धारित / बंदोबस्त निधियों से निवेश पर आय का निधियों को अंतरण)		**-**	-
रॉयल्टी, प्रकाशन, इत्यादि			
1. रॉयल्टी		**-**	-
2 प्रकाशन		**-**	-
ब्याज आय	14	**-**	248.70
अन्य आय	15	**0.75**	0.64
पूर्व अवधि मदें (निवल)	16	**-**	6.90
आस्थागित आय	4, 4A		
(सहायता अनुदान से अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण)			
1. चालू वर्ष		**96.85**	21.18
2 पूर्ववर्ती वर्ष समायोजन – अनुसूची–4क		**111.95**	-
तैयार माल और अर्धनिर्मित उत्पादन के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)		**-**	-
कुल (क)		**7,556.75**	**16,405.70**
व्यय			
स्थापना खर्चे	17	**1,647.51**	1,338.35
व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं का भुगतान		**558.08**	711.30
यात्रा खर्चे	18	**35.45**	11.10
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	19	**3,812.06**	3,479.85
स्टेशनरी तथा मुद्रण		**28.58**	21.25
प्रकाशन		**11.11**	16.26
विविध और अन्य व्यय		**2.04**	1.41
मरम्मत तथा रखरखाव	20	**63.55**	51.22
पेट्रोल तथा स्नेहक		**27.16**	13.94
आतिथ्य खर्चे		**16.35**	6.91
लेखा–परीक्षा फीस		**27.14**	7.48
विधिक प्रभार		**-**	-
भविष्य निधि एवं अन्य अंशदान	21	**291.29**	326.37

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
जीपीएफ/सीपीएफ पर ब्याज		-	-
समूह बीमा योजना		-	-
मूल्यह्रास	4, 4A	**96.85**	63.09
पूर्व अवधि व्यय	16	**4.76**	-
नियत आस्तियों की बिक्री से हानि		-	-
अशोध्य ऋण की वापसी		-	-
केविविआ निधि के प्रति समायोज्य व्यय (उपचय आधार पर)		**934.82**	-
कुल (ख)		**7,556.75**	**6,048.53**
व्यय पर आय की अधिकता का सीईआरसी निधि खाते में अंतरण		-	10,357.17
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	23		

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 1 – पूंजी निधिः			चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
क	**पूंजी रिजर्व – अनुदान सहायता से सृजित आस्तियां**		**86.65**	107.99
	घटाएं : अचल आस्तियों पर वर्ष के लिए अवक्षयण के कारण आस्थागित आय (सहायता अनुदान से अर्जित)	(208.80)		
	जोड़ें: सहायता अनुदान से निधिक आस्तियों का संवर्धन (निवल)	388.97	**180.17**	(21.34)
	कुल (क)		**266.82**	**86.65**
ख	**पूंजी निर्माण – सहायता अनुदान में से निर्मित आस्तियाँ**			
	वर्ष के आरंभ में शेष		**6,700.00**	-
	जोड़ें: एनबीसीसी परियोजना के लिए सहायता अनुदान	20,128.51		6,700.00
	जोड़ें: एनएसएल परियोजना के लिए सहायता अनुदान	787.38	**20,915.89**	-
	कुल (ख)		**27,615.89**	6,700.00
कुल योग (क+ख)			**27,882.71**	**6,786.65**

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव

(₹ लाख में)

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च,2023 को तुलनपत्र की भागरुप अनुसूचियां

अनुसूची 2 – केविविआ निधिः			चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
वर्ष के प्रारंभ में शेष			**77,526.78**	73,869.45
घटाएं:	पूर्ववर्ती वर्ष में रिलीज की गई राशि का अव्ययित शेष	-		
	वर्तमान अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज	(13,500.00)	**(13,500.00)**	-
			64,026.78	-
जोड़ें:	प्रत्यक्ष आयः			
	फाइलिंग फीस/टैरिफ फीस	10,180.51		
	अनुज्ञप्ति फीस	6,241.86		
	वार्षिक पंजीकरण फीस	94.31		
	विविध फीस	17.32	**16,534.00**	-
	अप्रत्यक्ष आयः			
	अर्जित ब्याज	467.53		
	अन्य आय	-	**467.53**	-
घटाएं:	अनुदान सहायता से निधिक आस्तियों का मूल्य		**(21,304.86)**	(6,700.00)
जोड़ें:	एपटेल द्वारा लगाई गई लागत		**1.15**	
जोड़ें:	अविवादित जुर्माना		**1.00**	-
जोड़ें:	अव्ययित अनुदान – अगले वित्त वर्ष में ले जाया गया नगद आधार		**6,152.80**	-
जोड़ें:	केविविआ निधि के प्रति समायोज्य व्यय (उपचय आधार)		**934.82**	-
जोड़ें:	आय का व्यय से आधिक्य		**-**	10,357.17
जोड़ें:	अनुदान सहायता से निधिक आस्तियों के निपटान का अवशिष्ट मूल्य		**-**	0.16
कुल			**66,813.22**	77,526.78

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च,2023 को तुलनपत्र की भागरुप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 3 – चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
क. चालू देयताएं		
1. विविध ऋणदाता	**180.01**	302.27
2. प्रतिदेय वेतन	**130.15**	107.69
3. स्टाफ को देय अन्य राशि		
3.1 बाल शिक्षा भत्ता देय	**10.80**	9.99
3.2 चिकित्सा खर्चे देय	**6.93**	5.79
3.3 प्रतिदेय एलटीसी	**1.05**	-
4. प्राप्त अग्रिम (फाइलिंग/टैरिफ फीस)		
4.1 लौटाने योग्य/समायोज्य फीस	**88.72**	88.81
4.2 अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेजों के बिना प्राप्त फीस	**298.78**	259.90
4.3 पारेषण टैरिफ टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 22-23	**-**	48.56
4.4 पारेषण टैरिफ टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 23-24	**50.32**	45.02
4.5 उत्पादन टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष- 23-24	**46.75**	-
4.6 व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क – वित्त वर्ष- 23-24	**6.00**	-
5. भविष्य निधि तथा अन्य अंशदान :		
5.1 सीपीएफ समरूप अंशदान	**0.06**	0.15
5.2 जीपीएफ समरूप अंशदान	**0.09**	0.09
5.3 ईपीएफ समरूप अंशदान	**10.93**	9.90
5.4 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान	**15.91**	2.02
5.5 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान	**28.84**	15.04
5.6 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी अंशदान भुगतान	**4.93**	3.62
5.7 ग्रुप बचत संबद्ध बीमा/एलआईसी	**0.01**	0.01
5.8 एनपीएस समरूप अंशदान	**1.73**	0.94

अनुसूची 3 – चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
6. अन्य चालू देयताएं		
6.1 जुर्माना	**678.14**	645.51
6.2 प्रतिभूति जमा	**75.71**	65.60
6.3 अन्य वसूलियां	**-**	0.17
6.4 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	**-**	-
6.5 आयकर अधिनियम के अनुसार टीडीएस	**25.29**	17.58
6.6 जीएसटी अधिनियम के अनुसार टीडीएस	**7.85**	2.05
कुल (क)	**1,669.00**	**1,630.71**
7.प्रावधान		
7.1 छुट्टी नकदीकरण	**297.12**	267.58
7.2 ग्रेच्युटी	**292.67**	221.26
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
8.1 देय लेखा परीक्षा शुल्क	**34.31**	12.60
8.2 अन्य	**3.07**	3.42
कुल (ख)	**627.17**	**504.86**
9. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आवर्ती जमा (ग)	**71,979.18**	97,831.13
कुल योग (क+ख+ग)	**74,275.35**	**99,966.70**

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च,2023 को तुलनपत्र की भागरुप अनुसूचियां

अनुसूची 4 – नियत आस्तियां (सहायता अनुदान)

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास						निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	'समायोजन (अन्यों से अंतरण – अनुसूची 4क)'	वर्ष के दौ. रान जोड	वर्ष के दौ. रान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	'समायोजन (अन्यों से अंतरण – अनुसूची 4क)'	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां :													
लकड़ी का पार्टीशन एवं नवीकरण	**297.94**	**-**	-	-	**297.94**	**274.31**	**-**	3.51	-	-	**277.82**	**20.12**	23.63
फर्नीचर और फिटिंग्स	**391.89**	**42.43**	1.34	-	**435.66**	**370.77**	**7.89**	11.30	0.24	-	**390.20**	**45.46**	21.12
मशीनरी और उपकरण	**308.34**	**37.94**	1.25	0.07	**347.46**	**286.18**	**14.97**	13.67	0.19	0.07	**314.94**	**32.52**	22.16
विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	**74.30**	**5.06**	3.99	-	**83.35**	**63.48**	**2.34**	3.43	0.79	-	**70.04**	**13.31**	10.82
कंप्यूटर / बाह्य उपकरण	**189.94**	**112.76**	73.89	15.86	**360.73**	**181.02**	**64.12**	28.80	14.26	13.85	**274.35**	**86.38**	8.92
पुस्तकालय पुस्तकें	**5.68**		-	-	**5.68**	**5.68**		-	-	-	**5.68**	**-**	-
ख. अमूर्त आस्तियां :													
सॉफ्टवेयर	**14.01**	**65.12**	47.20	-	**126.33**	**14.01**	**22.63**	13.03	7.63	-	**57.30**	**69.03**	-
कुल	**1,282.10**	**263.31**	127.67	15.93	**1,657.15**	**1,195.45**	**111.95**	73.74	23.11	13.92	**1,390.33**	**266.82**	86.65
कुल योग	**1,282.10**	**263.31**	**127.67**	**15.93**	**1,657.15**	**1,195.45**	**111.95**	**73.74**	**23.11**	**13.92**	**1,390.33**	**266.82**	**86.65**
पूर्ववर्ती वर्ष	**1,285.36**	**-**	**-**	**3.26**	**1,282.10**	**1,177.37**	**-**	**21.18**	**-**	**3.10**	**1,195.45**	**86.65**	**107.99**

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च,2023 को तुलनपत्र की भागरुप अनुसूचियां

अनुसूची 4क – नियत आस्तियां (अन्य)

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास					निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौ. रान जोड़ पर	वर्ष को दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां :											
फर्नीचर और फिटिंग्स	**42.43**		42.43	-	**7.89**			7.89	-	-	34.54
मशीनरी और उपकरण	**37.94**		37.94	-	**14.97**			14.97	-	-	22.97
विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	**5.06**		5.06	-	**2.34**			2.34	-	-	2.72
कंप्यूटर / बाह्य उपकरण	**112.76**		112.76	-	**64.12**			64.12	-	-	48.64
ख. अमूर्त आस्तियां :											
सॉफ्टवेयर	**65.12**		65.12	-	**22.63**			22.63	-	-	42.49
कुल	**263.31**	-	263.31	-	**111.95**	-	-	111.95	-	-	151.36
कुल योग	**263.31**	-	**263.31**	-	**111.95**	-	-	**111.95**	-	-	**151.36**
पूर्ववर्ती वर्ष	**148.91**	**118.41**	**4.01**	**263.31**	**84.00**	**8.80**	**21.44**	**2.29**	**111.95**	**151.36**	**64.91**

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च,2023 को तुलनपत्र की भागरुप अनुसूचियां

अनुसूची 5 – प्रगति में पूंजी सकर्म (अन्य)

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास					निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौ. रान जोड़ पर	वर्ष को दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां :											
निर्माणाधीन भूमि एवं भवन	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ख. अमूर्त आस्तियां :											
निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर	**16.52**		16.52	-	-	-	-	-	-	-	16.52
कुल	**16.52**	**-**	**16.52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.52**
सकल कुल	**16.52**	**-**	**16.52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.52**
पूर्ववर्ती वर्ष	**5,830.40**	**16.52**	**5,830.40**	**16.52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.52**	**5,830.40**

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च,2023 को तुलनपत्र की भागरुप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 6 – अग्रिम		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	उत्सव के लिए अग्रिम	-	-
2	अन्य अग्रिम		
	– छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	-	0.14
	– विदेश यात्रा अग्रिम	-	-
	– चिकित्सा अग्रिम	-	-
कुल		-	**0.14**

(₹ लाख में)

अनुसूची 7 – जमा– प्रतिभूति जमा		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	प्रतिभूति जमा – ब्रॉडबैंड	**0.02**	0.02
2	प्रतिभूति जमा – एमटीएनएल	**0.90**	0.90
3	प्रतिभूति जमा – एनडीएमसी	**500.88**	500.88
4	प्रतिभूति जमा – पेट्रोल और स्नेहक	**0.40**	0.40
5	प्रतिभूति जमा – कर्मचारियों के लिए पट्टा	**4.42**	1.88
6	प्रतिभूति जमा – सी–डैक	**1.00**	1.00
कुल		**507.62**	505.08

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची 8 – ऋण तथा अग्रिम		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	**स्टाफ**	**43.39**	51.02
2	**आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम**	**4.36**	-
	अन्य		-
	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल)	**787.38**	-
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एनबीसीसी परियोजना)	**26,828.51**	26,828.51
	कुल	**27,663.64**	26,879.53

(₹ लाख में)

अनुसूची 9 – विविध देनदार		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
	प्राप्य शुल्क	**2.05**	1.34
	घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था	**-**	-
	कुल	**2.05**	1.34

(₹ लाख में)

अनुसूची 10 – नकद तथा बैंक शेष		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
	अनुसूचित बैंक के साथ बैंक शेष		
	चालू खाते में		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**371.26**	176.85
	पंजाब नेशनल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	**5,852.69**	252.45
	बचत खाते में		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**4.43**	7.24
	बचत खाते में (आवर्ती जमा)		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**71,842.26**	97,659.55
	दीर्घकालिक एफडीआर में (मुकद्दमेबाजी के अधीन प्राप्त जुर्माने के लिए)		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**670.77**	639.25
	कुल	**78,741.41**	**98,735.34**

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह पुरी)
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची 11 – अन्य चालू आस्तियां		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	**चालू आस्तियां**		
	केविविआ निधि खाता (भारत का लोक खाता)	**61,560.34**	57,650.03
2	**नकद या वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम तथा अन्य राशियां या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए**		
	2.1 पूर्वदत्त खर्चे	**56.95**	52.10
	2.2 छुट्टी का वेतन तथा प्राप्य उपदान	**9.14**	9.06
3	**आय प्रोद्भूत परंतु देय नहीं**		
	3.1 उपचित ब्याज (ऑटोस्वीप पर)	**0.87**	1.71
	3.2 उपचित ब्याज (शास्ति के लिए एफडीआर पर)	**8.27**	6.25
	3.3 उपचित ब्याज (आवर्ती खाते के लिए ऑटोस्वीप पर)	**136.92**	171.58
	3.4 उपचित ब्याज (स्टाफ अग्रिम पर)	**17.25**	13.44
4	**वस्तुसूची**	**-**	-
	कुल	**61,789.74**	57,904.17

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2023 को आय और व्यय लेखा की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची–12 विद्युत मंत्रालय से अनुदान	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
पूर्ववर्ती वर्ष से लाया गया अव्ययित अनुदान	-	-
चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज	13,500.00	-
वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान की कुल रकम	**13,500.00**	-
घटाएं : केविविआ निधि को वापस अंतरित नकदी आधार पर बचत/अव्ययित रकम	(6,152.80)	-
कुल	**7,347.20**	-

(₹ लाख में)

अनुसूची 13 – शुल्क से आय		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	फाइलिंग शुल्क/ टैरिफ शुल्क	-	10,063.06
2	अनुज्ञप्ति शुल्क	-	5,984.61
3	वार्षिक पंजीकरण शुल्क	-	77.69
4	विविध शुल्क	-	2.92
कुल		-	**16,128.28**

(₹ लाख में)

अनुसूची 14 – ब्याज आय		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज	-	4.12
2	बैंक में नकद पर ब्याज	-	244.58
कुल		-	**248.70**

(₹ लाख में)

अनुसूची 15 – अन्य आय		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	घर में कंप्यूटर के प्रयोग के लिए वसूली	**0.52**	0.26
2	विनियम के कम्पेंडियम की बिक्री पर लाभ	-	-
3	आरटीआई शुल्क	-	0.01
4	विविध प्राप्तियां	-	-
5	अखबार/अवशिष्ट की बिक्री	**0.23**	0.37
कुल		**0.75**	0.64

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

(₹ लाख में)

अनुसूची 16 – अवधि पूर्व मदें		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	पिछले वर्षों में लगाए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास का वापस लिखा जाना	-	11.67
2	पूर्व अवधि व्यय	**4.76**	(4.77)
कुल		**4.76**	6.90

(₹ लाख में)

अनुसूची 17 – स्थापना व्यय		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	**वेतन एवं मजदूरी:**		
1.1	कर्मचारी/अधिकारी के वेतन	**781.28**	692.91
1.2	अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन	**151.61**	160.47
1.3	भत्ते तथा बोनस	**496.17**	370.52
2	**कर्मचारी कल्याण खर्चे**		
2.1	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं	**99.26**	62.88
2.2	अन्य	**70.96**	36.45
3	**अन्य (विनिर्दिष्ट):**		
3.1	ट्यूशन फीस/बाल शिक्षा भत्ता	**10.80**	9.99
3.2	छुट्टी यात्रा रियायत	**25.38**	3.64
3.3	छुट्टी नकदीकरण	**12.05**	1.49
कुल		**1,647.51**	1,338.35

(₹ लाख में)

अनुसूची 18 – यात्रा खर्चे		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	स्वदेश यात्रा खर्चे		
	अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी	**24.44**	11.10
	स्टाफ	**0.15**	-
2	विदेश यात्रा खर्चे		
	अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी	**10.86**	-
	स्टाफ	-	-
कुल		**35.45**	11.10

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह पुरी)
सचिव

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

(₹ लाख में)

अनुसूची 19 – अन्य प्रशासनिक खर्चे		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	श्रम एवं प्रसंस्करण खर्चे	**709.45**	648.70
2	विद्युत एवं ऊर्जा	**60.73**	52.54
3	जल प्रभार	**12.62**	12.42
4	किराया दरें एवं कर	**2,675.48**	2,489.00
5	डाक व्यय एवं टेलिफोन प्रभार	**25.94**	18.86
6	वाहन	**0.49**	0.57
7	अभिदान खर्चे	**102.75**	91.00
8	विज्ञापन तथा प्रकाशन प्रभार	**88.25**	55.62
9	**अन्य (विनिर्दिष्ट):**		
9.1	पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	**29.52**	14.65
9.2	टैक्सी/पट्टे पर कार को किराए पर लेने संबंधी प्रभार	**76.27**	68.44
9.3	प्रशिक्षण खर्चे	**2.04**	-
9.4	यूनिफॉर्म व्यय	**0.40**	2.00
9.5	उपभोग्य वस्तुएं	**23.17**	21.04
9.6	बैंडविड्थ प्रभार	**4.95**	4.95
9.7	विनियम का कम्पैंडियम (आंतरिक उपयोग)	**-**	0.06
कुल		**3,812.06**	3,479.85

(₹ लाख में)

अनुसूची 20 – मरम्मत एवं रखरखाव		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1	कंप्यूटर	**24.91**	6.64
2	भवन	**6.66**	14.02
3	अन्य	**4.32**	4.51
4	यूपीएस	**4.56**	3.90
5	एयरकंडीशनर्स	**23.10**	22.15
कुल		**63.55**	51.22

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची 21– भविष्य निधि और अन्य अंशदान		चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1.1	भविष्य निधि को अंशदान	**141.49**	121.25
	अन्य निधियों को अंशदानः		
2.1	ग्रेच्युटी अंशदान	**5.28**	3.91
2.2	पेंशन अंशदान	**15.91**	4.57
2.3	छुट्टी वेतन अंशदान	**24.69**	9.91
2.4	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	**59.36**	57.65
2.5	छुट्टी नगदीकरण के लिए प्रावधान	**44.56**	129.08
कुल		**291.29**	326.37

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

लेखांकन कन्वेंशन

वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा कथित न किया जाए वह ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोदभवन नीति पर तैयार किए जाते हैं। लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 100 की उपधारा (1) के केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए केविविआ (वार्षिक लेखा विवरिणी के फार्म एवं रिकॉर्ड) नियमावली, 2007 के अंतर्गत तैयार किया गया है और लेखा को प्रति वर्ष सी एंड एजी द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता है। लेखाओं को लेखांकन सिद्धांतों एवं मानक अनुपालन में तैयार किया गया है।

जब तक अन्यथा कथित न हो, आयोग द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का उल्लेख नीचे किया गया है: –

1. लेखांकन कन्वेंशन

जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मानकों और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, उपार्जन के आधार पर ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के अधीन तैयार किया जाता है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी (सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत) के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए केन्द्रीय आयोग को प्राक्कलन और पूर्वधारणा करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों में आस्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण सहित), आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। यद्यपि यह माना जाता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण और उचित हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच के अंतर को उस अवधि में, जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं, प्रासंगिक खाता शीर्ष में आय/व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

3. राजस्व मान्यता

(i) उचित निश्चितता वाले आय और व्यय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सभी अनुज्ञप्तिधारियों/याचिकाकर्ताओं से फीस को संबंधित विनियमों में निर्धारित ढंग से आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) समय–समय पर यथासंशोधित संबंधित विनियमों के अधीन विभिन्न अनुज्ञप्तिधारियों से प्राप्त राजस्व की गणना उपचय आधार पर की जाती है। राजस्व की वसूली के बारे में अनिश्चितता के मामले में जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में लंबित मामले शामिल हैं, राजस्व मान्यता को स्थगित कर दिया जाता है और एएस–9 के पैरा 9 के अनुसार प्रकट किया जाता है।

(iii) सभी प्रकार की याचिकाओं को दाखिल करने की फीस को याचिका दायर करने पर आय के रूप में गणना की जाती है। अतिरिक्त फाइलिंग फीस या अतिरिक्त फाइलिंग के संग्रह की वापसी को देय या प्राप्य, यथास्थिति , के रूप में निर्धारित किया जाता है।

4. निवेश

दीर्घकालिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। तथापि, दीर्घकालिक निवेश की अग्रणीत राशि में अस्थायी के अलावा किसी भी गिरावट को पहचानने के लिए प्रावधान किया गया है।

5. केविविआ निधि के लिए लेखांकन व्यवहार

केविविआ निधि (निधि के अनुप्रयोग का गठन और ढंग) नियम, 2007 के अनुसार, केविविआ निधि खाता भारत के लोक लेखा (गैर–व्यपगत और गैर–ब्याज वाला खाता) में खोला गया है। केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस, अविवादित जुर्माना और अन्य रकमों को 'उपचय आधार' पर केविविआ निधि में जमा किया जाता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा में बनाए रखा गया) से रिलीज गई राशि को अनुदान सहायता के रूप में माना जाता है और आय एवं व्यय लेखा में उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। केविविआ का व्यय को केविविआ निधि में उपयुक्त व्यवहार के बाद विद्युत मंत्रालय से प्राप्त 'अनुदान सहायता' में से खर्च किया गया है।

6. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

(i) सरकारी अनुदान/सब्सिडी को उगाही आधार पर परिगणित किया जाता है।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 12 के अनुसार अनुदान सहायता में से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास आस्थगित आय के रूप में आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है और तदनुरूपी रकम की पूंजी निधि से कटौती की गई है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में निर्धारित संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख पर प्रचालित विनिमय दर को परिगणित किया जाता है। विदेशी विनियम लाभ या हानि यदि कोई है, तो उसे लेखा मानक– 11 के अनुसार वर्ष के आय एवं व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

8. पट्टा

पट्टा किराया पट्टा निबंधनों के प्रति निर्देश से व्ययित किए जाते हैं।

9. सेवा निवृत्ति फायदे

(i) कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता को लेखा मानक–15"कर्मचारी लाभ" के अनुसार बीमांकन मूल्य के आधार पर परिगणित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी वेतन एवं पेंशन/ग्रेच्युटी के लिए अंशदान को प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परिगणित किया जाता है।

(ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आंतरिक और बाह्य चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2015 के अनुसार विनियमित किया जाता है और इसका लेखा–जोखा प्रोद्भवन आधार पर रखा जा रहा है।

10. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास

क. मूर्त आस्ति

अचल आस्तियों का उल्लेख उनकी मूल लागत घटा संचित मूल्यह्रास और हानि के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, पर किया गया है। लागत में अधिग्रहण और निर्माण/संस्थापना में किए गए व्यय और आस्तियों को इसके वांछित उपयोग के लिए कार्यशील अवस्था में लाने में अन्य संबंधित व्यय शामिल हैं। अचल आस्तियों का उल्लेख, आवक भाड़ा, शुल्कों और करों और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर किया गया है।

मूल्यह्रास को अवलिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) पर निम्नानुसार व्यवस्थित किया जाता है:

(i) केन्द्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्यह्रास नीति के अनुसार, अचल आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत का 5% या उससे कम माना जाता है और तदनुसार अचल आस्तियों को मूल लागत के 95% तक मूल्यह्रासित किया जाता है (दरों को पूर्णांकित किया गया है)।

(ii) पूंजीकृत होने की योग्यता के लिए आस्ति की न्यूनतम लागत रु. 5000/–(केवल पांच हजार रुपये) होगी।

(iii) वर्ष के दौरान किसी मौजूदा आस्ति में किसी वृद्धि या विस्तार को, जो कि पूंजीगत प्रकृति का है और जो मौजूदा आस्ति का एक अभिन्न अंग बन जाता है, उस आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

(iv) पूंजीगत प्रगतिधीन कार्य में अचल आस्तियों को प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए बकाया अग्रिम शामिल हैं जो अभी तक रिपोर्टिंग की तारीख पर उनके वांछित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

(v) पुस्तकालय की पुस्तकों को राजस्व व्यय के रूप में पहचाना जाता है और इन्हें आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है।

(vi) वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई आस्तियों को दिनों की उन वास्तविक संख्या के लिए 'प्रो–राटा आधार' पर मूल्यह्रासित किया जाता है जिसके लिए इन्हें उपयोग में लाया गया है।

आस्तियां	5% अवशिष्ट मूल्य के साथ आस्ति का प्रभावी जीवन
भवन, कार्यालय परिसर और आवासीय फ्लैट्स	29 वर्ष
कंप्यूटर/उपकरण, कॉपियर, संचार उपकरण (फैक्स, मॉडम, टैलिफोन, इत्यादि)	3 वर्ष
फर्नीचर और विद्युतीय फिटिंग (अर्थात् पंखे, लाइटें, एयर कंडीश्नर)	10 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	5 वर्ष

ख. अमूर्त आस्तियाँ

सॉफ्टवेयर प्राप्त करने से संबंधित लागत को "अमूर्त आस्ति" के रूप में पूंजीकृत किया गया है। सॉफ्टवेयर की लागत को पांच वर्षों की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन, जो भी सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर कम हो, के भीतर परिशोधित किया जाता है।

(i) यदि सॉफ्टवेयर बाजार से एकमुश्त खरीदा जाता है, तो खरीद की लागत और आस्ति को वांछित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई भी लागत, पूंजीकृत की जाने वाली लागत हो सकती है। खरीद की तारीख वह तारीख होगी जिससे इसे परिशोधित करने की आवश्यकता होगी। या,

(ii) यदि सॉफ्टवेयर चरणबद्ध तरीके से बनाया जाता है, तो इसे ऐसी स्थिति में लाने के लिए प्रत्येक चरण में जो लागत का पता लगाया जा सकता है, वह वो लागत होगी जिसे पूंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। जिस विभाग के पास सभी उपयोगकर्ताओं की स्वीकृति के बाद पूर्वोक्त फेस के संबंध में, सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का दायित्व है, उससे "गो–लाईव" के प्रमाणपत्र की तारीख वह तारीख होगी जिससे उसे परिशोधित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, इस प्रकार की परिस्थितियों में पूंजीकरण और परिशोधन प्रत्येक व्यक्तिगत फेस के लिए "गो–लाईव" की तारीख के अनुसार चरणबद्ध ढंग में किया जाएगा।

11. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कार्यालय स्थान अधिगृहीत करने के लिए अग्रिम – आवासन और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना

क. एनबीसीसी परियोजना के लिए अग्रिमः– केविविआ ने कार्यालय स्थान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में फ्री होल्ड आधार पर 54, 494 स्कवेयर फीट के कार्पेट एरिया (74, 788 स्कवेयर फीट सुपर बिल्ड–अप एरिया) का कार्यालय स्थान अर्जित करने के लिए आवासन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (कार्यान्वयन एजेंसी– एनबीसीसी के माध्यम से) द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया में सहभागिता की। वर्तमान में परियोजना निर्माणाधीन है। अतः एनबीसीसी परियोजना से संबंधित व्यय को अनुसूची–8 में "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अग्रिम" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

ख. इंटीरियर कार्य हेतु एनएसएल के लिए अग्रिमः– वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में निर्माणाधीन कार्यालय परिसर के इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कार्य एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) को सौंपा गया है। अतः इंटीरियर कार्य से

संबंधित व्यय को अनुसूची–8 में "एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) को अग्रिम" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

12. कराधान

क. **आयकर के लिए प्रावधानः** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23)(खखछ) के अधीन आय और संपत्ति पर कर से छूट को ध्यान में रखते हुए, लेखा में आयकर/संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. **जीएसटी के अधीन टीडीएस तंत्रः** जीएसटी व्यवस्था के अधीन, सीजीएसटी अधिनियम, 2017की धारा 51'स्रोत पर कर कटौती' के लिए प्राधिकार और प्रक्रिया निर्धारित करती है। सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों (कटौतीकर्ता) को स्रोत पर कर काटने का आदेश दे सकती हैः (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का विभाग या स्थापना; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियां; या (घ) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। कर को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता (डिडक्टी) को किए गए भुगतान के 2% की दर से काटा जाएगा, जहां ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य, एक संविदा के अधीन, दो लाख और पचास हजार रुपये से अधिक है। तदनुसार, आयोग ने जीएसटी पर टीडीएस के कटौतीकर्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया है।

13. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

(i) प्रावधानः केन्द्रीय आयोग एक प्रावधान को तब मान्यता देता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता होती है। यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलनों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(ii) आकस्मिक देयताएं: किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है, परंतु संभवतः जिसे संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होगी। संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व के मामले में जहां संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। आकस्मिक आस्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

14. एमएसएमईडी प्रकटीकरणः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन कवर किए गए आपूर्तिकर्ताओं के लिए कोई मूल राशि देय नहीं है; अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है (पिछले वर्ष शून्य)। उन्हें कोई ब्याज देय नहीं है। एमएसएमई के रूप में आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति, उनसे प्राप्त पुष्टियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ह/-	ह/-
(ए.वी शुक्ला)	**(हरप्रीत सिंह प्रुथी)**
एकीकृत वित्तीय सलाहकार	**सचिव**

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 23– आकस्मिक देयातओं और लेखाओं पर टिप्पण

1. केविविआ निधि

(i) केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोजन की निधि) तथा बजट का प्रारूप एवं तैयारी के लिए समय नियम 2007 के अनुसार इन निधियों में अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्व ारा प्राप्त सभी फीस, समय–समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा या अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य रकम में सम्मिलित हैं। निधि (क) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक के लिए (ख) अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपने कार्यों के निर्वाह में केन्द्रीय आयोग के व्यय तथा (ग) अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय के लिए प्रयुक्त होंगे। केन्द्रीय आयोग स्थापना से संबंधित और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए अपने वार्षिक बजट के लिए इन निधियों से रकम रिलीज करने की मांग करेगा।

(ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा में बनाए रखा गया) से रिलीज गई राशि को अनुदान सहायता के रूप में माना जाता है और आय एवं व्यय लेखा में उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। केविविआ का व्यय को केविविआ निधि में उपयुक्त व्यवहार के बाद विद्युत मंत्रालय से प्राप्त 'अनुदान सहायता' में से खर्च किया गया है।

(iii) केविविआ निधि नियमों के अनुसार, केविविआ निधि भारत के लोक लेखा में खोली गई जो कि गैर–व्यपगत और गैर–ब्याज वाला खाता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि में से रिलीज की गई राशि को "सहायता अनुदान" के रूप में माना गया है। वित्त वर्ष 2017–18 तक, उपचय आधार पर केविविआ निधि से रिलीज किए गए "सहायता अनुदान" को केविविआ के प्रचालन व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था। वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित परिवर्तित लेखांकन नीति के साथ–साथ वित्त मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय में लिए गए निर्णयों/विचार–विमर्श के अनुसार, केविविआ ने अपनी वार्षिक प्रचालन व्यय और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं (अतिरिक्त राशि जो कि केविविआ के दो मास के अनुमानित व्यय के बराबर है) को पूरा करने के बाद अधिशेष धन को केविविआ निधि में जमा करना आरंभ किया। इस अभ्यास का अनुपालन वित्त वर्ष 2021–22 तक किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के निर्देशों के अनुपालन में और विद्युत मंत्रालय से रुपए 13500 लाख के लिए सहायता अनुदान की प्राप्ति के साथ, केविविआ ने केविविआ निधि से संवितरित राशियों को 'सहायता अनुदान' के रूप में मानते हुए वर्ष 2022–23 से पिछले अभ्यास का अनुसरण करना आरंभ किया।

(iv) वर्ष 2022–23 के दौरान, रुपए 17410.31 लाख की राशि केविविआ निधि में जमा की गई और इसी अवधि में विद्युत मंत्रालय ने केविविआ के प्रचालन व्यय को पूरा करने के लिए केविविआ निधि से रुपए 13500 लाख (पिछले वर्ष में रुपए 6700 लाख) की राशि रिलीज की जिससे 31 मार्च, 2023 को केविविआ निधि में रुपए 6152.80 लाख का शेष रहा।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

एनबीसीसी परियोजना में कार्यालय स्थान अधिगृहीत करने के लिए अग्रिम

केविविआ ने कार्यालय स्थान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में फ्री होल्ड आधार पर 54, 494 स्कवेयर फीट के कार्पेट एरिया (74, 788 स्कवेयर फीट सुपर बिल्ड–अप एरिया) का कार्यालय स्थान अर्जित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (कार्यान्वयन एजेंसी– एनबीसीसी के माध्यम से) द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया में सहभागिता की। चूंकि परियोजना निर्माणाधीन है, एनबीसीसी को भुगतान किए गए अग्रिम को अनुसूची–8 में "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अग्रिम" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

क) विकास के अधीन भूमि और भवन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को रुपए 3200 (आबंटन पत्र के अनुसार रुपए 448 लाख के रखरखाव प्रभारों और रुपए 371 लाख की ब्याज रहित रखरखाव सुरक्षा सहित) लाख की पूंजीगत प्रतिबद्ध ताएं थीं।

ख) वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में निर्माणाधीन कार्यालय परिसर के लिए प्रस्तावित इंटीरियर कार्यों के संबंध में 31 मार्च, 2023 को रुपए 2625 लाख (दिनांक 17 नवम्बर, 2022 के करार के अनुसार) की पूंजीगत प्रतिबद्धताएं थीं।

3. पट्टा दायित्व

(i) वाहनों के लिए प्रचालन पट्टे की व्यवस्था के अधीन किराये हेतु भावी दायित्वों की राशि रु. 0.99 लाख (पिछले साल रु. 1.52 लाख) है।

(ii) ''पट्टा आवास'' के प्रति भावी दायित्व – केविविआ ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पट्टा आवास) विनियम, 2007 के अधीन ''पट्टा आवास'' सुविधा का विस्तार 06 (छह) कर्मचारियों की संख्या तक किया है। ये विनियम नियमित नियुक्ति, विदेश सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा या स्थायी आमेलनपर आयोग के कर्मचारियों पर लागू होंगे। इन पट्टों की रुपए 1.92 लाख की मासिक प्रतिबद्धता है जिनकी प्रकृति वर्ष के दौरान किसी भी समय रद्द योग्य है।

4. लेखांकन नीति में परिवर्तन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आयोग ने अपनी लेखांकन नीति को निम्नानुसार परिवर्तित करने का निर्णय लिया:–

(क) अचल आस्तियाँ:

(i) वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक केविविआ के लेखा "अनुदान सहायता से निर्मित अचल आस्तियाँ और स्वयं की निधि से निर्मित अचल आस्तियाँ" के रूप में लेखांकन के उद्देश्य से दो भिन्न अचल आस्तियाँ अनुसूचियों, अनुसूची 4 एवं अनुसूची 4क नाम के अनुसूचियों के अभ्यास का पालन करते हुए तैयार किया गया। दिनांक 31.03.2022 को

अनुसूची 4क में रुपए 263.31 लाख की कुल संचित राशि थी और रुपए 111.95 लाख का संचित मूल्यह्रास था। सी एंड एजी के निर्देशों के अनुपालन में और आंतरिक लेखापरीक्षक के परामर्श से भी, वर्ष 2022–23 के दौरान उपर्युक्त अनुसूची 4(क) को मौजूदा अनुसूची–4 "अचल आस्तियाँ–अनुदान सहायता" के साथ विलय कर दिया गया। रुपए 263.31 लाख को अनुसूची 4 में अंतरित किया गया है और अचल आस्तियों के सकल मूल्य में जोड़ा गया है। साथ ही, समुचित लेखा में रुपए 111.95 की समायोजन प्रविष्टि की गई है।

(ii) 31 मार्च, 2022 तक स्वयं की निधि में से विकसित अचल आस्तियों के संबंध में प्रभारित किए गए रुपए 111.95 के संचित मूल्यह्रास का समायोजन पृथक रूप से आस्थगित आय के रूप में "आय और व्यय" में किया गया, और समतुल्य समायोजन वित्तीय विवरणों के अनुसूची 1 – पूंजीगत निधि में लेखाबद्ध किया गया है।

(iii) वित्तीय विवरण में उपर्युक्त परिवर्तन भौतिकत्व के आधार पर किए गए हैं।

(ख) सरकारी अनुदानः

(i) केविविआ निधि नियमों के अनुसार, केविविआ निधि भारत के लोक लेखा में खोली गई जो कि गैर–व्यपगत और गैर–ब्याज वाला खाता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि में से रिलीज की गई राशि को "सहायता अनुदान" के रूप में माना गया है। वित्त वर्ष 2017–18 तक, उपचय आधार पर केविविआ निधि से रिलीज किए गयए "सहायता अनुदान" को केविविआ के प्रचालन व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था। वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित परिवर्तित लेखांकन नीति के साथ–साथ वित्त मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय में लिए गए निर्णयों/विचार–/के अनुसार, केविविआ ने अपनी वार्षिक प्रचालन व्यय और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं (अतिरिक्त राशि जो कि केविविआ के दो मास के अनुमानित व्यय के बराबर है) को पूरा करने के बाद अधिशेष धन को केविविआ निधि में जमा करना आरंभ किया। इस अभ्यास का अनुपालन वित्त वर्ष 2021–22 तक किया गया।

(ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के निर्देशों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, केविविआ ने केविविआ निधि से यथा संवितरित सभी राशियों को 'सहायता अनुदान' के रूप में मानते हुए वर्ष 2022–23 से पिछले अभ्यास को पुनः आरंभ किया और दिनांक 31.03.2023 को केविविआ निधि में रुपए 6152.80 लाख का शेष छोड़ते हुए विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान (पिछले वर्ष रुपए 6700 लाख) के रूप में रुपए 13500 लाख को लेखाबद्ध किया।

(iii) वर्ष के दौरान रुपए 17001.53 लाख (पिछले वर्ष रुपए शून्य) की राशि के सभी प्रकार की फीस/ब्याज को अनुसूची–2 के अधीन भारत के लोक लेखा में बनाई गई केविविआ निधि को अंतरित किया गया है।

5. चालू दायित्व

क. कोर्ट के आदेश के अनुसरण में पृथक बैंक खाते

(i) पावर एक्सचेंजों में गैर–सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की व्यापारित कीमत के संबंध में विवाद का समाधान लंबित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार रुपए 500 प्रति गैर–सौर आरईसी की राशि केविविआ

के पास जमा की गई है। मामले के निपटान के बाद, भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।

उसके बाद, भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 09.05.2022 और 17.05.2022 के अपने आदेश द्वारा आयोग को समतुल्य राशि के लिए बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद पावर एक्सचेंजों द्वारा जमा की गई मूल राशि को रिलीज करने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देशों के अनुसरण में, आयोग ने एक समिति का गठन किया और संबंधित पार्टियों से प्राप्त बैंक गारंटियों के लिए रुपए 28453.68 लाख की राशि को रिलीज किया। 31 मार्च, 2023 को, रुपए 71979.18 लाख (पिछले वर्षः रुपए 97831.13 लाख) का शेष राशि है, जिसे पृथक बैंक खातें में रखा गया है। इस शेष राशि में मूल राशि पर रुपए 19976.54 लाख (पिछले वर्षः रुपए 17374.81 लाख) का उपचित ब्याज शामिल है। प्राप्त की गई संपूर्ण राशि को चालू आस्ति के रूप में दर्ज किया गया है, और समान राशि को "चालू देयता" के रूप में दर्ज किया गया है।

(ii) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2022 की सिविल अपील सं.8175 में 2022 के आई. ए. सं.167493 में निम्नलिखित निर्देश दियाः–

"3. इस दौरान, इक्विटी को संतुलित करने के लिए, आक्षेप किए गए आदेश पर ध्यान देने के बाद, हम यहां किए गए आक्षेप आदेश पर रोक लगाना उचित समझते हैं, इस शर्त के अध्यधीन कि अपीलकर्ता आयोग के समक्ष नियत प्रभारों का 50% जमा करेगा। उक्त राशि छह महीने की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज अर्जित करने वाली जमा राशि में रखी जाएगी और अगले आदेश तक समय–समय पर नवीनीकृत की जाएगी। राशि पर उपचित ब्याज, उत्तरवर्ती पार्टियों के लाभ को सुनिश्चित करेगा।"

इसी प्रकार, दिनांक 18.11.2022 के सिविल अपील, 2022 का सं. 8507, के एक अन्य मामले में भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार निर्देश दियाः–

"3. इस दौरान, इक्विटी को संतुलित करने के लिए, आक्षेप किए गए आदेश पर ध्यान देने के बाद, हम यहां एटीई के समक्ष अपील में किए गए आक्षेप आदेश 2 पर रोक लगाना उचित समझते हैं, इस शर्त के अध्यधीन कि अपीलकर्ता आयोग के समक्ष नियत प्रभारों का 50% जमा करेगा। उक्त राशि छह महीने की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज अर्जित करने वाली जमा राशि में रखी जाएगी और अगले आदेश तक समय–समय पर नवीनीकृत की जाएगी। राशि पर उपचित ब्याज, उत्तरवर्ती पार्टियों के लाभ को सुनिश्चित करेगा चूंकि अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) के लिए विद्वत कांउसेल द्वारा यह कहा गया है कि जमा के लिए 50% के परिकलन करते हुए यहाँ प्रतिवादी (प्रतिवादियों) को राशि के हिस्से का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, भुगतान की गई राशि को समायोजित किया जाएगा।"

उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में, केविविआ ने राष्ट्रीकृत बैंक में समर्पित बैंक खाता खोला है और दिनांक 31.03.2023 तक प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	पार्टी से प्राप्त राशि	मूल राशि	केस सं.
1	हरियाणा स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लि.	41,83,45,811.00	सिविल अपील सं.2022 का 8175
2	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	55,01,93,288.00	सिविल अपील सं.2022 का 8175
3	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जयपुर	16,25,40,310.00	सिविल अपील सं.2022 का 8175

(iii) 31 मार्च, 2023 तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन केविविआ द्वारा लगाया गया निवल जुर्माना रुपए 1782 लाख (पिछले वर्ष रुपए 1782 लाख), जिसमें से रुपए 1644 लाख (पिछले वर्ष रुपए 1644 लाख) की राशि का विधि की विभिन्न कोर्टों में पार्टियों द्वारा प्रतिवाद किया गया है और रोक लगाए जाने के कारण केविविआ में उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है। रुपए 138 लाख (पिछले वर्ष रुपए 138 लाख) की बची हुई राशि केविविआ में प्राप्त हुई है। विवादित जुर्मानों में से, रुपए 357 लाख (पिछले वर्ष रुपए 357 लाख) की राशि विधि की विभिन्न कोर्टों में प्रतिवाद के अधीन प्राप्त हुई है और इसे चालू देयता में दर्शाया गया है। प्राप्त परंतु प्रतिवादित राशि बैंक में अल्पकालिक सावधि जमा के अंतर्गत रखी गई है और कोर्ट मामलों के परिणाम के आधार पर यथास्थिति, केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा में बनाए रखा गया) में जमा की जाएगी या पार्टी को वापस की जाएगी। यह विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से निर्देशों के अनुसार, विवादित राशि के जुर्माने से बने सावधि जमा पर 'प्राप्त' और 'उपचित परंतु प्राप्त नहीं' ब्याज को अन्य चालू देयताओं के अधीन लेखाबद्ध किया गया है। इस कारण आय और व्यय लेखा पर कोई प्रभाव नहीं है।

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 की उप–धारा (1) शक्तियों और विद्युत के लिए अपील अधिकरण (प्रक्रिया, प्ररूप, फीस और कार्यवाहियों का अभिलेख) नियम, 2007 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय ऐपटेल ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न पार्टियों पर लागत लगाई और उन्हें लगाई गई लागत को केविविआ में जमा करने का निर्देश दिया। ऐपटेल के निर्देश के अनुपालन में, 05 (पाँच) पार्टियों द्वारा रुपए 1.15 लाख की राशि केविविआ में जमा की गई और इस राशि को विद्युत मंत्रालय को विप्रेषित किया गया।

ख. अन्य चालू देयताएं

(v) केविविआ के स्थायी कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी के नकदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर क्रमशः रुपए 297 लाख और रुपए 293 लाख (पिछले वर्ष रुपए 268 लाख और रुपए 221 लाख) पर किया गया है।

(vi) रुपए 8.84 लाख की राशि केविविआ में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के संस्थापन के संबंध में वेंडर को उनके द्वारा किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए एनटीपीसी के साथ चर्चा के अधीन है।

(vii) मार्च 2019 में एनडीएमसी से प्राप्त ड्राफ्ट लीज करार में शून्य सिक्योरिटी जमा की परिकल्पना की गई है। इस लीज करार पर हस्ताक्षर होने तक, एनडीएमसी के साथ सिक्योरिटी जमा का समायोजन नहीं किया गया है।

6. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

((i) प्रबंधन की राय में चालू आस्तियां ऋणों और अग्रिमों का कारोबार के सामान्य उपकरण में उनकी वसूली पर तुलन पत्र में दर्शाई गई न्यूनतम सकल रकम के बराबर होता है।

(ii) वर्ष 2010–11 के दौरान, रु. 16, 91, 875/–के डिमांड ड्राफ्ट आयोग की रजिस्ट्री में खो गए और केविविआ के कर्मचारी द्वारा धोखे से इसका नकदीकरण करा दिया गया। पुलिस अधिकारी के पास इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय जांच मार्च, 2013 में पूरी हो गई थी और दोषी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया था। मामला न्यायालय में लंबित है। अंतिम सुनवाई दिनांक 16.03.2023 को हुई थी और सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 24.07.2023 को नियत है। मामले के निष्कर्ष को देखते हुए, इस रकम को न तो आय के रूप में बुक किया गया और न ही हानि के लिए चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट प्रावधान को लेखा बहियों में किया गया।

(iii) निम्नलिखित इकाइयों से विभिन्न फीस के कारण राजस्व की मान्यता उसकी वसूली के बारे में अनिश्चितता के कारण स्थगित की जाती है।

क्र.सं.	पार्टी का नाम	फीस की प्रकृति और वर्ष	राशि (रुपए में)
1	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा. लि.	उत्पादन टैरिफ फीस 2022–23	रु. 86,55,152/-
2	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लि.	उत्पादन टैरिफ फीस 2022–23	रु. 6,33,600/-
3	कोहिमा मरीना ट्रांसमिशन लि.	पारेषण अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 5,00,000/-
4	पावर ग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लि. मिटेड	पारेषण अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 1,30,137/-
5	खंदूखाल रामपुर ट्रांसमिशन लि.	पारेषण अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 87,671/-
6	गडग II–ए ट्रांसमिशन लि.	पारेषण अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 46,575/-
7	ग्लोबल एनर्जी प्रा. लि.	व्यापार अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 40,00,000/-
8	रीफैक्स एनर्जी प्रा. लि.	व्यापार अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 13,84,657/-
9	इंस्टिंक्ट एनर्जी प्रा. लि.	व्यापार अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 6,00,000/-
10	वेद प्रकाश पावर प्रा. लि.	व्यापार अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 3,00,000/-
11	एलटीलियम एनर्जी प्रा. लि.	व्यापार अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 2,00,000/-

क्र.सं.	पार्टी का नाम	फीस की प्रकृति और वर्ष	राशि (रुपए में)
12	एस्सार इलेक्ट्रिक पावर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	व्यापार अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 12,00,000/-
13	कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशन्स इंडिया प्रा. लि.	व्यापार अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 1,95,100/-
14	सरन्यू पावर ट्रेडिंग प्रा. लि.	व्यापार अनुज्ञप्ति फीस 2022-23	रु. 4,00,000/-

7. आय एवं व्यय लेखा

वर्ष के दौरान केविविआ का संपूर्ण व्यय विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुदान सहायता से पूरा हुआ और अव्ययित अनुदान अगले वित्त वर्ष में ले जाया गया। जब तक उपचित आधार पर वर्ष के लिए व्यय मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुदान से कम/अधिक है, तब तक आय का व्यय पर आधिक्य या इसका विपरीत नहीं होगा चूंकि अनुदान के अधिशेष/कमी को अगले वर्ष ले जाया जाता है।

8. स्टेशनरी और इन्वेंटरी का स्टॉक

विनियमों के कम्पेंडियम (आंतरिक प्रसार) की कीमत को प्रभारित न करने के निर्णय को देखते हुए, बाजार मूल्य को शून्य माना गया है।

9. देय के लिए प्रावधान

वार्षिक लेखा, लेखांकन के उपचित आधार पर होते हैं। तदनुसार बकाया देयताओं, सांविधिक दायित्वों जैसे पेंशन और छुट्टी वेतन, अंशदान, सीपीएफ/ईपीएफ समरूप अंशदान लेखा परीक्षा फीस आदि के लिए प्रावधान किया गया है और उन्हें लेखों में प्रदर्शित किया गया है।

10. तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा, और प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा के आंकड़े, लाख रुपये में राउंड ऑफ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सुझावोंध्सुधारों को, जहां आवश्यक हो, चालू वर्ष की प्रस्तुति में शामिल किया गया है।

11. अनुसूचियाँ 1 से 23, 31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का एक अभिन्न अंग है। पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां तथा भुगतान

(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
1. आरंभिक शेष के लिए			1. खर्चों द्वारा		
			(क) स्थापना खर्चे		
(क) बैंक शेष			(i) वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)	**148.63**	160.47
(i) चालू खातों में:			(ii) वेतन (अधिकारी एवं स्थापना)	**772.14**	686.88
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटोस्वीप सहित)	**176.85**	4,049.50	(iii) भत्ते एवं बोनस	**485.84**	352.61
पंजाब नेशनल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	**252.45**	-	(iv) व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	**614.73**	626.96
			(v) छुट्टी नकदीकरण	**27.08**	43.72
(ii) बचत खाते:			**(ख) यात्रा खर्चे**		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटोस्वीप सहित)	**7.24**	73.52	(i) विदेश यात्रा	**8.54**	-
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया–आवर्ती जमा (ऑटोस्वीप सहित)	**97,659.55**	93,862.52	(ii) स्वदेश यात्रा	**20.66**	11.79
			(ग) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं	**98.12**	55.44
(iii) सावधि जमा	**639.25**	551.10	**(घ) अन्य स्थापना प्रभार**		
			(i) ट्यूशन फीस/बाल शिक्षा भत्ता	**9.99**	8.10
(ख) हाथ में नकदी	**-**	-	(ii) छुट्टी यात्रा रियायत	**24.19**	4.29
			(ङ) भविष्य निधि में अंशदान	**119.01**	108.59
2. प्राप्त अनुदान			**(च) अन्य निधियों में अंशदान**		
विद्युत मंत्रालय से	**13,500.00**	6,700.00	(i) सीपीएफ मैचिंग अंशदान	**0.83**	2.72
			(ii) एनपीएस मैचिंग अंशदान	**19.92**	8.70
3. आयोग से प्राप्तियाँ			**(छ) स्टाफ कल्याण खर्चे**	**72.29**	36.60
(i) ब्याज प्राप्ति					
– ऑटो स्वीप जमा पर ब्याज	**464.22**	245.17	**2. प्रशासनिक खर्चों द्वारा**		
– बचत खातों से ब्याज	**0.33**	0.40			
– पेनल्टी एफडीआर से जुड़ा ब्याज	**32.52**	87.15	(क) श्रम एंव प्रसंस्करण खर्चे	**717.57**	631.52
– कंप्यूटर अग्रिम पर ब्याज	**-**	0.06	(ख) विघुत एंव ऊर्जा	**65.21**	52.04
			(ग) जल प्रभार	**13.26**	12.76
(ii) कम्पेंडियम की बिक्री	**-**	-	(घ) मरम्मत तथा रखरखाव	**4.32**	4.51

(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
			(ङ) किराया, दर तथा कर	**2,752.50**	2,413.54
(iii) अखबारों की बिक्री	**0.04**	0.02	(च) वाहन चलन एवं रखरखाव		
			(i) टैक्सी भाड़े पर लेने का खर्च	**75.16**	67.70
(iv) आयोग द्वारा फीस प्रभार			(ii) चालन तथा रखरखाव	**27.22**	13.37
– फाइलिंग फीस	**1,408.00**	1,203.50	(छ) डाक–व्यय, टैलिफोन तथा संसूचना प्रभार	**25.21**	18.62
– अनुज्ञप्ति फीस	**6,203.24**	5,989.14	(ज) मुद्रण तथा स्टेशनरी	**18.54**	12.52
– टैरिफ फीस	**8,765.91**	8,820.45	(झ) यात्रा तथा वाहन	**0.56**	0.44
– वार्षिक पंजीकरण फीस	**80.00**	77.69	(ञ) संगोश्ठीध्बैठकों पर खर्च	**16.27**	6.78
– जुर्माना	**-**	1.00	(ट) अभिदान खर्चे	**109.40**	95.44
– अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेज के बिना प्राप्त फीस	**107.13**	60.78	(ठ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिकध्विधिक फीस	**5.43**	3.73
– अतिरिक्त प्राप्त फीस	**-**	3.00	(ड) विज्ञापन तथा प्रचार	**92.08**	70.73
– आरटीआई फीस	**-**	0.01	(ढ) अन्य (विनिर्दिश्ट करें)		
			– एएमसी ईपीएबीएक्स	**0.86**	0.52
(v) विविध प्राप्तियां	**17.48**	3.07	– एएमसी फोटोकॉपी मशीन	**10.62**	7.90
4. ऋण/जमा प्राप्तियों के लिए			– एएमसी एयरकंडीशनर	**9.40**	13.62
			– एएमसी यूपीएस	**4.56**	3.71
			– एएमसी विद्युत	**4.05**	6.09
(क) स्टाफ से अग्रिमों की वसूली			– एयरकंडीशनर मरम्मत तथा रखरखाव	**6.56**	5.84
(i) मोटर कार/निजी कंप्यूटर अग्रिम	**0.69**	0.28	– पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	**30.16**	13.58
(ii) विशेष उत्सव अग्रिम	**-**	0.30	– बैंडविड्थ प्रभार	**0.42**	3.84
(iii) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें) – अग्रदाय			– भवन मरम्मत तथा रखरखाव	**1.98**	7.36
	0.66	0.95	– उपभोग्य	**24.22**	17.26
			– कंप्यूटर मरम्मत तथा रखरखाव	**21.73**	4.61
(ख) अग्रिम की वसूली			– विविध खर्चे	**1.53**	1.41
(i) प्रदाताओं को अग्रिम	**-**	-	– प्रशिक्षण खर्चे	**2.04**	-
			– पूर्व अवधि व्यय	**4.76**	4.77
			– यूनिफॉर्म व्यय	**0.40**	2.00
(ग) अन्य जमा	**25.14**	20.51			
(i) प्रतिभूति जमा			**3. किए गए निक्षेप**		
			(क) प्रतिभूति जमा	**2.54**	-

(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
5. विप्रेषण प्राप्तियों के लिए					
(क) प्रतिनियुक्तों से वसूली	**3.07**	4.42	**4. (I) स्टाफ को अग्रिम द्वारा**		
(ग) आयकर (वेतन/गैर–वेतन)	**2.36**	1.96	(क) अन्य अग्रिम (खर्चे)	**0.67**	0.95
(घ) जीएसटी पर टीडीएस (सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी)	**366.95**	315.80	(ख) एफटीई अग्रिम	**-**	-
(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)	**36.98**	2.05	(ग) एलटीसी अग्रिम	**0.10**	0.14
(छ) अन्य प्राप्तियां	**0.01**	0.06	(घ) चिकित्सा अग्रिम	**0.71**	1.78
(ज) केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीजीएमएस)	**0.17**	0.09			
(झ) अन्य रसीदें			**(II) आकस्मिक अग्रिमों दवारा**		
– ईपीएफ/जीएसएलआई वसूली	**32.75**	31.58	(क) प्रदाताओं को अग्रिम	**790.90**	21,000.00
– सीपीएफ मैचिंग अंशदान/ईपीएफ/जीएसएलआ.ई/जीपीएफ/एनपीएस	**133.67**	121.65			
– एफटीई वसूली	**-**	-	(III) **अन्य द्वारा**		
– एलटीसी वसूली	**0.10**	-	(क) प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदाय	**15.43**	0.55
– एच.बी.ए. वसूली	**13.69**	9.79			
– अनुज्ञप्ति फीस की वसूली (आवास लीज)	**0.61**	0.49	(IV) **समायोजन/विप्रेषण**		
– प्राप्त ग्रेच्युटी	**25.51**	0.80	(क) प्रतिनियुक्तों से जीपीएफ/सीपीएफ/ईपीएफ आदि की वसूली		
– छुट्टी वेतन अंशदान	**7.86**	3.52	– विप्रेषित जीपीएफ वसूली		
			– विप्रेषित ईपीएफ वसूली (केविविआ कर्मचारी स्वैच्छिक)	**14.85**	21.69
6. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आरईसी जमा			– विप्रेषित ईपीएफ (स्वैच्छिक) वसूली	**138.05**	122.47
– प्राप्ति	**-**	-	– विप्रेषित सीपीएफ वसूली	**1.63**	1.49
– फ्लैक्सी जमा पर ब्याज	**2,636.39**	3,797.03	– विप्रेषित एनपीएस वसूली	**0.75**	0.42
			(ख) अनुज्ञप्ति फीस	**11.08**	5.24
7. अन्य प्राप्तियों के लिए			(ग) आयकर (वेतन/गैर–वेतन)	**2.52**	1.80
			(घ) जीएसटी पर टीडीएस (सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी)	**363.45**	323.15
– एपटेल द्वारा लगाई गई लागत	**1.15**	-	(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)	**31.19**	-
– आस्तियों की बिक्री	**0.81**	0.28	(च) सीजीईजीआईए/सीजीईआईएस	**0.01**	0.06

(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
– चिकित्सा अग्रिम की धन वापसी	**0.71**	0.09	(छ) भवन निर्माण अग्रिम	**0.17**	0.09
			(ज) अन्य वसूलियां	**5.73**	7.64
			(झ) कंप्यूटर अग्रिम	**3.07**	4.42
				0.50	0.50
			5. अंशदानों द्वारा		
			(क) पेंशन		
			(ख) छुट्टी वेतन	**2.02**	15.12
			(ग) ग्रेच्युटी	**15.87**	28.12
				20.38	32.95
			6. नियत आस्तियां तथा प्रगति में संकर्म पर व्यय द्वारा		
			(क) फर्नीचर एवं फिटिंग्स	**1.34**	34.65
			(ख) मशीनरी एवं उपकरण	**76.45**	81.56
			(ग) भूमि एवं भवन	**-**	-
			(घ) अमूर्त आस्तियां	**30.68**	16.52
			7. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अधीन आवर्ती जमा		
			– भुगतान	**28,453.68**	-
			8. अन्य द्वारा		
			(क) फीस वापसी	**-**	-
			9. केविविआ निधि को अंतरित निधियां (भारत का लोक लेखा)	**17,410.31**	-
			10. हाथ में नकदी	**-**	-
			11. अंतिम शेष द्वारा		
			(i) चालू खातों में :		
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**371.26**	176.85

(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22
			पंजाब नेशनल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	**5,852.69**	252.45
			(ii) बचत खातों में :		
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**4.44**	7.24
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आवर्ति जमा (ऑटो स्वीप सहित)	**71,842.26**	97,659.55
			(iii) सावधि जमा	**670.77**	639.25
	1,32,603.49	1,26,039.73		**1,32,603.49**	1,26,039.73

तारीख : 28.06.2023
स्थान : नई दिल्ली

ह/-
(ए.वी शुक्ला)
प्रकीकृत वित्तीय सलाहकार

ह/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

वर्ष 2022–23 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक लेखा के संबंध में पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए उत्तर / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा की टिप्पणियां/अवलोकन	की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई
क	**1 सामान्य** **1.1 आकस्मिक देयताएं और लेखा नोट** **1.1.1 पूंजी प्रतिबद्धताएं** उक्त को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कार्यालय परिसरों के लिए इंटीरियर कार्यों के संबंध में रुपये 2625 लाख (17 नवंबर, 2022 के करार) की सहमत रकम के लिए वर्ष 2022–23 के दौरान केविविआ द्वारा पहले से अदा रुपये 787.38 लाख के अंतर्वेशन के कारण अधिमूल्यांकित किया गया है।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
	1.1.2 चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम – **नोट सं. 6** उन मामलों में राजस्व की मान्यता के स्थगन के संबंध में प्रकटन जहां उगाही के बारे में अनिश्चितता थी, वहां रुपये 129 लाख को शामिल करना त्रुटिपूर्ण है जो तीन पार्टियों से प्राप्ति योग्य था। (श्याम इंदुज पावर सॉलूटिन प्रा. लि. और वेद प्रकाश प्रा. लि. और ग्लोबल एनर्जी प्रा. लि.)	लेखा परीक्षा के सुझाव भावी अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
ख	**सहायता अनुदान** केविविआ निधि से रिलीज किए गए रुपये 13500 लाख की अनुदान में से, केविविआ ने वर्ष 2022–23 के दौरान रुपये 7347.20 लाख (राजस्व अनुदान रुपये 6568.72 लाख और पूंजी अनुदान का रुपये 778.48 लाख) का उपयोग किया और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार रुपये 6152.80 लाख का अव्ययित शेष रहा।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
ग	वे कमियां जिन्हें पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें उपचारी / निवारक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से अध्यक्ष केविविआ के नोटिस में लाया जाएगा। v. पूर्व पैराग्राफों में हमारे अवलोकन के अध्यधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा लेखा बहियों के अनुरूप है। vi. हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त मामलों और इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में उल्लिखित अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। क) जहां तक तुलन–पत्र का संबंध है, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार है; और ख) जहां तक आय तथा व्यय लेखा में व्यय से अधिक आय का संबंध है, यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।

अनुबंध–I
(पैरा 4 (vi) में उल्लिखित)

क्र.सं.	विषय	लेखा परीक्षा की टिप्पणियां/अवलोकन	की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई
1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	वर्ष 2022–23 से बाहरी सीए फर्म को नियुक्त कर आंतरिक लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022–23 अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा की जानी है।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, एबी के आकार के अनुरूप है। तथापि कुछ कमियां पाई गईं और उस पर ठीक से टिप्पणियां की गई।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2022–23 के लिए अचल आस्तियों और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है। केविविआ ने क्रमशः जीएफआर 22 और 23 के अनुसार नियत आस्ति रजिस्टर और उपभोग्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया है।	उपभोग्य स्टॉक रजिस्टर जीएफआर के अनुसार तैयार किया गया है। तथापि नियत आस्ति रजिस्टर के लिए लेखा परीक्षा के अवलोकन को नोट कर लिया गया है।
4.	इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली		
5.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार केविविआ को आयकर से छूट दी गई है। यद्यपि आयकर के टीटीएस की कटौती की जा रही है और नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। केविविआ के डीम्ड न्यायित कृत्यों के अनुसरण में अपनी प्राप्तियों के अलावा इसकी प्राप्तियों पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में वित्त मंत्रालय से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी इसके विनियामक कार्यों की फीस / प्राप्तियों पर लागू है। तथापि आज तक इस संबंध में किसी छूट को प्राप्त करने के बिना केविविआ ने केविविआ द्वारा संग्रहित फीस / प्राप्तियों पर वर्ष 2018–19 से 2022–23 के लिए रुपये 5223.49 लाख रुपये की रकम के जीएसटी के कारण सांविधिक देयता को न तो संग्रहित किया और न ही प्रदान किया।	मामला जुलाई 2023 में वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया जिसमें केविविआ पर जीएसटी की गैर प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण की मांग की गई।
6..	लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण जोखिम	किसी महत्वपूर्ण जोखिम का बोध नहीं हुआ।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
7.	वर्ष के दौरान नगदी या चोरी, दुर्विनियोजन, धोखा, गबन इत्यादि के कारण सरकारी संपत्ति की हानि के विवरण	प्रबंधन में सत्यापित किया कि वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नोटिस / रिपोर्ट नहीं किया गया।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।

टिप्पणियां

टिप्पणियां

WONDER GRAPHIC 935 08509 89

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
फोन : +91–11–23353503, फैक्स : +91–11–23753923
www.cercind.gov.in